सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

वर्ष 2002 - 2007

जनपद : बदायूँ

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1-8
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	9-42
3.	नियोजन प्रक्रिया	43-63
4.	सर्वाशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	64-67
5.	समस्याएं एवं रणनिति	68-74
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार (1) औपचारिक विद्यालय	75-82
7.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार (2) ई0जी0एस0/ए0आई0ई0	83-101
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	102-134
9.	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संबंद्धर्न हेतु योजना	135-197
10.	परियोजना क्रियान्वयन एक अनुश्रवण	198-215
11.	कुल परियोजना लागत (2002-2007)	216-221
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (2003-2004)	222-224

अध्याय—1

जिले की पृष्ठभूमि

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बदायू एक पुराना एतिहासिक नगर है। प्रारम्भ में इसे महात्मा बुद्ध ने बसाया था तब उन्ही के नाम पर इस नगर का नाम बुद्धमऊ रखा गया। इसके बाद दिल्ली के राजा महीपाल के मन्त्री सूर्यहवल ने इस वेदों के शिक्षा का केन्द्र बनाया। तव बुद्धमऊ के स्थापना पर इसका नाम वेदामऊ रखा गया। यहां राजा महीपाल का बनवाया हुआ एक विशाल भवन भी है जो आजकल जामा मस्जिद के नाम से विख्यात है।

यहा समय-समय पर मुसलमानों के हमले होने और उनके विजयी होने पर इसका नाम बदल कर बदायूँ रखा गया । काफी समय तक यह दिल्ली के सुल्तानो के अधीन रहा। बदायूँ का नाम अकबर के नौ रत्नों में से एक अब्दुल कादिर बदायूँनी के ग्रन्थ करसीदीन मे भी आता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के पिता तथा हजरत सुल्तानुल आरफीन और हजरत शाह विलायत की मजार भी यही पर स्थित है। इसीलिये इस स्थापना को अजमेर शरीफ के बराबर का आदर दिया जाता है । एशिया की सबसे पुरानी इबादतगाह यहा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद शमशी है। बदायूँ जिले के अन्तर्गत सहसवान महाराज साहसबाहु का बसाया हुआ पुराना एवं प्राचीन नगर है। किंवदन्ती है कि लड़ाई के समय जल पीने के लिय परशुराम ने पृथ्वी में फरसा मारकर स्त्रोत निकाला था जो आज भी यहा सरस्त्रोता के नाम से विख्यात है। श्रद्धालु लोग बडी संख्या यहां स्नान करते है ।

1.2 भौगोलिक स्थिति

बदायू 27.650 से 28.500 उत्तरी अक्षांश तथा 78.10 से 79.50 पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच फैला हुआ है। यह गंगा नदी तथा राम गंगा नदी के बीच बसा हुआ है। इसके पूर्व मे जिला शाहजहापुर, पश्चिम मे बुलन्दशहर, उत्तर में जिला बरेली, रामपुर, मुरादाबाद,दक्षिण मे जिला बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद है। बदायूँ जिले की लम्बाई 144 कि0मी0 तथा चौढ़ाई 60 कि0मी0 है। यह 5168 वर्ग कि0मी0 मे फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 150 मीटर से 180 मीटर तक है।

जनपद बदायूँ की पृष्ठभूमि 06 तहसीलों, 18 विकास खण्डों, 164 न्याय पंचायतों 1069 ग्राम सभाओं 1780 आबाद ग्रामों, 301 गैर आबाद ग्रामों, 23 नगर एवं नगर पंचायत, 06- नगर पालिकाओं तथा 17- नगर क्षेत्र समितियों में बटी हुई है।

बदायूं की जलवायु ठंडी तथा नम है यहां औसत 33.5 इंच वर्षा होती है तराई क्षेत्र में पानी इकट्ठा रहने के कारण यहां मच्छर अधिक पाये जाते हैं।

बदायूं में 4,01,073 हैक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। 41,616 हैक्टेयर भूमि का उपयोग आलू एवं मैथा के लिये किया जाता है। 12,702 हैक्टेयर भूमि खेती के लिये उपयोगी नहीं है। जबकि 6,475 हैक्टेयर भूमि बंजर तथा ऊसर है जोकि कुल भूमि का 1.24 प्रतिशत है।

1.3 प्रशासनिक इकाईयां--

जनपद बदायूं की प्रशासनिक ईकाई का अवलोकन इस सारणी से किया जा सकता है।

सारणी 1.1

प्रशासनिक इकाईयां

ग्रामीण क्षेत्र					नगर क्षेत्र		
तहसील	विकासखण्ड	न्याय पंचायत	ग्राम सभायें	राजस्व ग्राम / बस्तियां	नगरपालिका	टाउनएरिया	वार्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
06	18	164	1069	1780	06	17	339

स्त्रोत– 2001 की जनगणना।

जनपद की प्रशासनिक इकाईयों को विकास क्षेत्र बार इस प्रकार देखा जा सकता है–

सारणी 1.1.1

क्र0स0	विकास खण्ड	टाउन एरिया	वार्ड	राजस्व गांव बस्तियां
1.	गुन्नौर	गुन्नौर	18	79
		बबराला	13	
2.	उझानी	उझानी	25	
		कछला	10	99
3.	सालारपुर	कुंवर गांव	10	115
4.	जगत	सरवानू	10	99
		गुलड़िया	10	
5.	दातागंज	दातागंज	13	103
6.	म्याऊँ	ककराला	25	134
		अलापुर	14	
7.	उसावा	उसैत	10	80
		उसांवा	10	
8.	बिसौली	बिसौली	25	83
		मुड़िया	10	
9.	वजीरगंज	बजीरगंज	12	78
		सैदपुर	110	
10.	इस्लामनगर	इस्लामनगर	15	91
		रूदायन	10	
11.	आसफपुर	फैजगंज बेहट	10	92
12.	अम्बियापुर	बिल्सी	25	87
13.	सहसवान	सहसवान	25	102

14.	रजपुरा	गवा	10	112
15.	कादरचौक	---	---	66
16.	दहगवा	---	---	130
17.	समरेर	---	---	106
180	जुनावई	---	---	114

1.4 जनसंख्या—

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद बदायूँ की कुल जनसंख्या 30.69 लाख है। जिसमें 16.67 लाख पुरूष तथा 14.04 लाख महिलायें है।। जिलें में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 5.32 लाख है जोकि कुल जनसंख्या का 17.34 प्रतिशत है जिसमें 2.96 लाख पुरूष तथा 2.36 लाख महिलायें है। विगत दशक में जनसंख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिसमें 21.97 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 35.54 प्रतिशत नगर क्षेत्र में है।

जनपद मुख्य रूप से हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां 64.99 प्रतिशत हिन्दु हैं। 15.40 प्रतिशत मुसलमान हैं तथा शेष 19.61 प्रतिशत में सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्म सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद बदायूं की कुल जनसंख्या 30,69,245 है जिसमें से 16,67,499 पुरूष तथा 14,01,746 महिलाएं है। वर्ष 2001 की उपलब्ध जनगणना को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है।

सारणी 1.2

वर्ष 2001 की जनसंख्या की स्थिति

क्र.सं.	स्तर	सख्या	जनसंख्या			0–6 वय वर्ग जनसंख्या		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तहसीलें	06	1372460	1139533	2511993	278364	247015	525379

2.	नगरपालिकायें	06	180397	161343	341740	30705	27179	57884
3.	नगर पंचायतें	17	114642	100870	215512	22817	20321	43138
	कुल योग		**1667499**	**1401746**	**3069245**	**331886**	**294515**	**626401**

स्रोत– 2001 की जनगणना।

वर्ष 2001 की जनसंख्या से यह प्रदर्शित हो रहा है कि महिलायें कुल जनसंख्या का 45.6 प्रतिशत ही है। जबकि 0–6 वर्य वर्ग की जनसंख्या 20.41 प्रतिशत ही हैं जिसमे से महिलाओं की जनसंख्या 47.02 प्रतिशत है जो कि कुल आबादी 9.60 प्रतिशत है इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जनपद में वर्ष 2001 की जनसंख्या मे पुरूष–महिला अनुपात 54:46 का हैं तथा प्रत्येक 1000 पुरूषों पर 841 महिलाये हैं। इसीलिये यहा महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की अपेक्षाकृत काफी कम है।

वर्ष 1991 की अपक्षा वर्ष 2001 कीं जनसंख्या में 25.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें से 23.27 प्रतिशत वृद्धि पुरूषों की जनसंख्या में तथा 27.94 प्रतिशत वृद्धि महिलाओं की जनसंख्या में हुई है। जनसंख्या में हुई वृद्धि से यह सुस्पष्ट हो रहा है कि पुरूष की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हुई है इसी कारण से पुरूष :महिला अनुपात वर्ष 1991 में 1000:810 से बढ़कर 1000:841 पहुंच गया है। जनसंख्या में हुई वृद्धि विकास खण्ड बार इस प्रकार दर्शायी जा सकती है–

सारणी 1.3

जनसंख्या का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड	1991 की जनसंख्या			2001 की जनसंख्या		
		कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कारदचौक	59269	46867	106136	73036	60084	133120
2.	उझानी	79529	64351	143880	98210	82196	180406
3.	इस्लामनगर	67131	55119	122250	82513	70400	152913
4.	सालारपुर	65779	52629	118408	80602	67286	147888
5.	सहसवान	77034	60896	137930	95013	78620	173633
6.	जगत	75850	61233	137083	93625	79061	172686
7.	गुन्नौर	56358	44081	101039	69138	58350	127488

8.	दातागंज	63786	50334	114120	78933	63917	142850
9.	उसावा	54716	42336	97052	67195	53920	121115
10.	म्याऊ	64648	51023	115671	79790	65778	145568
11.	समरेर	53823	41213	95036	65560	53516	119076
12.	बजीरगंज	68585	56172	124757	84531	72715	157246
13.	अम्बियापुर	74386	59494	133880	91238	75867	167105
14.	गुन्नौर	70106	57381	127487	86433	74226	160659
15.	आसफपुर	71119	57916	129035	87899	73895	161794
16.	बिसौली	80075	65688	145763	98094	83610	181704
17.	रजपुरा	66394	53851	120245	81793	68813	150606
18.	दहगवां	71846	57749	129595	88508	73666	162174
	योग ग्रामीण क्षेत्र	**1220434**	**978933**	**2199367**	**1502111**	**1255920**	**2758031**
	नगर क्षेत्र	**132310**	**116661**	**248971**	**165388**	**145826**	**311214**
	महायोग	**1352744**	**1095594**	**2448338**	**1667499**	**1401746**	**3069245**

स्त्रोत– 1991 तथा 2001 की जनगणना।

वर्ष 1991 की अपेक्षा वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में हुई वृद्धि को विकास खण्ड बार इस प्रकार देखा जा सकता है–

<u>सारणी 1.4</u>

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड	1991 की जनसंख्या			2001 की जनसंख्या		
		अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कारदचौक	9992	7814	17806	12490	9768	22258
2.	उझानी	14285	11437	25722	17856	14296	32152
3.	इस्लामनगर	12233	9997	22230	15291	12496	27787
4.	सालारपुर	10863	8569	19432	13579	10711	24290
5.	सहसवान	16568	13230	29798	20710	16538	37248
6.	जगत	14637	11423	26060	18296	14279	32575

7.	जुनावई	5993	4857	10850	7491	6071	13562
8.	दातागंज	9158	6991	16149	11448	8738	20186
9.	उसांवा	9278	7065	16343	11598	8830	20428
10.	म्याऊ	10392	7961	18353	12990	9951	22941
11.	समरेर	8598	6544	15142	10748	8180	18928
12.	बजीरगंज	11931	9546	21477	14914	11932	26846
13.	अम्यिापुर	19527	15358	34885	24409	19197	43606
14.	गुन्नौर	7415	6162	13577	9269	7702	16971
15.	आसफपुर	15555	12390	27945	19444	15487	34931
16.	बिसौली	16816	13428	30244	21020	16785	37805
17.	रजपुरा	8871	7456	16327	11089	9320	20409
18.	दहगंवां	7253	5958	13211	9066	7448	16514
	योग ग्रामीण क्षेत्र	**209365**	**166186**	**375551**	**261708**	**207731**	**469439**
	नगर क्षेत्र	**26506**	**22510**	**49016**	**33133**	**28137**	**61270**
	महायोग	**235871**	**188696**	**424567**	**294841**	**235868**	**530709**

स्त्रोत– 1991 तथा 2001 की जनगणना।

सारणी 1.5

1991–2001 की जनसंख्या वर्गीकरण

वर्गीकरण	जनसंख्या		कुल जनसंख्या प्रतिशत		क्षेत्रफल	जनसंख्या धनत्व		प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या	
1	2		3		4	5		6	
	1991	2001	1991	2001		1991	2001	1991	2001
ग्रामीण	2199367	2727505	89.83	88.87	5051.20	435.41	539.97	796	830
नगरीय	248971	341740	10.17	11.13	116.80	2131.60	2925.86	877	889
कुल	**2448338**	**3069245**	**100.00**	**100.00**	**5168.00**	**473.75**	**593.89**	**810**	**841**

स्रोत– 1991 एवं 2001 की जनगणना।

सारणी 1.6

आबादी के अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण

वर्गीकरण	जनसंख्या						कुल
	200 से कम	200 से 499	500 से 999	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8
बस्तियों की संख्या	96	324	598	541	205	16	1780

स्त्रोत– 2001 की जनगणना।

जनपद बदायूं की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण यहां गेहूं, चावल, दलहन, इत्यादि के साथ–साथ मैन्था तथा पोस्ता (अफीम) की खेती को भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक लाभ की खेती हैं। जनपद में छः नदियां (गंगा, महावा, स्त्रोत, अरल, मैसोर और राम गंगा नदी) प्रवाहित रहती है तथा छः हो झीलें जनपद को सुशोभित कर रही हैं जनपद की भूमि की बनावट के आधार पर चार भागों (खादर, कठेर, भूड़, कटिहर) में विभाजित किया जा सकता है।

बदायूं एक पुराना ऐतिहासिक नगर होने के साथ ही यहां पर कई दर्शनीय स्थल भी हैं। यहां का घंटाघर, जामा मस्जिद, सूर्य कुण्ड, आर्य समाज, नबाव नौबतराय का मन्दिर देखने योग्य है तथा यहां कछला एवं ककोड़ा गंगा घाटों पर लगने वाला पवित्र मेला दर्शनार्थियों का मन मोह लेता है।

अध्याय–2
जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां का शैक्षिक स्तर पूर्व से ही काफी गिरा हुआ है जिसमें सुधार लाने के लिये माह सितम्बर, 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) प्राथमिक स्तर पर संचालित किया है। शिक्षा की पहुंच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास इसके मुख्य उद्देश्य रखे गये थे। शैक्षिक प्रगति लाने में भी इसका काफी लाभ मिल रहा है। शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्य में तीव्रतर प्रगति लाने तथा प्राथमिक स्तर से ऊपर उच्च प्राथमिक स्तर तक शैक्षिक व्यवस्था दुरुस्त करने एवं गुणवत्ता विकास करने हेतु इस जिले में जिस अभियान का शुभारम्भ किया जा रहा है उसे "सर्व शिक्षा अभियान" नाम दिया गया है।

साक्षरता–

वर्ष 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 24.64 प्रतिशत है जिसमें 33.96 प्रतिशत पुरूष साक्षरता तथा 12.82 प्रतिशत दर महिला साक्षरता की है। जबकि 2001 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 38.83 प्रतिशत है जिसमें से 49.85 प्रतिशत पुरूष साक्षरता तथा 25.53 प्रतिशत महिला साक्षरता है। इस प्रकार वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में साक्षरता दर 25.40 प्रतिशत बढ़ी है जिसमें से 17.58 प्रतिशत पुरूष साक्षरता तथा 57.25 प्रतिशत महिला साक्षरता बढ़ी है इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वर्ष 2001 में पुरूष की अपेक्षा महिला साक्षरता दर बढी है। अतः जनपद की साक्षरता की सम्पूर्ण स्थिति इस प्रकार दर्शायी जा रही है–

सारणी 2.1

1991 की साक्षरता की स्थिति

क्र0सं0	जनपद की साक्षरता दर	प्रतिशत		प्रतिशत वृद्धि
		1991	2001	
1.	कुल साक्षरता	24.64	30.90	25.40
2.	कुल पुरूष साक्षरता	33.96	49.85	17.58
3.	कुल महिला साक्षरता	12.82	25.53	99.14
4	कुल ग्रामीण साक्षरता	20.75	28.87	39.13
5	कुल ग्रामीण पुरूष साक्षरता	30.54	38.49	26.03
6.	कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	8.11	17.34	113.81
7.	कुल नगरीय साक्षरता	42.62	47.12	10.56
8.	कुल नगरीय पुरूष साक्षरता	50.63	51.84	2.39
9	कुल नगरीय महिला साक्षरता	33.34	41.83	25.46

स्रोत। 1991 तथा 2001 की जनगणना।

जनपद की कुल साक्षरता की स्थिति का अवलोकन करने के उपरान्त विकास खण्ड बार साक्षरता की स्थिति अवलोकित की जा सकती है

सारणी 2.2

विकास खण्ड बार साक्षरता

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1.	कादरचौक	27.69	6.44	17.60
2.	उझानी	39.10	13..44	26.27
3.	इस्लामनगर	34.29	9.33	21.81
4.	सालारपुर	34.29	9.52	21.89
5.	सहसवान	22.71	4.82	13.76
6.	जगत	36.78	11.08	23.93
7.	जुनावई	25.07	4.08	14.57
8.	दातागंज	31.55	9.36	20.45
9.	उसांवा	27.36	6.47	16.91
10.	म्याऊँ	36.82	10.62	23.72
11.	समरेर	30.67	7.33	19.00
12.	बजीरगंज	36.51	10.35	23.43
13.	अम्बियापुर	33.03	9.71	21.37
14.	गुन्नौर	23.39	3.81	13.60
15.	आसफपुर	37.69	10.63	24.16
16.	बिसौली	37.23	10.42	23.82
17.	रजपुरा	19.58	3.40	11.49
18.	दहगंवां	17.35	3.76	10.55
	कुल विकास क्षेत्र	30.54	8.11	20.75
	नगर क्षेत्र	50.63	33.34	42.62
	कुल साक्षरता	24.64	33.96	12.82

स्त्रोत-- 1991 की जनगणना ।

[illegible] 1991 की [illegible] के अनुसार विकास खण्ड बार साक्षरता दर का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि सबसे कम साक्षरता विकास खण्ड दहगवां [illegible] प्रतिशत है [illegible] अधिक साक्षरता विकास खण्ड उझानी में 26.87 प्रतिशत है।

[illegible] की पुरुष [illegible]रता दर 33.96 प्रतिशत के सापेक्ष सबसे कम साक्षरता विकास खण्ड दहगवां में 17.35 प्रतिशत है जबकि सबसे अधिक साक्षरता [illegible] उझानी में [illegible] प्रतिशत है।

[illegible] की महि[illegible] [illegible]क्षरता दर 25.83 प्रतिशत के सापेक्ष सबसे कम साक्षरता विकास खण्ड रजपुरा में 6.08 प्रतिशत है जबकि सबसे अधिक साक्षरता विकास खण्ड उझानी में [illegible] प्रतिशत है।

[illegible] 2001 की [illegible]ना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 3069245 तथा साक्षरता दर 38.83 प्रतिशत है जिसमें पुरुष जनसंख्या 1667499 तथा साक्षरता 49.85 प्रतिशत [illegible] महिला जनसंख्या 1401746 तथा साक्षरता 25.53 प्रतिशत है।

सारणी 2.3

वर्ष 2001 की जनसंख्या एवं साक्षरता

क्र0सं0	स्तर	संख्या	जनसंख्या			साक्षरता		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तहसील	06	1372460	1139533	2511993	517429	184320	701749
2	नगर पालिका	06	180397	161343	341740	93519	67492	161011
3	नगर पंचायत	17	114642	100870	215512	54908	30809	85717
कुल योग			1667499	1401746	3069245	665856	282621	948477

स्रोत - 2001 की जनगणना

सारणी 2.4

वर्ष 1991 एवं 2001 की साक्षरता का तुलनात्मक विवरण

क्र0सं0	स्तर	1991			2001		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	साक्षर जनसंख्या	367147	109334	476481	665856	282621	948477
2.	साक्षरता प्रतिशत	33.96	12.82	24.64	49.85	25.53	38.83

स्रोत– वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना ।

शैक्षिक संस्थायें –

जनपद में प्रत्येक 1757 जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय है तथा प्रत्येक 8794 जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो कि काफी कम हैं। जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2000–2001 की ई0एम0आई0एस0 एवं एम0पीएस0 के अनुसार इस प्रकार दर्शायी गयी है–

सारणी 2.5

वर्ष	6–11 आयु वर्ग के कुल बच्चे			कुल छात्र नामांकन			जी0ई0 आर0	6–11 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति के कुल बच्चे			अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन			जी0ई0 आर0
	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका		योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000–01	441183	262620	178563	405888	242065	163823	92%	192885	105831	87054	104672	59868	44804	54.27%
2002–03	515225	539788	225437	482440	280615	201825	93.63	199383	107262	92121	128854	71536	57318	64.62%

स्त्रोत– वर्ष 2001 की ई0एम0आई0एस0 एवं एम0पी0एस0 रिपोर्ट ।

वर्ष	11–14 आयु वर्ग के कुल बच्चे			कुल छात्र नामांकन			जी0ई0 आर0	11–14 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति के कुल बच्चे			अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन			जी0ई0 आर0
	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका		योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2001–02	273017	163810	109207	92885	55731	37154	34%	40758	23322	17436	31523	17802	13721	77.34
2002–03	223484	131222	92262	118346	96526	48820	52.9	49258	26740	19512	38569	22251	16318	78.29

जनपद में प्राथमिक वि0 की उपलब्धता

कुछ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1747 तथा मान्यताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 192। कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 340 तथा मान्यता प्राप्त 353 है। जनपद में हाई स्कूल 46 तथा इण्टरमीडियट कालेज 58 हैं। जो जनसंख्या की दृष्टि से कम हैं। विकास खण्ड कादरचौक, दहगवां, समरेर में कोई भी इण्टर कालेज नहीं है।

सारणी 2.6
जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

क्र0सं0	विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-	प्राथमिक विद्यालय	1670	77	1747	254	192	446	1929	269	2198	254	21	275
2-	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय	–	—	—	06	16	22	06	16	22	—	—	—
3-	उच्च प्राथमिक विद्यालय	343	06	349	107	46	153	350	46	396	38	06	44
4-	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	01	02	03	46	23	69	47	25	72	--	--	--
5-	केन्द्रीय विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6-	नवोदय विद्यालय	01	--	01	--	--	--	01	--	01	--	--	--
7	हाईस्कूल	02	01	02	31	13	44	32	14	46	--	--	--

8-	इन्टरमीडियेट	01	02	03	38	17	55	39	19	58	--	--	--
9-	डिग्री कालेज	01	--	01	03	01	04	03	01	04	--	--	--
10-	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	--	--	--	02	--	02	02	--	02	--	--	--
11-	विश्व विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12-	तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0/ पॉलीटेक्निीक	02	--	02	--	--	--	02	--	02	--	--	--
13-	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाये	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	08	08
14-	आगनवाडी केन्द्रों की संख्या	531	--	531	--	--	--	531	--	531	--	--	--
15-	मकतब / मदरसे	--	--	--	08	03	11	08	03	11	14	--	14
16-	संस्कृत पाठशालाये	--	--	--	07	03	10	07	03	10	--	--	--
17-	मूक बधिर विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18-	बाल श्रमिक विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्रोत– कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक / कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / कार्यालय अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जनपद बदायूँ ।

स्कूल चलो अभियान की प्रगति, 2003–04

जनपद का नाम : बदायूँ ।

बच्चो की कुल संख्या	हाउस होल्ड सर्वे में चिहिन्त बच्चे							जुलाई तक नामांकित बच्चे						
	5 से 6 +		7 से 10 +		11 से 14		योग	5 से 6 +		7 से 10 +		11 से 14		योग
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
741709	45396	38579	38012	40331	29796	32381	224462	39605	35216	30250	35305	24620	26450	191442

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)–

जनपद में परिषदीय विद्यालयों मे शिक्षकों की उपलब्धता उनके स्वीकृत पद, कार्यरत पद, रिक्त पद एवं स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या से लगायी जा सकती है–

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–अध्यापक अनुपात 105 : 1 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–अध्यापक अनुपात 57 : 1 है। जिसका विवरण निम्नवत है :–

परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र तथा अध्यापक अनुपात की तुलनात्मक स्थिति

विकास खण्ड	प्रा0			उच्च प्रा0		
	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या	पी. टी. आर	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या	पी. टी. आर
उझानी	25212	297	84 : 1	2425	68	35 : 1
अम्बियापुर	20424	162	126 : 1	2708	35	77 : 1
सहसवान	19621	148	132 : 1	1620	35	46 : 1
कादरचौक	21722	171	127 : 1	2815	39	72 : 1
दहगवां	15511	108	143 : 1	1622	20	81 : 1
जुनावाई	17109	176	97 : 1	1879	31	60 : 1
राजपुरा	20[illegible]31	157	132 : 1	1365	28	48 : 1
गुन्नौर	22690	186	121 : 1	2246	47	47 : 1
बिसौली	22621	171	132 : 1	2751	41	67 : 1
इस्लामनगर	16321	173	94 : 1	2536	42	60 : 1
आसफपुर	22315	174	128 : 1	2551	36	70 : 1
वजीरगंज	18311	205	69 : 1	3320	55	60 : 1
सालारपुर	21796	270	80 : 1	2699	60	44 : 1
समरेर	17460	168	103 : 1	2576	21	122 : 1
दातागंज	20116	163	123 : 1	3423	45	70 : 1
जगत	22311	329	67 : 1	2711	68	39 : 1
म्याउ	21137	237	89 : 1	2600	52	50 : 1
उसावा	18122	144	125 : 1	1761	37	47 : 1
योग	363530	3439	105 : 1	43108	758	57 : 1

सारणी 2.7

शिक्षकों की उपलब्धता

क्र0सं0	विद्यालय	सृजित पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	शिक्षा मित्रों की संख्या स्वीकृत	कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राथमिक विद्यालय	5090	3709	1381	1577	1156
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1081	794	287	प्राविधान नहीं है	

स्रोत-- 30.09.01 की स्थिति (कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)।

शिक्षा गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत जनपद में 2001 से शिक्षा घर विकास खण्ड सहसवान, जुनाबई तथा दहगवां में संचालित किए गए तथा विकासखण्ड ओरगवा कादरचौक म्याऊ दातागंज, सलारपुर और वजीरगंज, तथा अम्यिापुर में विद्या केन्द्र संचालित किए गए। जिसका विवरण निम्नवत है –

सारणी 2.7 अ

शिक्षा गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत संचालित शिक्षा घर तथा विद्या केन्द्र का विवरण

वर्ष	शिक्षा घर		विद्या केन्द्र	
	स्वीकृत	संचालित	स्वीकृत	संचालित
2000–01	48	32	132	132
2001–02	48	32	132	132
2002–03	48	32	132	114
2003–04	48	32	132	114

सारणी 2.8

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

क्र0सं0	मद	1 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध विद्यालय
1	2	3	4	5
1	ऐसे ग्रामों बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक हो	857	1869	170
2	ऐसे ग्रामों / बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम हो	194	723	48

स्रोत– कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ ।

जनपद मे 224 असेवित बस्तियां ऐसी हैं जिनमें 1.5 कि0मी0 की परिधि में एक भी प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है अतः ऐसी 224 असेवित बस्तियों को सेवित करने के लिये 134 नवीन प्राथमिक विद्यालय और खोलने पड़ेंगे जिनकी सूची इस प्रकार प्रस्तावित की जा रही है–

सारणी 2.9

नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र0सं0	विकास खण्ड	क्र0सं0	बस्ती का नाम	जनसंख्या	प्रा0वि0 से दूरी (कि0मी0 में0)	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	कादरचौक	1.	गणेश नगला	300	3	कचौरा
		2.	सिरसा	460	3	वाराचिर्रा
		3.	मुंशी नगला	620	2	मुगर्रा टटेही
		4.	धौंकल नगला	350	2	ककोड़ा
		5.	खुड़ारा	610	2	गढ़िया गंगवरार
		6.	नरायनपुर	500	2	भोजपुर
		7.	सिसौरा	400	2	मिठौली मिर्जापुर

		8.	सिरैंईया नगला	500	2	निजामाबाद
		9.	मुस्कारा	441	2	भूड़ा भदरौल
		10.	खर्गी नगला	510	1.5	ककोड़ा
		11.	जिंसी नगला	550	1.5	ककोड़ा
		12.	बरौरा	414	1.5	बरौरा
		13.	पचौरी नगला	300	1.5	वोंदरी
		14.	बबूल नगला	400	1.5	कुढ़ाशाहपुर
2.	उझानी	15.	सामन्ती नगला	597	1.5	पिपरौल
		16.	इटौआ	507	1.5	फूलपुर
		17.	कोठी नगला	475	1.5	हरहरपुर
3.	इस्लामनगर	18.	जगत सैदसराय	405	2.0	जमवुआ
		19.	खंजनपुर	300	2.0	सैफुल्लागंज
		20.	गोपालपुर	380	2.0	ईखखेड़ा
		21.	छिबऊखुर्द	385	2.0	नागरपुखरा
		22.	रसूलपुर सवगा	481	1.5	चिड़ियाखेड़ा
		23.	राजकुमार मढैइयां	490	1.5	चंदोई
		24.	सबहानगर	428	1.5	अल्लहपुर
		25.	पपरौल	461	1.0	चन्दोई
		26.	कुन्दनपुर	378	1.0	दियौरा
[illegible]	सालारपुर	27.	नवादा	400	3.0	बिलहैत
		28.	भेंटगंज	798	3.0	विछुरैया
		29.	भटौली	600	2.5	नरऊवसा
		30.	बल्लिया	386	2.5	ब्यौर
		31.	वहोरपुरा	740	2.0	मौहमदी
5.	सहसवान	32.	अठगौना	383	3.0	अठगैना
		33.	सिठौलिया खाम	390	3.0	इकारा पुख्ता
		34.	भीकमपुर टप्पा	390	3.0	भीकमपुर टप्पा
		35.	भगरौलिया	387	5.0	इकारा पुख्ता
		36.	सेमरावनवीर पुर	305	5.0	सेमरावनवीरपुर
		37.	पीतमनगर	390	6.0	कौल्हाई
		38.	कयावली	350	3.0	कयावली
		39.	कुकरैया	300	5.0	इकारा पुख्ता

		40.	हमूनपुर	370	3.5	कयावली
		41.	बिहारीपुर	510	4.0	कौल्हाई
		42.	अमनपुर वेला	309	4.0	हरदत्तपुर
		43.	सिकन्दरपुर	719	2.0	अनन्दीपुर
		44.	सुकरूल्लापुर	470	2.0	गंगापुर
		45.	याहियापुर	350	2.0	राजपुर आलमपुर
		46.	गोदीनगला	319	2.0	खितौरा कुन्दन
6.	जगत	47.	छोटा बड़ा परसुरा	549	3.0	गिधौल
		48.	ललबुजिया	633	1.5	ललबुजिया
		49.	धीमरी वृन्दावन	442	2.0	रिजौला
7.	जुनावई	50.	वसीटा	500	2.0	लहरानगला श्याम
		51.	छबीलपुर	400	2.0	हैदराबाद
		52.	रामपुर	500	3.0	सुल्तानगढ़
		53.	सिरौलिया	600	3.0	कीरतपुर
		54.	हुसैनपुर	600	3.0	हिम्मतपुर
		55.	पूरनपट्टी	406	2.0	दुबारी कलां
		56.	हथियाबली	700	2.0	गनूपुरा
		57.	चिंगरिया	545	2.5	मुसावली
		58.	मई हुसैनपुर	775	2.0	मिढनपुर
		59.	चिखारी	743	2.0	चिखारी
		60.	मई हुसैनपुर खाम	596	3.0	मई हुसैनपुर खाम
8.	दातागंज	61	कटकौरा (अकट)	355	3.0	नगरिया खनूँ
		62	सिमरी बौरा	350	2.0	अटसेना
		63.	बुझिया	450	2.0	वीरमपुर
		64.	मुड़िया खेड़ा	350	2.0	सैजनी
		65.	ग्यानपुर	650	1.5	वेला डांडी
		66.	पूरनभेड़ा पट्टी विजा	618	1.5	लालपुर खादर
9.	उसावा	67	जसवन्त नगला	300	3.0	खेड़ा जलालपुर खाम
		68.	खिता नगला	300	3.0	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		69.	मुगरिया नगला	300	3.0	भुण्डी
		70.	तिलोकपुर	400	3.0	मुबारकपुर तिलोकपुर
		71.	निरा नगला	300	3.0	खेड़ा जलालपुर पुख्ता

		72.	मिर्जापुर बसन्त	300	2.0	गढ़िया हरदोपट्टी
		73.	मुबारकपुर	300	2.0	मुबारकपुर त्रिलोकपुर
		74.	चिरानी	580	2.0	कुंवर गांव
		75.	रौता	500	2.0	रिजोला
		76.	तरसुरा	400	2.0	मसूदपुरा
		77.	मंसानगला	350	2.0	उधौली
10.	म्याऊँ	78.	साड़ी	654	2.0	पंगासी
		79.	ककरौआ	618	1.5	म्याऊँ
		80.	वौरा	506	4.0	गूरा
		81.	विरिया डांडा	350	2.0	गुड़ाना
11.	समरेर	82	रम्पापुर कलां	789	2.0	कालाकूड़ा
		83.	कैलयाई	769	2.0	कैलाई
		84.	जयपालपुर	757	1.5	जयपालपुर धनौरा
		85.	वलीमगंज	574	1.5	सिसइया गुताई
		86.	मलिकपुर	531	1.5	जऊआसई
12	वजीरगंज	87.	कादरनारा	363	3.0	कर्गांव
		88.	बरखेड़ा	748	2.0	पैंपल
		89.	नाखिमा	730	2.0	रोटा
		90.	फरोहनगला	579	2.0	रटेड़िया
		91.	जमालपुर	512	3.0	अंगेई
		92.	पुन्नापुर	436	2.0	वदौर
13.	अम्बियापुर	93.	वागरपुर--सागरपुर	509	4.0	मोहम्मद गंज
		94.	फतुल्लागंज	450	6.0	सबदलपुर
		95.	सूरजपुर	452	2.0	धनौली
		96.	पालपुर	432	2.0	बड़नौमी
		97.	रुदैना	380	2.0	धधोसी
14.	गुन्नौर	98.	हुसैनपुर सैलाव	563	1.0	गंगावारा
		99.	खेरिया उत्तम	691	1.0	शाहपुर
		100.	सलेमपुर भूड़	457	1.0	सिकरौरा भूड़
		101.	घुधइया	525	1.5	कुहेरा
		102.	पीपलवाड़ा	882	1.5	उदरनपुर
		103.	अफजलपुर	951	1.5	अफजलपुर

		104.	बंदरई कमालगढ	950	1.5	सिकरौड़ा भूड़
		105.	रूकनाबाद	337	1.0	गुन्नौर अब्दुल हई
		106.	हद्दूदा	330	1.0	मखदूमपुर
15.	आसफपुर	107.	वरगवां	450	2.0	पुरूवाखेड़ा
		108.	सादुल्लानगर	315	1.5	मन्नू नगर
16.	बिसौली	109.	कुढ़ौली	798	1.5	कुढ़ौली
		110.	सुजानपुर	602	2.0	रानेट गोविन्दपुर
		111.	मुवारिकपुर	480	2.0	मुहम्मदपुर मई
17.	रजपुरा	112.	डोहरी	518	2.0	रजपुरा
		113.	सिहपुर	601	2.0	मढ़ावली
		114.	शेरपुर	705	2.0	हिरोनी
		115.	पानीवाड़ा	798	2.0	सैंडोरा
		116.	कमालपुर	725	1.5	लहरारतू
		117.	सलेमपुर	517	2.0	खजुरा
		118.	उम्मेदपुर डांडा	686	3.0	उम्मेदपुर
		119.	पीतम्बरपुर	399	2.5	उम्मेदपुर
		120.	परतापुर	782	1.0	सिंधौला चेत सिंह
		121.	रामपुर खादर	377	2.0	जमालपुर डांडा
		122.	रजापुर	436	2.0	केवलपुर तिपेड़ा
		123.	चमरपुरा	752	3.0	तुमरिया खादर
18.	दहगवां	124.	सूरजपुर	360	2.0	विजय गढ़ी
		125.	सलावतपुर	600	2.0	शेखूपुरा
		126.	आदमपुर	850	3.0	खनूआनगला
		127.	नया गांव	412	3.0	भग ता नगला
		128.	ठेला की मढ़ैया	715	3.5	टोडपुर पटसरी
		129.	शिवारिक	503	3.0	केरई
		130.	चांदन	828	3.0	कमरपुर
		131.	दुधवां	571	2.0	सलावतपुर
		132.	सूरजपुर	702	2.0	लाहौरपुरा
		133.	दूरी अमरत	750	1.5	मिर्जापुर
		134.	संजरपुर	300	2.0	मठौली

स्रोत– कार्यालय जि0 बे0शि0 अधिकारी, बदायूँ । उपरोक्त में वर्ष 2002–07 के परोपेशित प्लान के अन्तर्गत प्राथमिकता तथा आवश्यकता के आधार पर 59 न. प्रा. वि. का प्रस्ताव है।

सारणी 2.10

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

क्र0सं0	मद	3 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	3 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	मानक के अनुसार उ.प्र.वि. की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1	ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक हो	1172	191	191
2.	ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम हो	2496	2	–

स्रोत– कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।?

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2:1 का मानक बनाये रखने के लिये कुल 652 और नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है जो कि नगर क्षेत्र में भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाने की आवश्यकता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता मानक 1:2 के आधार पर इस प्रकार आगणित की गयी है–

सारणी 2.10–1

उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स (जनपद बदायूँ)

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद बदायूँ

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998–99	31190	27566	26589	85345	
1999–00	33409	30340	24193	87941	3.0
2000–01	33698	31377	25700	90775	3.1

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 1999–200 एवं 2000–2001 में क्रमशः 3.0 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी 2.10–2

1997 से 2000 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन बदायूँ

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997–98	52894	30989	83883	63.1	36.9	100
1998–99	53204	32141	85345	62.3	37.7	100
1999–00	53386	34553	87941	60.7	39.3	100
2000–01	55038	35737	90775	60.6	39.4	100
2001–02	59081	38922	98003	60.3	39.7	100
2002–03	63653	42376	106029	59.7	40.3	100
2003–04	68201	46844	115045	59.3	40.7	100

जनपद बदायूँ वर्ष 1997 से डी.पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2003 के बीच 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी 2.10–3

विद्यालयों का ट्रांजिशन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1998–1999	109567	31190	28.5
1999–2000	114325	33409	29.2
2000–2001	115649	33698	29.1
2001–2002	11865	34221	29.4
2002–2003	112670	35319	30.1

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते हैं। अतः जनपद बदायूँ का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिशन दर (अर्थात् कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के लगभग 29 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित होते हैं।

सारणी 2.11

मानक के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आगणन

क्र0सं0	विवरण	ग्रामीण	नगर	कुल
1	2	3	4	5
1.	वर्तमान प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण)	1672	75	1747
2.	प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण)	134	––	134
			योग	1816
3.	1:2 के अनुपात में उच्च प्रा0 विद्यालय			908
4.	वर्तमान में उपलब्ध उ0प्रा0 विद्यालय	299	6	305
5.	मानक के अनुरूप आवश्यकता			603

यद्यपि मानक के अनुरूप 1:2 के आधार पर 652 अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी किन्तु जनपद में उपलब्ध असेवित बस्तियों को सेवित करने हेतु कुल [illegible]1 अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय ही खोले जाने का निर्णय लिया गया है। जिसका प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार प्रस्तावित है–

यद्यपि मानक के अनुरूप 1:2 के आधार पर 652 अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी किन्तु जनपद में उपलब्ध असेवित बस्तियों को सेवित करने हेतु कुल 191 अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय ही खोले जाने का निर्णय लिया गया है। जिसका प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार प्रस्तावित है–

सारणी 2.12

नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र0सं0	विकास खण्ड	क्र0सं0	बस्ती का नाम	जनसंख्या	प्रा0वि0 से दूरी (कि0मी0 में0)	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	कादरचौक	1.	नूरपुर	3205	5	नूरपुर
		2.	मामूरगंज	1611	7	मामूरगंज
		3.	देवी नगला	800	4.5	कचौरा
		4.	गंगी नगला	995	4	ककोड़ा
		5.	जोरी नगला	1800	5	सुन्दरायन
		6.	रेवा	1081	9	रेवा
		7.	भूड़ा मदरौल	5425	4	गूजामदरौल
		8.	सुर्खा	1690	4	सुर्खा
		9.	अल्लापुर	1494	4	अल्लापुर (चमार)
		10.	मकोड़ा	1447	3	मकोड़ा
		11.	जलालपुर	2502	4	जलालपुर
		12.	मल्लाहमई	992	4	मल्लाहमई अखरामई
		13.	लोहाठेर	1484	3	लोहाठेर
		14.	मुहम्मदगंज	3101	3	मुहम्मदगंज
		15.	भोजपुर	1582	4	भोजपुर
2.	उझानी	16.	फतेहपुर	1569	3	फतेहपुर
		17.	सरकी	2318	3	सरकी
		18.	पटपरागंज	1294	3.5	मलिकपुर
		19.	पलिया मेंहदी	1047	3	सैंजनी
		20.	मुजाहिदपुर	1138	3	मुजाहिदपुर
		21.	जजपुरा	836	3	रहमुद्दीनगर
		22.	दहेमू	2060	3.5	दहेमू
		23.	चौसिंगा	818	3	भैंसोरा

3.	इस्लामनगर	24.	ब्योरा कासिमाबाद	2363	3	ब्योर
		25.	नौना	940	3	नौना
		26.	रफातपुर	1184	4	रफातपुर
		27.	मितरौली	1329	5	मितरौली
		28.	अगरास	1643	3.5	अगरास
4.	सालारपुर	29.	उसैहता	1140	7	उसैहता
		30.	भिदुलिया	965	4.5	भिदुलिया
		31.	ओझा	987	4	ओझा
		32	फरीदपुर	2545	7	फरीदपुर
		33	सिगोई	1849	3	सिगोई
		34	प्रहलादपुर	1305	5	दरावनगर
		35	फकीरावाद	1168	5	फकीरावाद
		36	वनगांवा	1133	3	बनेई
		37	कुण्डरा	1866	9	कुण्डरा
		38	निजामपुर	1459	5	निजामपुर
		39	सिकरापुर	1815	5	सिकरापुर
		40	अहरूइया	1222	4	अहरूइया
		41	कुनार	1062	6	कुनार
5.	सहसवान	42	उघैती सर्की	1910	9	उघैती सर्की
		43	हरदत्तपुर	890	3	हरदत्तपुर
		44	रियानइ कुन्दन	900	3	रियोनइ कुन्दन
6.	जगत	45	मलगांव	885	3	मलगांव
		46	उतरना	2108	3	उतरना
		47	नगला सर्की	2938	3	नगला सर्की
		48	बीबीपुर	1384	3	बीबीपुर
		49	मूसाझाग	1208	3	मूसाझाग
		50	रूपपुर	1127	3	रूपपुर
		51	कुपरी	1017	3	कुपरी
		52	हुरआई	954	3	आसपुर
		53	कुतरई	1508	3	उइमई
		54	मईवूचन	1226	4	मईवूचन
		55	खिरिया रहलू	1972	3	खिरिया रहलू

7	जुनावई	56	लतीफपुर धीर	977	5	लतीफपुर टोडी
		57	चिरवारा	877	3	मैगरा
8.	दातागंज	58	कोली	1640	4	कोली
		59	घिलौर	1305	3	घिलौर
		60	पलिया गूजर	2762	3	पलिया गूजर
		61	पलिया लठू	800	3	पलिया लठू
		62	कुढ़ा पुठिया	1907	3	कुढ़ा पुठिया
		63	उरैना पुख्ता	1487	4	उरैना पुख्ता
		64	महेरा	880	5	किशनी महेश
		65	रोहरी	1668	3	रोहरी
		66	बखतपुर	1266	3	बखतपुर
		67	चिंजरी	1404	4	चिंजरी
		68	छहहू	1212	3	छहहू
9.	उसावा	69	बछेली	1200	3	टिकरा
		70	लिलवां	2500	5	लिलमां
		71	मुहम्मदपुर	950	4	मुगर्रा महानगर
		72	नौली फतुआबाद	1600	4	नौली फतुआबाद
		73	खेड़ा जलालपुर	5000	4	खेड़ा जलालपुर
10.	म्याऊँ	74	मोजमपुर	889	4	चितरी
		75	वमनपुरा	1328	4	चितरी
		76	अभिगांव	1028	4	गौतरा
		77	असधरमई	2367	3	गूरा
		78	करौरी सैदपुर	966	4	गूरा
		79	चितौरा	1784	3	संजरपुर
		80	गोठा	2386	3	संजरपुरा
		81	नसीरनगर	1050	5	म्याऊँ
		82	कैमी	960	3	लभारी
		83	जसारी	916	5	गौतरा प[illegible]
		84	रिठिया	1304	5	रिठिया
		85	म्योति	1100	3	म्योति
		86	वधौरा	1054	3	मौसमपुर
		87	आनन्दपुर	1645	6	आनन्दपुर

		88	फुलच्याई	1148	6	आनन्दपुर
		89	हररामपुर	851	3.5	हररामपुर
		90	जसमा	896	4	गूरा
11.	समरेर	91	समरेर	2289	3	समरेर
		92	बझेड़ा	1228	3	पडेली बझेड़ा
		93	सैनपुरा	1058	3	खुकड़ी का मझरा
		94	नगरिया खुर्द	1899	3	नगरिया खुर्द
		95	ब्राह्मपुर	1278	3	ब्राह्मपुर
		96	किशोरपुर	1027	3	किशोरपुर
		97	मैलापुर	1559	4	मैलापुर
		98	हथनी भूड़	1975	3	हथनी भूड़
		99	मझरा	1445	3	मझारा
		100	गढ़ाह	1991	3	गढ़ाह
		101	सैजनिया	870	3	सैजनियां
		102	कालाकूड़ा	990	3	काला कूड़ा
12.	वजीरगंज	103	मुराव गौटिया	842	4	उरैना
		104	गोपालपुर	1221	3	वजीरगंज
		105	गोटिया	1052	4	वजीरगंज
13.	अम्बियापुर	106	वरनी	1660	3	वरनी ढकपुरा
		107	मिर्जापुर सोरहा	3470	3	मिर्जापुर सोराह
		108	सिद्धपुर चित्रसेन	3240	4	सिद्धपुर चित्रसेन
		109	सीतापुर	1058	3	सतेती गजा
		110	वधौली	940	4	हैवतपुर
		111	गडौली	1676	3	गडौली
		112	निजामपुर	1485	3	निजागपुर
		113	दविहारी	2815	4	दविहारी
		114	वनवेहटा	1785	4	वनबेहटा
		115	भीकमपुर	1290	3	भीकमपुर
		116	सवदलपुर	1915	9	सवदलपुर

		117	जरसैनी	2184	3	जरसैनी
		118	रामपुर टाटा	1155	3	सहसपुर
		119	ओया	862	3	ओया
14.	गुन्नौर	120	रसूलपुर	2039	3	रसूलपुर
		121	मौना नगला	1376	3	मौना नगला
		122	मुडैना	1708	3.5	मुडैना
15.	आसफपुर	123	मानपुर	900	3	नूरगना कौडिया
		124	डढेला	2080	3	डढेला
		125	जैतपुर	1150	3	जैतपुर
		126	सुरैनी पापड़ी	1560	3	सुरैनी पापड़ी
		127	गनगौली	1100	3	गनगौली
		128	पिपरिया	1884	4	पिपरिया
		129	गुलड़िया	2373	3	गुलड़िया
		130	पिंडारा	2452	3	पिंडारा
		131	मुरियारी	1030	3	मुरियारी
		132	अहरोली	4091	3	अहरौली
		133	मुसिया नगला	1520	3	मुसिया नगला
		134	राजटिकोली	1009	4	राजटिकोली
		135	महडौली	1090	3	मेहडोली
		136	बसोमी	1562	3	बसोमी
		137	टोडरपुर	2053	4	टोडरपुर
		138	हरदासपुर	2329	3	हरदासपुर
16.	बिसौली	139	आदपुर	1917	4	आदपुर

		140	मुडियासतारसी	2235	5	मुडियासतारसी
		141	मैथरा	1897	5.5	मैथरा
		142	सैडोंली	3000	4	सैंडोल
		143	धर्मपुर बिहारीपुर	1789	6	धर्मपुर बिहारीपुर
		144	सिद्धपुर कैथोली	1547	4	सिद्धपुर केथोली
		145	रानेट गोविन्दपुर	3211	4	रानेट गोविन्दपुर
		146	तारापुर पाठकपुर	3432	5.5	तारा पाठकपुर
		147	निभैरा सखरपुर	2176	4	निभैरा सखरपुर
		148	साहनपुर	1857	4	साहनपुर
		149	चन्दपुर	2565	8	चन्दपुरा
		150	पनौडी	2350	5	पनौडी
		151	कालूपुर	4398	6	कालूपुर
		152	सिचौली	2418	5	सिचौली
		153	सर्वा	2456	5	सर्वा
		154	रतनपुर	3201	3	रतनपुर
		155	नसरौल	4500	5	नसरौल
		156	रायपुर कलां	2500	3	रायपुर कलां
		157	भिलौलिया	2382	5	भिलौलिया
		158	गंधरौली	1975	3	गंधरौली
		159	छिवऊकलां	3577	5	छिवऊकलां
		160	गोविन्दपुर शि0 नगर	1800	5	गोविन्दपुर शि0 नगर

17.	रजपुरा	161	बसन्तपुर डांडा	1527	7	बसन्तपुर डांडा
		162	सिंगलनपुर	917	7	बसन्तपुर डांडा
		163	जमालपुर डांडा	1187	5	जमालपुर
		164	सिंहावली	1187	5	सिंहावली
		165	भीकमपुर जागीर	1486	4	भीकमपुर जागीर
		166	भीकमपुर जेमी	1836	8	भीकमपुर जैमी
		167	सिधौली कल्लू	1931	5	सिधौली कल्लू
		168	रामपुर मोहकम	970	5	रामपुर मोहकम
		169	वेहट करन	1396	4	वेहटकरन
		170	रसूलपुर	1236	3	रसूलपुर
		171	भैंसरोली	1121	4	भैंसरोली
		172	खजुराइनायतगंज	986	4	खजुरा इनायतगंज
		173	पहलबाग	1105	4	पहलवाग
		174	हिरोनी	2707	3	हिरोनी
		175	भईयांपुर	1314	4.5	भईयापुर
		176	हैमदापुर	1027	3.5	हैमदपुर
		177	सिकन्दपुर खागी	1446	3	सिकन्दपुर खागी
		78	फैजपुरा	1200	3	फैजपुर
		179	मवावला	1035	3	उदरनपुर
18	दहगवा	180	टोडपुर करसरी	1050	3	टोडपुर करसरी

		182	सलावतपुर	800	3.5	सलावतपुर
		183	उसमानपुर	1386	4	उसमानपुर
		184	गोवरा	1230	3	गोवरा
		185	सुजावली	4000	3.5	सुजावली
		186	वागवाला	3100	3.5	वागबाला
		187	भोजीपुरा	1273	3	भोजीपुरा
		188	सोवरनपुर	1391	3	सोवरनपुर
		189	मोरूवाला	823	8	मोरूवाला
		190	मदारपुर	1017	3	मदारपुर
		191	मालपुरततरा	2000	3	मालपुरततरा

स्रोत' जि0बे0शि0 अधिकारी, कार्यालय, बदायूँ ।

उपरोक्त में वर्ष 2002–07 में परस्पेक्टिव प्लान के अन्तर्गत प्राथमिकता तथा आवश्यकता के आधार पर 75 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। जिन्हें क्रमशः वर्ष 2002–2003 तथा वर्ष 2003–2004 में क्रमशः 25 एवं 50 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलकर लक्ष्य को पूरा किया गया है।

नामांकन–

जनपद में अभी कराये गये हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर विकास खण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन निम्न तालिका द्वारा दर्शाया जा रहा है–

सारणी 2.13

परिषदीय प्राथमिक स्तर नामांकन (30/8/2003)

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	कादरचौक	11939	8688	20627
2.	उझानी	13961	10646	24607
3.	इस्लामनगर	10306	7251	17557
4.	सालारपुर	11836	9422	21258
5	सहसवान	11705	7931	19636
6.	जगत	11681	10153	21834
7.	जुनावई	10280	5876	16156
8.	दातागंज	11619	8768	20387
9	उसांवा	9386	8136	17522
10	म्याऊँ	11422	8911	20333
11.	समरेर	9352	7326	16678
12.	बजीरगंज	10227	8014	18241
13.	अम्बियापुर	11315	8474	19789
14.	गुन्नौर	13648	8552	22200
15	आसफपुर	15105	9853	24958
16.	बिसौली	12680	9581	22261
17	रजपुरा	13706	6456	20162
18.	दहगंवा	10362	5680	16042
	योग ग्रामीण क्षेत्र	210530	129678	340208
	योग नगर क्षेत्र	7244	7130	14374
	कुल योग	217774	136808	354582

स्रोत : कार्यालय जि०बे०शि०अ० [illegible] बदायूं।

जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विगत वर्षो का नामांकन इस प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है।

सारणी 2.14

नमांकन – परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (1996–2001)

क्र0सं0	वर्ष	सामान्य			अनुसूचित			पिछड़ी			अल्पसंख्यक			कुल संख्या		
		कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1996	2490	2095	1788	2051	1475	1118	3533	2815	2353	1472	1165	927	9546	7550	6186
2.	1997	2539	2150	2024	2209	1657	1345	3618	2932	2315	1806	1332	1012	10172	8071	6696
3.	1998	2634	1874	1910	2390	2027	1590	3724	3125	3050	1801	1433	1156	10549	8459	7706
4	1999	2546	2016	1801	2712	2120	1698	4351	3336	2859	1974	1868	1366	11583	9340	7724
5.	2000	2484	1939	1843	3309	2495	2109	4653	3996	2979	2167	1720	1441	12613	10150	8372
6.	2001	2519	1967	1985	3807	2867	2171	4822	4132	3358	2917	2157	1559	14065	11123	9073
7	2002	2581	2001	2022	3874	2917	2210	4907	4208	3427	2988	2226	1596	14350	11352	9255
8	2003	2626	2046	2057	3942	2969	2265	4993	4292	3497	3055	2274	1639	14616	11581	9458

स्रोत– का0 जि0बे0शि0 अधिकारी, बदायूँ ।

जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माह अगस्त, 2003 का नामांकन इस प्रकार दर्शाया जा रहा है।

सारणी 2.15
नमांकन – परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (माह अगस्त 2003)

क्र0स0	कक्षा	सामान्य			अनुसूचित			पिछड़ी			अल्पसंख्यक			कुल संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	1896	802	2698	2736	1287	4023	4079	1048	5127	2152	984	3136	10863	4121	14984
2.	7	1352	703	2055	2214	774	2988	3591	701	4292	1662	679	2341	8819	2857	11676
3	8	1473	596	2069	1711	538	2249	2887	596	3483	1093	588	1681	7164	2318	9482
	योग	4721	2101	6822	6661	2599	9260	10557	2345	12902	4907	2251	7158	26846	9296	36142

स्रोत– माह सितम्बर, 2002 (कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ) ।

जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों की विकास खण्ड वार एवं विषयवार स्थिति इस प्रकार है–

सारणी 2.16
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकासखण्ड बार एवं विषयवार अध्यापकों की स्थिति

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालयों की संख्या	प्रधान अध्यापक	विज्ञान	संस्कृत	उर्दू	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कादरचौक	19	6	2	—	12	16	36
2.	उझानी	21	7	9	3	6	36	61
3.	इस्लामनगर	17	2	6	7	5	21	41
4.	सालारपुर	21	5	5	5	3	36	54
5.	सहसवान	17	5	3	5	3	22	38
6	जगत	24	9	15	2	9	34	69
7	जुनावई	18	7	3	2	2	19	33
8	दातागंज	22	5	3	2	2	31	43
9	उसावां	15	2	3	--	9	23	37

10.	म्याऊँ	23	3	7	8	12	23	53
11.	समरेर	20	5	3	2	——	22	32
12	वजीरगंज	19	5	5	5	5	36	56
13.	अम्बियापुर	22	4	8	——	2	21	35
14	गुन्नौर	21	3	5	4	3	32	47
15.	आसफपुर	16	2	5	1	——	26	34
16.	बिसौली	16	3	6	8	2	25	44
17.	रजपुरा	13	3	7	8	——	10	28
18.	दहगवां	19	1	7	2	3	9	22
	योग ग्रामीण क्षेत्र	343	77	102	64	78	442	763
	योग नगर क्षेत्र	06	06	06	02	05	12	31
	कुल योग	349	83	108	66	83	454	794

स्रोत-- का0जि0बे0शि0अ0 बदायूं ।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें -

जनपद में पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है—

सारणी 2.17

प्राथमिक विद्यालय स्तर

क्र0सं0	प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर	योग
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1670	77	1747
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	0	03	03
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	1068	27	1095
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	502	24	526

	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	86	22	108
	पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	12	01	13
	पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	02	0	02
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय			
	लघु मरम्मत योग्य विद्यालय	40	09	49
	वृहत् मरम्मत योग्य विद्यालय	0	0	0
4.	शौचालय युक्त विद्यालय	1624	21	1647
5.	स्वच्छ पेयजल (हैण्ड पम्प) युक्त विद्यालय	18	0	18
6.	चाहरदीवारी युक्त विद्यालय	297	10	307

स्रोत : जि0बे0शि0अ0, बदायूं ।

जनपद में वर्तमान में कुल 1747 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 1670 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 77 विद्यालय नगर क्षेत्र में हैं । संचालित विद्यालयों में कुल 4274 कक्षा–कक्ष हैं जिनमें से 4052 कक्षा–कक्ष ग्रामीण क्षेत्र में तथा 222 कक्षा–कक्ष नगर क्षेत्र में हैं, जोकि नामांकन तथा मानक के अनुसार भी काफी कम हैं । जनपद में 1647 विद्यालयों में शौचालय, 1669 विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था एवं 307 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है तथा 49 विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं । इस प्रकार 100 प्राथमिक विद्यालय शौचालयों एवं 18 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था तथा 1101 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग की जा रही है। शेष लघु मरम्मत एवं चाहरदीवारी हेतु व्यवस्था अन्य स्रोतों से की जायेगी।

सारणी 2.18

उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र0सं0	उच्च प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर	योग
1	2	3	4	5
1	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	343	06	349
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	00	--	00
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	00	00	00
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	155	02	157
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	178	01	179

	पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	09	02	11
	पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	01	---	01
2.	मरम्मत योग्य विद्यालय	71	4	75
	लघु मरम्मत योग्य विद्यालय	3	2	5
	वृहत् मरम्मत योग्य विद्यालय	0	0	0
3	शौचालय युक्त विद्यालय	28	04	285
4.	स्वच्छ पेयजल (हैण्ड पम्प) युक्त विद्यालय	325	04	329
5.	चाहरदीवारी युक्त विद्यालय	239	05	244

स्रोत:- का0जि0बे0शि0अ0, बदायूँ ।

जनपद में वर्तमान में कुल 349 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें से 343 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में एवं 6 विद्यालय नगर क्षेत्र में संचालित हैं। संचालित समस्त 349 विद्यालयों में कुल 1249 कक्षा–कक्ष हैं जिनमें से 1227 कक्षा–कक्ष ग्रामीण क्षेत्र में तथा 22 कक्षा–कक्ष नगर क्षेत्र में हैं जोकि मानक के अनुसार एवं नामांकन के अनुसार काफी कम हैं । जनपद में 285 विद्यालयों में शौचालय, 329 विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था तथा 244 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है तथा 5 विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं । इस प्रकार कुल 5 मरम्मत योग्य विद्यालयों में से 3 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हैं तथा 2 विद्यालय नगर क्षेत्र में है। इस प्रकार 64 विद्यालयों में शौचालय, 496 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 20 विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की मांग की जा रही है। 5 विद्यालय लघु मरम्मत एवं 105 विद्यालयों में चाहरदीवारी हेतु कोई मांग नहीं की जा रही जिसे अन्य स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

सारणी 2.19

भौतिक सुविधाओं की मांग

क्र.सं0	सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी0पीई0पी0 द्वारा प्रावधानित	मांग	कमी (मानक के अनुसार)	डी0पी0ई0पी0 द्वारा प्रावधानित	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नवीन विद्यालय	95	36	59	652	---	91

3.	कक्षा -3	45750	62397	79076	80313	72733	79540
4.	कक्षा 4	29670	39274	52525	64949	51305	62497
5.	कक्षा 5	21165	27136	34851	44300	42339	43721
	योग	285867	323979	375302	404798	328022	354917
6.	जी0ई0आर0 : कुल	51.58	77.86	98.57	105.81	106.1	108.0
7.	बालिका	50.28	59.08	80.05	97.61	98.1	98.6
8.	एन0ई0आर0 : कुल	43.53	69.62	86.32	97.51	98.2	98.4
9.	बालिका	41.86	52.55	69.91	82.53	88.6	91.3
10.	छात्र कक्षा–कक्ष अ0	100:1	93:1	107:1	116:1	80 : 1	83 : 1
11.	छात्र अध्यापक अनुपात	69:1	74:1	77:1	84:1	68 : 1	74 : 1

स्रोत – पक्षेपण ।

उक्त तालिका को देखते हुये सुस्पष्ट होता है कि जनपद के नामांकन में वर्ष 1997–98 की अपेक्षा 1998–99 में 13.33 प्रतिशत; वर्ष 1998–99 की अपेक्षा 1999–2000 में 15.84 प्रतिशत तथा वर्ष 1999–2000 की अपेक्षा 2000–2001 में 7.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–02 में जी.ई.आर. 19% की वृद्धि तथा वर्ष 2002–3 में 1% की वृद्धि हुई है। जबकि छात्र अनुपात में 68 : 1 के अनुपात में 74 : 1 हो गया है जो विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। कक्षा कक्ष छात्र अनुपात में भी वृद्धि हुई है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि जनपद में प्राइमरी कक्षा–5 उत्तीर्ण कर अधिक से अधिक बच्चें उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं । जिससे उच्च प्राथमिक शिक्षा की मांग निरन्तर बढ़ रही है।

डी0पी0ई0पी0 संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारणी 2.21

प्राथमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक अध्यापकों की तुलनात्मक स्थिति

क्र0सं0	विवरण	1997–1998	2001–2002	2003 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1465	1688	12.35
2.	परिषदीय प्राथमिक अध्यापक	4061	3709	(–)9.49

स्रोत: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ ।

उक्त तालिका से सुस्पष्ट है कि गत तीन वर्षो में विद्यालयों की संख्या में 14.81 प्रतिशत वृद्धि तथा अध्यापकों की संख्या में 9.49 प्रतिशत की कमी हुई है। इससे प्रतीत होता है कि विद्यालयों की उपलब्धता बढी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में अच्छे प्रयास हुये हैं औसत रूप से विद्यालयों की संख्या में 4.12 प्रतिशत वृद्धि तथा अध्यापकों की संख्या में 3.16 प्रतिशत कमी हुई है।

<u>सारणी 2.22</u>

<u>ड्राप आउट दर</u>

क्र0सं0	वर्ष	कुल	बालिका
1	2	3	4
1.	1997–1998	38.3	36.8
2.	1998–1999	40.8	38.5
3.	1999–2000	36.5	32.6
4.	2000–01	34.2	28.55
5.	2001–02	30.1	25.6

स्रोत– ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट ।

उक्त तालिका से सुस्पष्ट है कि गत पांच वर्षो में बालिकाओं की ड्राप आउट दर बराबर कम हो रही है जिससे बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है इस प्रकार वर्ष 2006–07 तक ड्राप आउट दर शून्य हो जायेगी ।

<u>सारणी 2.23</u>

<u>रिपीटीशन दर तथा प्राइमरी उत्तीर्ण करने में औसत वर्षो की संख्या</u>

क्र0सं0	वर्ष	कुल	बालिका
1	2	3	4
1.	1997–1998	6.65	5.85
2.	1998–1999	5.26	6.38
3.	1999–2000	1.50	6.45
4.	2000–2001	5.6	6.48
5.	2001–2002	5.4	6.4

6.	2002–3003	5.2	6.3
7.	2003–2004	5.1	6.2
8.	2004–2005	5.1	6.1
9.	2005–2006	5.0	6.1
10.	2006–2007	5.0	6.1

स्रोत– ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट।

अध्यापक – छात्र अनुपात (2000–2001) 1 : 74

एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत (2000–2001) निल

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–2001) 83 : 1

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत शिक्षको के अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं तथा शिक्षा मित्रों की भी तैनाती की गयी है। किन्तु अभी भी यद्यपि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के फलस्वरूप छात्र–अध्यापक अनुपात 1:74 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 लाना है। यद्यपि छात्र– कक्षा–कक्ष अनुपात में भी सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1 : 83 प्रतिशत है इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिये अतिरिक्त 496 कक्षा कक्षों के निर्माण की भी आवश्यकता है।

सारणी 2.24

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुपात

क्र0सं0	क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	उ0प्रा0वि0 से सम्बद्ध मा0वि0	योग(4+5)	प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण	1670	343	01	344	5 : 1
2.	नगरीय	77	06	03	9	8 : 1
योग		1747	349	04	353	5 : 1

स्त्रोत– विभागीय आंकड़े माह अगस्त 2003.

यद्यपि माध्यमिक विद्यालयों के 6–8 अनुभागों को भी सम्मिलित करने पर उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 5 : 1 आता है तथापि इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय की सहभागिता तथा विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। इसमें राज्यों की भागीदारी से समयवद्ध समेकित प्रयास द्वारा बेसिक/बुनियादी शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु चिर–अभिलक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान से देश के बुनियादी/प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है । हमारा उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6–14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का है। इस कार्यक्रम के द्वारा स्कूलों की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करना, समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का कार्य एक मिशन के रूप में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिये विभिन्न वर्गों के महिलाओं एवं पुरुषों के सामाजिक अन्तर एव असमानता को समाप्त करने की संकल्पना की गयी है। यह प्रयास किया जायेगा कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाये जो किस प्रकार ड्राप आउट से मुक्त हो ।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हो तथा स्कूल स्तर के साथ–साथ विभिन्न स्तरों में भी क्रियात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। जैसे पंचायती राज्य की विभिन्न संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन, कलाकारों तथा जन प्रतिनिधियों आदि का भी सहयोग प्राप्त कर उनके क्षेत्र का भी विस्तार किया जायेगा ।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया का बहुत महत्व है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बस्ती, मजरा, ग्राम के प्रत्येक परिवार के 0–14 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही शिक्षित युवक–युवतियों तथा अध्यापकों को इसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी हैं। जनपद बदायूं में सर्वप्रथम 1998–99 में तथा दूसरा चरण 2000–2001 में सभी ग्राम वासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जिनकी सूची पहले से तैयार थी एकत्रीकरण किया गया और एकत्र सूचनाएं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं, आवश्यकताओं की पहचान की गयी / सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्न सूचनाएं एकत्र की गयी–

- ग्राम में 0–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या ।
- विद्यालय/अनौपचारिक/आंगनबाड़ी/ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चो की संख्या।

- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण ।
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नही है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं।
- यदि नहीं तो इसके व्यवस्था/सुधार के लिये ग्राम शिक्षा समिति के क्या सुझाव हैं ।
- क्या विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुरूप है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है।
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ।
- शिक्षण कार्य की स्थिति, क्या विद्यालय अपग्रेड किया जाये, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय मे ग्रामवासियो के विचार, क्या विद्यालय में आपका सहयोग अपेक्षित है।
- विकलांग/ अक्षम बच्चों की पहचान।
- वर्तमान/विगत वर्ष मे कितने बच्चों ने विद्यालय छोड़ा है।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात् निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये–

- परिवार सर्वेक्षण
- गांव के शैक्षिक मानचित्रण पर चर्चा
- प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण
- ग्राम शिक्षा समिति द्वारा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी–

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही एवं शिक्षित युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक बैठक बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। शैक्षिक मानचित्र पर ग्राम की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की शैक्षिक व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी ।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयीं–

1. गांव/बस्ती की सम्पूर्ण जनसंख्या;
2. 0–6, 6–11 तथा 11–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या;
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या;
4. पढने न पढने वाले बच्चों की संख्या तथा कारण;
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी;
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान;
7. बालिका शिक्षा की स्थिति ।

उपरोक्त सभी तथ्यों समस्याओं आदि पर गांव के लोग व ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं की समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना को अध्याधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गयी ताकि बस्ती/ग्राम वार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें । इन समस्त आकड़ों का रिकार्ड विकास खण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका । माइक्रो प्लानिंग डाटा को अध्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके । वर्ष 2000–2001 के माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ें एकत्र किये गये उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया ।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवार/बस्ती वार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता के वर्गीकृत व विकास खण्ड वार संकलित किया गया । 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो वर्गो में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वय वर्ग के तथा 9–14 वय वर्ग के समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक इंगित की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हों पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हों अथवा सड़क छात्र/घुमन्तू (स्ट्रीट चिन्ड्रेन) बच्चे ।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन बस्तियों/ग्रामों की सूची तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय स्थापित किये जान का मानक पूरा करते हैं वहां विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया । इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्र कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुये उसकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अध्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिकी योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा ।

नगरीय क्षेत्रों से सर्वेक्षण कर प्राप्त आंकड़ों का सारिणीय व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षो का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिकी कार्य योजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान

जनपद में जुलाई 2002 तथा 2003 में बालक–बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने व शालात्याग समाप्त करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसके कारण वर्ष 2002–2003 मे बालक–बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप ही वातावरण सृजित हुआ। इसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। जिले में शत–प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। दिनांक 28/6/2001 को जिला परियोजना कार्यालय में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित बैठक आयोजित की गयी और स्कूल चलो अभियान की रूप रेखा तैयार की गयी।

दिनांक 30/6/2001 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे अभियान की कार्य योजना तैयार करने हेतु शिक्षा विभाग जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी एवं विभिन्न स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया। उक्त बैठक में स्कूल चलो अभियान के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये–

1. जनपद के समस्त विकासखण्डों पर स्कूल चलो अभियान के लिये खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
2. जनपद के 164 न्याय पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान चलाने के लिये संकुल प्रभारी को न्याय पंचायत का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
3. जनपद की 1069 ग्रम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिये ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडक अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह निर्देश भी दिये गये कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनायेंगे। इसके साथ–साथ जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बदायूँ, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम

अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी, तहसीलदार क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनायेंगे ।

दिनांक 5/7/2001 को बदायूं में विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें नगर के समस्त बच्चों, अध्यापक एवं गणमान्य व्यक्तियों, समाज सेवी संस्थाओं, पत्रकार, नगर शिक्षा अधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारी ने भी प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी महोदय ने स्कूल चलो अभियान रैली का प्रारम्भ हरी झण्डी दिखाकर किया।

दिनांक 6/7/2001 को विकास खण्ड जगत, म्याऊ, कादरचौक एवं उझानी में स्कूल चलो अभियान की विशाल रैली निकाली गयीं। दिनांक 7/7/2001 को वजीरगंज, बिसौली, अम्बियापुर में स्कूल चलो अभियान की रैली निकानी गयी। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यापक तथा बच्चों ने प्रतिभाग किया तथा विकास खण्ड अधिकारी जगत ने हरी झण्डी दिखा कर रैली का प्रारम्भ किया।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम नगर एवं कस्बे में रैलिया निकाली गयीं। स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकित कराने हेतु अध्यापकों अभिभावकों से सम्पर्क किया एवं उनके बच्चों को नामांकित कराया। प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित कराने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित किया । स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्न सारिणी में दी गयी हैं–

वर्ष 2002 तथा वर्ष 2003 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसने वर्ष 2003 में स्कूल चलो अभियान के बाद स्कूल न जाने वाले बच्चे जो अनामांकित रह गये हैं उसका विवरण निम्नलिखित तालिका में विकासखण्डवार प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3.1

स्कूल चलो अभियान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)

विकास खण्ड	6–11 आयु वर्ग		योग	11–14 आयु वर्ग		योग
	बालक	बालिका		बालक	बालिका	
कादरचौक	234	278	512	321	355	676
रजपुरा	576	621	1197	328	367	695
गुन्नौर	620	662	1282	229	241	470
जुनावई	423	458	881	306	329	635
दहगवां	605	676	1281	421	456	877
सहसवान	626	684	1310	509	593	1102
उझानी	222	251	473	662	687	1349
इस्लामनगर	318	341	659	212	249	461
आसफपुर	382	397	779	182	197	379
बिसौली	301	349	650	97	121	218

वजीरगंज	62	104	166	76	84	160
अम्बियापुर	496	529	1025	521	549	1068
म्याउ	518	567	1085	438	483	921
उसावा	527	553	1080	472	488	960
जगत	124	160	284	120	139	359
समरेर	443	479	922	138	161	299
दातागंज	426	483	909	211	265	476
सालारपुर	323	365	690	214	238	452
नगरक्षेत्र	628	712	1340	645	651	1296
	7856	8669	16525	6102	6651	12753

स्रोत–का0जि0बे0शि0 एवं जि0ब0शि0 अधिकारी, बदायूँ ।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्कूल चलो अभियान के तहत यद्यपि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी 16525 बच्चे 6–11 वय वर्ग एवं 13706 बच्चे 11-14 वय वर्ग के शेष रह जाते है जिन्होंने अभी भी किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है। 6–11 वय वर्ग के बच्चों में 7856 बालक एवं 8669 बालिकायें हैं जबकि 11–14 वय वर्ग के बच्चों में 6102 बालक एवं 7451 बालिकायें हैं ।

इस प्रकार यदि 6-11 वय वर्ग एवं 11–14 वय वर्ग के बच्चों की तुलना की जाये तो यह सुस्पष्ट है। इन बच्चों को नामांकन कराने हेतु आवासीय, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, ग्रीष्म कालीन शिविर तथा ए आई ई केन्द्रों को संचालित् करने का प्रस्ताव है। जिसका विवरण निम्न तालिका में रखा गया है –

ई.जी.एस. के अन्तर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न कोर्स

क्रम संख्या	कोर्स का नाम	संख्या	अनुमानित बच्चे
1	आवासीय ब्रिज कोर्स	6	360
2	गैर आवासीय ब्रिज कोर्स	164	8200
3	गैर आवासीय (अनु0 जाति बालिकाओं हेतु)	7	280
4	ग्रीष्म कालीन शिविर	25	1000
5	ए आई ई प्राथमिक स्तर	18	700
6	ए आई ई उच्च प्राथमिक स्तर	14	700
			11440

जनपद बदायूं में स्थानीय विशेष की आवयश्कताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारित किया गया।

जनपद में (डी0पी0ई0पी0) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विगत 4 वर्षों से संचालित है। उसी के वृहत् स्वरूप में सर्वशिक्षा अभियान चालू किया जाना है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग प्राप्त हुआ है और जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

हाऊस होल्ड सर्वे के द्वारा कराये गये विश्लेषण के द्वारा आकलन किया गया कि विभिन्न कारणों से स्कूल न जाने वाले 97417 बालक–बालिकाएं जिनका विवरण निम्नवत सारणी में दर्शाया गया है –

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

क्र.स.	कारण	5 से 6+		7 से 10		11 से 14		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	घरेलू कार्य में लगे होना	3215	3758	4210	–	5301	–	16484
2	भाई बहनों की देखभाल में लगे होना	--	3551	–	6625	–	4802	14978
3	विद्यालयों का न होना	8612	6721	3631	8223	–	6715	33902
4	मजदूरी में लगे होना	–	–	2625	–	2115	–	4740
5	अन्य कारण	8128	4493	4310	1331	5862	3189	27313

सर्वशिक्षा अभियान के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली पुनः अपनायी गयी। जिसमें ग्राम/बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाएं बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1. नियोजन टीम– सर्व शिक्षा अभियान की तैयारी एवं नियोजन करने के लिये डायट प्राचार्य के नेतृत्व में छः सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

2. जिला पंचायत अध्यक्ष बदायूं की अध्यक्षता में दिन 1/10/2001 को जनपद स्तर पर एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें विधायकगण एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा एवं उद्देश्य तथा विशेषताओं पर चर्चा की गयी। बैठक में सुझाव दिये गये कि सभी ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायें तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किये जाये।

3. जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक दिनांक 3/10/2001 को आयोजित की गयी। बैठक में खण्ड विकास अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया।

4. ग्राम स्तर / न्याय पंचायत स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ बैठके आयोजित की गयीं। सर्व शिक्षा अभियान को प्रारम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है। उसकी शिक्षा में क्या–क्या अपेक्षाएं हैं तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। बैठकों के माध्यम से सभी के विचार लिए गये। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी हो सकी। समस्त के विचारोपरान्त पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों का जिले में गठित 6 सदस्यीय टीम ने आंकलन किया। उनमें वे अधिकारी एवं शिक्षक भी सम्मिलित हैं जिन्होंने प्लान बनाने के लिये सीमेट इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप–बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वी0आर0सी0 समन्वयक, समन्वयक, न्याय पंचायत केन्द्र, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों से सहयोग मिला। विभिन्न बैठकों के निष्कर्षो से प्लान को आवश्यकता आधारित प्लान बनाने में सहायता मिली ।

प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह संदेश संकुल प्रभारी के द्वारा दिया गया कि कार्यक्रम पूर्ण रूपेण समुदाय की सहभागिता पर आधारित है। इस की योजना के द्वारा समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकतओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन ग्रास रूट लेबिल प्लानिंग के आधार पर तैयार की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात् इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर वर्ग/समुदाय के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होगा। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में उनकी भागीदारी होगी । स्वयं सेवी संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक रूप से यह जनता का अभियान बन सके।

सारणी 3.2

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र0सं0	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या		बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5		6
1.	जनपद स्तर	28/9/01	डायट, बदायूँ	अध्यक्ष सचिव प्रवक्ता समन्वयक ए0बी0एस0ए0 बी0आरसी0 आदि कुल	1 1 2 5 18 36 63	1. जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक आयोजित करायी जायें । 2. जिला शिक्षा समिति की बेठक आयोजित कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें । 3. समस्त विकास खण्डों/न्यायपंचायतों/ग्राम सभाओं पर बैठके आयोजित कर सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी दी जाये और जन–जागरण किया जाये। 4. सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना तैयार करने हेतु उसे मूर्त रूप दिया जाये।
2.	जनपद स्तर	1/10/01	बदायूँ मुख्यालय	अध्यक्ष विधायक जनप्रतिनिधि अधिकारी कुल	1 4 12 2 19	1. असेवित बस्तियों में विद्यालय स्थापित किये जायें । 2. विद्यालय में अध्यापक पूर्ण किये गये । 3. विद्यालयों के जर्जर भवन बनाये जायें । 4. बालिकाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये।
3.	जनपद स्तर	3/10/01	बदायूं मुख्यालय	अधिकारी जनप्रतिनिधि शिक्षक कुल	30 10 2 42	1. दुर्गम स्थानों पर विद्यालय खोले जायें । 2. गंगा तथा रामगंगा की कटरी वाले क्षेत्र में विशेष गांव को चिन्हित कर विद्यालय खोलें । 3. पशु चराने वाले/वनों में लकड़ी हेतु घूमने वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाये। 4. एटा जनपद के ग्राम जो बदायूं की सीमा में हैं

					उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, विद्यालय खोले जायें ।
4.	ग्राम स्तर	1/10/01	जुनावई	ग्रामबासी 10 अधिकारी 2 कुल 12	1. पशु चराने के कारण शिक्षा के लिये समय ही नहीं मिलता। 2. पूरे समय रहकर शिक्षा ग्रहण विद्यालय में नही कर सकते। 3. अध्यापकों का विद्यालय में कम ठहराव रहता है।
5.	ग्राम स्तर	1/10/01	गुन्नौर	ग्रामवासी 12 अधिकारी 2 कुल 14	1. विद्यालयों में नामांकन की अन्तिम समय सीमा न हो। 2. दुर्गम सीनों पर बदमाशों का भय। 3. सभी भवनों को विद्यालय उपलब्ध कराये जायें । 4. गंगा की कटरी क्षेत्र में विद्यालय बनाये जायें ।
6.	ग्रामस्तर	2/10/01	झुकसा	प्रधान 1 शिक्षक 5 सदस्य वी0ई0सी0 3 ग्रामवासी 8 कुल 17	1. विद्यालय में अध्यापकों का अभाव। 2. ग्राम वासियों को भी विद्यालय से जोड़ा जाये। 3. महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। 4. वालिकाओं के लिये विद्यालय खोले जायें।
7.	ब्लाकस्तर	2/10/01	बिनावर	स0वे0शि0अ0 1 एन0पी0आर0सी0 9 बी0आर0सी0 2 प्रधान 1 वी0ई0सी0 के सदस्य 3	1. भवनहीन विद्यालयों में भवन बनाया जाये । 2. अधिक संख्या वाले स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये जायें । 3. बच्चों के अनुरूप अध्यापक नियुक्त किये जायें ।
8.	ग्रामस्तर	1/10/01	जुनावई	ग्राम-प्रधान 1 अधिकारी 1 सदस्य ग्राम शिक्षा समिति 4	1. 6--14 वय वर्ग के बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन 2. बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को सम्वेदनशील बनाया जाये। 3. विद्यालय का वातावरण अति आकर्षक बनाया जाये

9.	विकास खण्ड	29/9/01	इस्लाम नगर	अधिकारी 4 ग्राम विकास अधिकारी 20 ग्राम प्रधान 35	1. असेवित बस्तियों में विद्यालय स्थापित किये जायें । 2. बालिकाओं के लिये पृथक से उ0प्रा0विद्यालय खोला जाये।
10.	ग्रामस्तर	2/10/01	नगलाशर्की	प्रतिभागी 7 प्रधान 1 प्रधान अध्यापक 1 एन0पी0आर0सी0 1 ए0बी0आर0सी0 1 सदस्य 3	1. 11–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा का अभाव है। उ0प्रा0 विद्यालय खोले जायें । 2. प्रत्येक बस्ती/मजरे में प्रा0 विद्यालय स्थापित किये जायें।
11.	ग्रामस्तर	2/10/01	असरासी	प्रतिभागी 30 ग्रा0 शि0 स0 के सदस्य एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 के सदस्य	1. आवश्यक प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये जायें । 2. बालिकाओं के लिये अलग स्कूल बनाये जायें ।
12.	ग्रामस्तर	1/10/01	गुन्नौर	प्रतिभागी 14	1. नामांकन नियमित रूप से चलना चाहिये । 2. सभी विद्यालयों को भवन उपलब्ध कराये जायें।
13.	ब्लाक स्तर	29/09/01	दातागंज	प्रतिभागी 20	1. अति पिछड़े तथा दुर्गम ग्रामों में भी प्रा0वि0 स्थापित किये जायें । 2. गंगा पार वाले क्षेत्रों में शिक्षक पूरे किये जायें । 3. शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायें ।
14.	ब्लाक स्तर	29/09/01	सहसवान		1. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बालिका स्कूल खोले जायें । 2. दुर्गम स्थानों पर भी विद्यालय तथा शिक्षकों की पूर्ति की जाये । 3. वातावरण सृजन हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायें ।
15.	ब्लाक स्तर	2/10/01	बिसौली		1. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाये । 2. असेवित बस्तियों में विद्यालय स्थापित किये जायें ।

					3. समुदाय की सहभागिता बढ़ायी जाये । 4. प्रत्येक प्रा0 वि0 एवं उच्च प्रा0 वि0 में महिला शिक्षिकाओं को लगाया जाये ।
16.	न्याय पंचायत स्तर	12/10/01	इस्माइलपुर	प्रतिभागी 12 बी0आर0सी0 1 ए0बी0आर0सी0 1 जनप्रतिनिधि 9	1. बालिकाओं के लिये विद्यालय नजदीक गांव में होना चाहिये । 2. विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिये तथा सम्बन्धित कक्षा के स्तर के अनुसार बच्चों को पूरा कोर्स पढ़ाया/सिखाया जाना चाहिये । 3. जन जागरण द्वारा जनमानस की भावना में परिवर्तन लाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये । 4. शिक्षा में बालक एवं बालिकाओं की समानता पर बल दिया जाये । 5. बालिका शिक्षा के लिये आंगनबाड़ी/ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले जायें । 6. उ0प्रा0वि0 में कम से कम एक अध्यापिका की नियुक्ति की जाये ।
17.	न्याय पंचायत	15/10/01	भदरौलिया	प्रतिभागी 33 ग्रामीवासी पुरूष 15 महिलायें 12 अध्यापक 3 अधिकारी 3	1. ऐसे समाज/गांव में जागरूकता पैदा करने के लिये अभिभावक एवं मातृ शिक्षक संघ का गठन किया जाये तथा इसकी नियमित रूप से बैठक की जाये जिसके दौरान शिक्षा के महत्व का विभिन्न दृष्टान्तों/उदाहरणों के द्वारा प्रकाश डाला जायें उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जायें। 2. इस प्रकार के बच्चों के लिये समुदाय के समय के अनुसार ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायें । 3. बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पोषाहार, छात्रवृत्ति के बारे में बताया जाये। 4. अध्यापिकाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर तथा उनका

					अनुश्रवण कर प्रत्येक कक्षा के स्तर में सुधार लाया जाये तथा शिक्षक कार्य प्रभावशाली बनाया जाये।
18.	न्याय पंचायत	20/10/01	नवीगंज	प्रतिभागी 18 प्रधान 1 ग्राम समाज 16 अधिकारी 1	1. शिक्षा रोजगार परक बनायी जाये। स्थान विशेष की समस्यायें को ध्यान में रखते हुये व्यावसायिक शिक्षा दी जाये । 2. शिक्षा को हस्त कला जैसे फर्नीचर बनाना, रस्सी बंटना, फलो का उपयोग करना आदि कार्यो के साथ सिखायी जाये। 3. म्याऊ विकास खण्ड में अमरूद अधिक पैदा होता है वहां अचार डालना, दवाई बनाना, मुरब्बा बनाना आदि सिखाया जाये। साथ ही साथ टमाटर एवं हरी मिर्च के अचार एवं मुरब्बा बनाना सिखाया जाये। इसी तरह आलू के चिप्स बनाने की कला भी बतायी जाये। खजूर से पंखा बनाना, चटाईयां बनाना, झाड़ू बनाना तथा खिनौने बनाने की कला का विकास किया जाये तथा स्थानीय बाजार में सहकारी संस्थाओं के द्वारा क्रय–विक्रय किया जाये। पतार, मूज की रस्सियां, बान तथा पाल बनाने की कला का विकास किया जाये । सन पटसन की रस्सियां बनाना भी सिखाया जाये।
19.	जिला स्तर	21/10/01	डायट, बदायूँ	प्रतिभागी 40 समन्वयक 5 न्याय पंचायत प्रभारी 35	1. विकास खण्ड अम्बियारपुर तथा आसफपुर अति पिछड़े हैं इनके अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं जो दूसरे प्रान्तों/जनपदों/स्थानों में गन्ने के क्रेशर तथा ईंट भट्टों पर काम करने चले जाते हैं। इन विकास खण्डों में ब्रिज कोर्स चलाया जाये एवं बाल श्रमिकों को उसी वर्ग के लोगों द्वारा शिक्षा दी जाये ताकि किसी भी समय उन्हें पढ़ाया जा सके ।

					2. छात्र अध्यापक अनुपात (40:1) का हो तथा प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक अवश्य हो । 3. पैरा टीचर्स को विद्यालय में नियुक्त किया जाये। 4. असेवित बस्तियों में स्कूल खोले जायें । मलिन बस्तियों में स्कूल अवश्य स्थापित किये जायें।
20.	न्याय पंचायत	22/10/01	फरीदपुर	प्रतिभागी 26 महिलायें 10 पुरूष 10 शिक्षक 5 स0 बे0शि0 अधिकारी 01	1. उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में अमरूद से बनने वाले अचार मुरब्बे तथा दवाईयां आदि बनाने की कला का विकास किया जाये। 2. विद्यालय को नजदीक की बस्ति में स्थापित किया जाये। 3. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से विचार विमर्श तथा गोष्ठियां कर उनके विचारों में बदलाव लाये जाने का प्रयास किया जाये।
21	न्याय पंचायत	23/10/01	अरारासी	प्रतिभागी 26 ग्राम प्रधान 1 ग्रा0शि0समि0 के सदस्य 4 ग्रामवासी 15 पशु चिकित्साधिकारी 2 शिक्षक 4	1. स्थान/क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं उत्पन्न फसलों के अनुसार क्राफ्ट शिक्षण की व्यवस्था जैसे- ब्रिज कोर्स/रेमिडियल कोर्स, जहां पर धार्मिक/अल्पसंख्यक समुदाय की बाहुल्यता हो वहां पर मकतब और मदरसों को अधिक सुविधाएं देकर उन्हें समृद्ध करना । 2. 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व लाभ को बताया जाये तथा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के द्वारा उन्हें गतिशील बनाया जाये। 3. पैरा टीचर की व्यवस्था की जाये। 4. आवश्यकतानुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाये तथा आवश्यकता वाले विद्यालयों मे अतिरिक्त कक्षा-कक्ष बनवाये जायें ।

					5. निजी क्षेत्र के माध्यम से स्कूल को फन्ड दिलाया जाये तथा मान्यता की शर्तो को सरल करके निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। 6. विद्यालय में कुर्सी, मेज, टाटपट्टी तथा अध्ययन अध्यापन की सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाये। 7. जुलाई में ही कक्षा एक से पांच तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाये । 8. पात्र छात्रों को पोषाहार एवं छात्रवृत्ति का समय से वितरण सुनिश्चित किया जाये। 9. खेल कूद, संगीत की सामग्री की प्रत्येक विद्यालय में व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में बाल उद्यान / क्यारी की व्यवस्था की जाये जिससे बच्चों में विद्यालय ठहराव की स्थिति बनी रहे । 10. विद्यालयों में व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये।
22.	न्याय पंचायत	29/10/01	आसफपुर	प्रतिभागी 9 ग्राम प्रधान 1 ग्रा0शि0समि0के सदस्य, शिक्षक 7 स0बे0शि0अधिकारी 1	1. 40:1 के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक अवश्य दिया जाये। 2. शिक्षकों को समसामयिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण की नयी विधियों से परिचित कराने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। 3. शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाये तथा जनसमुदाय जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाये। 4. पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाये।

					5. विद्यालय में खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाये जैसे लेजिग, हारमोनियम आदि। 6. शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक बनाया जाये। 7. बच्चों के प्रति वात्सल्य एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाये। 8. जहां विद्यालय न हो वहां पर नवीन विद्यालय खोले जायें। 9. कक्षा–कक्ष की कमी वाले विद्यालयों में नवीन कक्षा–कक्ष बनाये जायें तथा असेवित बस्तियों में ई0जी0एस0 / ए0आई0ए0 केन्द्र खोले जायें । 10. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 11. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अधिक से अधिक विद्यालय खोले जायें । 12. उच्च प्रा. वि. में 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकाओं के लिये स्थान सुरक्षित किये जायें । जिससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक विद्यालय परिसर में बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति निश्चिन्त हो जायें । 13. जनमानस में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति व्याप्त पुरानी विचारधारा कि बालिकाओं को नौकरी नहीं करनी है तो पढ़ाना क्यों आवश्यक है में बदलाव लाया जाये। इसके लिये समय–समय पर महिला सम्मेलन, गोष्ठियां, महिला संसद मीडिया के माध्यम से जन सामान्य में नयी सोच / चेतना पैदा करनी चाहिये। 14. शिक्षा के द्वारा लिंग समानता पर भी बल दिया जाये। 15 अल्पसंख्यक संस्थाओं को शिक्षा की आधुनिक

					नवीन धारा से जोड़ने के लिये प्रयास की आवश्यकता है।
23.	न्याय पंचायत	30/10/01	कुतरई	प्रतिभागी 33 महिलायें 15 प्रधान 01 शिक्षक 02 पुरूष 15	1. उच्च प्राथमिक विद्यालय को नजदीक स्थापित करना अनिवार्य है। 2. छोटे बच्चों के लिये आंगनबाडी/ई0सी0सी0ई0 केन्द्र स्थापित किये जायें । 3. अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाकर गोष्ठियां विचार विमर्श करके उनके विचारों में बदलाव लाने का प्रयास किया जाये। 4. जूनियर विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं को अनिवार्य रूप से तैनात किया जाये।
24.	जिला स्तर	2/11/01	डायट, बदायूँ	प्रतिभागी 35 शिक्षक प्रशिक्षक 32 प्रधान अध्यापक 02 न्याय पंचायत प्रभारी 01	1.छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक विद्यालयों में तैनात किये जायें । 2. दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापक स्थानीय नियुक्त किये जायें। यदि अध्यापक न मिले तो पैरा टीचर्स स्थानीय तैनात किये जायें । 3. प्रा0 तथा उ0प्रा0 विद्यालयों में महिला अध्यापक अनिवार्य रूप से रखे जायें । 4. छात्रवृत्ति नकद न देकर ड्रेस/पाठ्य पुस्तकों के रूप में दी जाये । 5. प्रत्येक विद्यालय में बाउण्ड्री वाल बनवायी जाये । 6. स्थानीय विशेष को दृष्टिगत रखते हुये बालिकाओं को कसीदाकारी/कारचोव का कार्य बालिकाओं को सिखाया जाये ।
25	[illegible]	03/11/01	जिला परियोजना कार्यालय, बदायूँ	प्रतिभागी 23 समन्वयक 18 सह–समन्वयक 05	1. भूड क्षेत्रों में स्कूल खोले जायें । 2. स्थानीय क्षेत्र के पैरा टीचर्स विद्यालयों में तैनात किये जायें ।

				(रजपुरा, वज़ीरगंज, बिसौली, कादर चौक, म्याऊँ, उसावां, सहसवान, जुनावई अम्बियापुर, आसफपुर)	3. उ0 प्राथमिक विद्यालयों में बान बंटने की कला, चटाई बनाना आदि कार्य सिखाया जाये । 4. बस्ती में ही उ0प्र0 तथा प्राथमिक विद्यालय खोले जायें । 5. महिला अध्यापिकाएं नियुक्त की जायें ।
26.	जनपद स्तर	5.5.03	जिला परियोजना कार्यालय, बदायूँ	प्रतिभागी 1. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी 02 2. सा.बे.शि. अधिकारी 14 3. समन्वयक 18 सहसमन्वयक 18 समस्त विकासखण्डों से	1. जनपद के प्रत्येक गांव, मजरा, करबा व नगरके प्रत्येक परिवार का का सर्वेक्षण किया जाए। 2. 0 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं का विवरण अंकित किया जाए। 3. समस्त अध्यापकों, शिक्षा मित्रों तथा ग्राम के शिक्षित युवक–युवतियों के द्वारा सर्वे कराया जाए। 4. प्रत्येक परिवार के आंकडे सम्पर्क कर लिए जाएँ तथा एकत्रिकरण किया जाए।
27.	ब्लाक स्तर पर	11.5.2003	ब्लाक मुख्यालय	प्रतिभागी 1. समस्त न्याय पंचायत प्रभारी 09 2. ब्लाक प्रमुख 01 3. बाल–विकास परियोजना अधिकारी 01	1. 0–14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों का सर्वे किया जाए। 2. समस्त गांव एवं गांव मजरा करबा को चिन्हित किया जाए तथा सर्वे करने वाले का नाम अंकित किया जाए। 3. सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध कराकर कार्य प्रारम्भ किया जाए। 4. समय–समय पर स्थलीय सत्यापन किया जाए।
28.	न्याय पंचायत स्तर पर	13.5.03	न्याय पंचायत केन्द्र पर	समस्त प्रधानाध्यापक प्रा. तथा उ.प्रा. विद्यालय, समस्त ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्राम विकास अधिकारी	1. समस्त सेवित तथा असेवित बस्तियों को चिन्हित कर लिया जाए। 2. असेवित बस्ती में गांव के शिक्षित युवक–युवतियों का सहयोग लिया जाए। 3. ब्लाक समन्वयक, ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत प्रभारी के द्वारा सर्वेक्षण का स्थलीय सत्यापन किया जाए।

29.	ग्राम सभा स्तर पर	15.5.2003	विद्यालय स्तर पर	1. ग्राम प्रधान, 2. समस्त अध्यापक 3. शिक्षित युवक–युवतियॉ 4. स्वयं सेवी संगठन के कार्यकर्ता	1. सेविन असेवित बस्ती, बाढ मजरा चिन्हित कर दिनांक 24.5.2003 तक सर्वे कार्य सम्पन्न कर लिया जाए। तथा आंकडे एकत्र कर न्याय पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर उपलब्ध कराये जायें। 2. 5–14 आयु वर्ग के न जाने वाले बालक बालिकाओं की बच्चों को चिन्हित कर स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांक कराया जाए।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से सम्बन्ध व सहयोग–

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(1). बाल विकास समन्वित योजना के साथ सम्बन्ध –

जिला कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपालन करने हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(2). समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय–

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के समस्त बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300 व [illegible] प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(3). स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय–

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। जिसमें चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके । स्वास्थ्य कार्ड का रख–रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती हैं ।

(4). ग्राम पंचायतों से समन्वय–

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर सचालित किया जाता है।

(5). खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय –

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 कि0ग्रा0 प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(6). विकलांग कल्याण विभाग से सम्बन्ध –

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (ट्राईसिकिल, बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/उपस्कर के वितरण में छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये ।

(7). उ0प्र0 जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वय –

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना की जाती हैं।

(8). युवा कल्याण विभाग से समन्वय –

युवा कल्याण विभाग से सम्पर्क कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके । नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं । शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों से स्थानीय समुदाय की सहभागिता विकसित की जाती है।

(9). पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्क कल्याण विभाग से समन्वय –

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक समुदाय के बच्चों को 300/– प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके ।

(10). जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय –

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थपित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य किया जाता है। जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को भवनों से आच्छादित किया जा सके ।

(9). नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय –

समुदाय की शिक्षा के प्रति भागीदारी एवं सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं से सहयोग प्राप्त किया जाता है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में इनका विशेष सहयोग प्राप्त होता है। समाज से जुड़े होने के फलस्वरूप इनकी शिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में अहम् भूमिका है।

अध्याय–4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

जनपद में विश्व बैंक द्वारा पोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के उपरान्त अब भारत सरकार द्वारा संचालित कक्षा 1–8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा तथा जून 2003 तक इसको डी0पी0ई0पी0 के साथ–साथ ही संचालित रखा जायेगा। नवी पंचवर्षीय योजना अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान 85:15, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अंशदान 75:25 तथा उससे आगे की अवधि के लिये अंशदान 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

(1). वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत–प्रतिशत नामांकन।

(2). वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।

(3). वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।

(4). गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ।

(5). बालक बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना ।

(6). वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव ।

उपरोक्त अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद् लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये कुछ विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं–

नामांकन के लक्ष्य–

वर्ष 1991 की जनगणना जनसंख्या को आधार मानते हुये विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नई दिल्ली के गाइडबुक में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसख्या के प्रतिशत को मानते हुये वर्ष 2001 तक इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6–11 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिये 14.9 प्रतिशत तथा 11–14 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिये 6.2 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणा के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/नगरीय/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामाकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान एन0ई0आर0 को आधार मानते हुये नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेन्ट रेशियों मेथेड' से 2002 से 2010 तक का एन0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित एन0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6–11) के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11–14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे। अतः एन0ई0आर0 का लक्ष्य अधिकतम 100 रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 व 11–14 वर्ष के बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढेंगे ।

वर्ष 2002 से 2007 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6–11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11–14 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है

सारणी 4.1
प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			एन0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002–03	275405	183602	459007	261634	174423	436057	95
2003–04	280912	187275	468187	275294	183530	458824	98
2004–05	286531	191020	477551	286531	191020	477551	100
2005–06	292261	194841	487102	292261	194841	487102	100
2006–07	298106	198738	496844	298106	198738	496844	100

स्रोत– प्रक्षेपण

जनपद में प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002–2003 में 95 प्रतिशत एन0ई0आर0 का लक्ष्य रखा गया है जो कि वर्ष 2003–2004 में 98 प्रतिशत तथा वर्ष 2004–2005 में नामांकन का सार्वभौमिक लक्ष्य 100 प्रतिशत प्राप्त कर लिया जायेगा।

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			एन0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002–03	164686	109791	274477	105265	70176	175441	63
2003–04	170428	113619	284047	148273	98848	247121	87
2004–05	173837	115891	289728	173837	115891	289728	100
2005–06	177313	118209	295522	177313	118209	295522	100
2006–07	180860	120573	301433	180860	120573	301433	100

स्रोत- [illegible]

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002–2003 में नामांकन का 63 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है जोकि वर्ष 2003–2004 में 87 प्रतिशत तथा वर्ष 2004–2005 में 100 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

ठहराव के लक्ष्य–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद की प्लान संरचना में वर्ष 2006–07 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत–प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार प्राथमिक स्तर पर "ड्राप आउट" कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो कि निम्नवत् हैं–

सारणी 4.3

ड्राप आउट दर

क्र0सं0	स्तर	वर्ष				
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
	ड्राप आउट	27.4	20.9	12.1	4.6	0

स्रोत– [illegible]

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002–2003 में 27.4 प्रतिशत, वर्ष 2003–2004 में 20.9 प्रतिशत, वर्ष 2005–2005 में 12.1 प्रतिशत, वर्ष 2005–2006 मे 4.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–2007 में (0) कर लिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा–

'सर्व शिक्षा अभियान' क्रियान्वयन के साथ–साथ परियोजना अवधि में जनपद में 'ड्राप आउट' के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी तथा इसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ–साथ नामांकन में वृद्धि करने पर बल दिया जायेगा।

अध्याय–5
समस्यायें एवं रणनीति

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजना क्रियान्वयन के पश्चात् उसमें प्रस्तावित गतिविधियों के संचालन उपरान्त तथा विभिन्न स्तरों पर करायी गयी समूह चर्चा से प्राप्त सुझावों तथा उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष एक सन्तुलित व्यवहारिक रणनीति तैयार की गयी है जिसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापकों की नियुक्ति, नवीन भवनों का निर्माण, विद्यालय विहीन भवनों का निर्माण, जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता, हैण्ड पम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं उनके सुदृढ़ीकरण का भरसक सफलतम प्रयास किया गया है साथ ही विद्यालय से बाहर शिक्षा ग्रहण ना करने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा विद्यालय में उनके ठहराव पर भी विशेष बल दिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के संचालनार्थ कुछ समस्यायें चिन्हित की गयी हैं जिनके समाधान हेतु रणनीति इस प्रकार तैयार की गयी है जिससे कि "सर्व शिक्षा अभियान" के प्रस्तावित कार्यक्रम के लक्ष्य को समयान्तर्गत सहजता पूर्वक प्राप्त किया जा सके ।

सारणी 5.1

क्र0सं0	समस्यायें	रणनीतियां
1.	सामाजिक एवं आर्थिक समस्या	सामाजिक जन चेतना लाने के लिये तथा बच्चो एवं उनके अविभावकों की सोच में बदलाव लाने के लिये कला जत्था, महिला मंगल दल, डब्ल्यू0एम0जी0, शिक्षक अविभावक संघ, जन सम्पर्क, महिला समाख्या, ए0एन0एम0, बाल विकास परियोजना की कार्यकर्त्रियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों के जागरूक सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति को बल दिया जायेगा।
2.	असेवित बस्तियों में शैक्षिक सुविधा मुहैया कराना	1.5 कि0मी0 की दूरी तथा 300 की आवादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी तथा 6 से 8 आयु वर्ग के विद्यालय ना जाने वाले 30 बच्चों में 1 किमी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 (विद्या) केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ।

3.	मलिन बस्तियों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी पाया जाना	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत पायी जाने वाली मलिन बस्तियों में उपलब्ध विद्यालयों को द्विपाली चलाया जायेगा तथा मानक से कम छात्र संख्या वाले ऐंसे विद्यालयों, जोकि किराये के भवन में संचालित हैं, को स्थानान्तरित कर पुनः स्थापित किया जायेगा ।
4.	भौगोलिक कठिनाई के कारण शिक्षा में अवरोध	जनपद के विषय में भौगोलिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये 'सर्व शिक्षा अभियान' के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों को खोला जायेगा तथा भौगोलिक कठिनाई के कारण शिक्षा ग्रहण ना कर पाने वाले बच्चों को शैक्षिक सुविधा मुहैया कराने पर बल दिया जायेगा और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा ।
5.	विद्यालयों में संसाधनों का अभाव	मानक के अनुरूप छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अंतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा तथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों में इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था हेतु काष्ठोपकरण सुलभ कराया जायेगा ।
6.	बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि में कमी	शिक्षा के प्रति बच्चों की रूचि में कमी को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षा में खेल द्वारा शिक्षा क्रियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जायेगा, समय विज्ञान चक्र को और अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर बच्चों में रूचि उत्पन्न करने वाले सांस्कृतिक एवं कलात्मक पाठ्यक्रम तथा क्रियाकलापों का समायोजन एवं क्षेत्र–भ्रमण आदि का समाविष्ट कर रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान कर बच्चों में शिक्षा के प्रति व्यक्तिगत रूचि जागृत की जायेगी और उन्हें शिक्षित करने हेतु मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

7	अभिभावकों एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है ना कि रोजगार से । शिक्षा रोजगार प्राप्त करने का एक साधन मात्र है साध्य नहीं । अतः अभिभावक की इस सोच में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव मात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है रोजगार दिलाना नहीं ।
8.	मानक के अनुरूप छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	मानके के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु छात्र संख्या के सापेक्ष 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। पूर्व मा0 वि0 में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी साथ ही यदि प्रा0 वि0 भी वहां संचालित है तो पूर्व माध्यमिक वि0 का प्रधान अध्यापक को ही सम्पूर्ण प्रबन्ध तन्त्र का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा। कक्षा 1 से 8 तक समय विभाजन पर बल दिया जायेगा जिससे कि माध्यमिक शिक्षा के साथ जुड़ने में सुगमता बनी रहे ।
9.	व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक के व्यक्तित्व के विकास में वृद्धि हो इस हेतु सामुदायिक सहभागिता के सहयोग से प्रशिक्षण में जोड़ा जायेगा। शिक्षक का अपने बच्चों के साथ मृदु व्यवहार हो इस हेतु यह आवश्यक है कि बच्चों के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणात्मक एवं विशिष्ट प्रभावकारी सोच अपने शिक्षक के प्रति हो, तभी शिक्षक की छवि अपने बच्चों पर प्रभाव बनाये रख सकती है।
10.	अध्यापकों से अध्यापन कार्यों के साथ-साथ अन्य कार्यों का निष्पादन कराया जाना	शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण का परस्पर सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है इसके अभाव में शिक्षक शिक्षण कार्य से विरत् रहेगा यह तभी संभव है जबकि शिक्षक को राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यो से विरत रखा जाये ताकि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करे और बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहकर भी स्वयं को उपेक्षित ना समझें । बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी तथा कमजोर बच्चों को विद्यालय अवकाश में भी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी । अन्यथा ऐसी स्थिति में अध्यापक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगत स्तर को आधार माना जायेगा तथा उनकी सेवा पंजिका में भी प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुये वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा ।

11.	विद्यालयों का आकर्षक न होना	बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं की रंगाई–पुताई करायी जायेगी वहां शैक्षिक माहौल तैयार कराया जायेगा जिससे कि बच्चों के साथ–साथ उनके अभिभावक की शैक्षिक संस्थाओं के प्रति आकर्षित हों और बच्चों की नामांकन दर में वृद्धि हो ।
12.	विद्यालयों का वातावरण आकर्षक ना होना	शैक्षिक संस्थाओं का वातावरण आकर्षक हो इस हेतु बच्चों को विद्यालय में बैठने की व्यवस्था सुलभ कराने हेतु प्लास्टिक की चटाई क्रय करायी जायेंगी । सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से पठन–पाठन कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा विद्यालय प्रांगण को वृक्षारोपण और बागबानी के द्वारा सुसज्जित किया जायेगा तथा प्रत्येक कक्ष के लिये खेलकूद एवं व्यायाम को वादन और उपकरण सुनिश्चित किये जायेंगे जिससे बच्चा विद्यालय की और आकृषित होगा और बच्चों में विद्यालय छोड़कर जाने की प्रवृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।
13.	गरीब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव	विद्यालयों में गरीब नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे कि गरीब बच्चों को भी शिक्षित किया जा सके और साक्षरता दर को ऊँचा उठाया जा सके ।
14.	विद्यालय में अध्यापक के ठहराव में कमी	इसके लिये सूचनायें विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत की जायेंगी तथा उसका पुष्टिकरण सम्बन्धित विद्यालय से कराया जायेगा इससे विद्यालय में अध्यापक का ठहराव बना रहेगा व सूचनाओं के संकलन में लगने वाला श्रम कम होगा व समय की भी बचत होगी ।
15.	शिक्षण कार्य में अध्यापक की रूचि कम होना	विषय–वस्तु आधारित प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित कराकर अध्यापकों में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत करायी जायेगी जिससे अध्यापक में स्वाध्याय की भावना जाग्रत होगी तथा समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्त में प्रशिक्षण आधारित एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित करायी जायेगी जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य रखा जायेगा अन्यथा की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की व्यवस्था अमल में लायी जायेगी ।

16.	शैक्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण का अभाव	शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित एन0पी0आर0सी0; बी0आर0सी0 प्रभारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक; ए0बी0एस0ए0, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रभावी निरीक्षण किया जायेगा व विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा ।
17.	सामन्जस्य का अभाव	आज के परिवेश में छात्र–अध्यापक, अध्यापक–अभिभावक के सामन्जस्य का अभाव है से दूर करने के लिये प्रत्येक त्रैमास या छमाही अभिभावक का सम्मेलन बुलाया जायेगा जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं / विशेषकर अपवंचित / उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी तथा उनके विचारों की जानकारी प्राप्त कर कोटिपरक् शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा । ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से नियमित अध्यापक–अभिभावक गोष्ठी आयोजित करायी जायेंगी व समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनके समाधान की कार्यवाही प्रस्तावित करायी जायेगी ।
18.	विद्यालयों में श्रेणीकरण का अभाव	प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये विद्यालयों का श्रेणीकरण कराया जायेगा व निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक प्रयास कराये जायेंगे ।
19.	सतत् मूल्यांकन की सुचारू प्रणाली की कमी	विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मूल्यांकन कराने के लिये मासिक टैस्ट आरम्भ कराये जायेंगे तथा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करायी जायेंगी क्योंकि मूल्यांकन ही कोटि परक शिक्षा का मूल आधार है । मूल्यांकन में क्रमवार विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क कर निदानात्मक शिक्षण व्यवस्था सुलभ करायी जायेगी तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत कराया जायेगा ।
20.	गणवेश के अभाव के कारण उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव	विद्यालय में गणवेशों के अभाव में सामाजिक एकरूपता का भी अभाव बना रहता है अतः स्वच्छ गणवेश व्यवस्था को लागू किया जायेगा जिससे छात्र का वाहय व्यक्तित्व और अधिक मुखरित हो उठेगा ।

21.	सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव	विद्यालय के रख–रखाव, शैक्षिक गुणवत्ता एवं वातावरण के विषयक अभिभावकों एवं अध्यापकों में सक्रिय सामाजिक सहभागिता विकसित करनी होगी कि विद्यालय राष्ट्र की सम्पत्ति है। विद्यालय हमारा है तभी विद्यालय का विद्यालय से जुड़े समुदाय का, विधार्थियों का, गांव का और समाज का उत्थान संभव होगा यह सभी कुछ ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से सम्पन्न कराया जायेगा ।
22.	माइक्रोप्लानिंग करने के लिये सम्यक जानकारी की कमी	माइक्रो प्लानिंग सम्पूर्ण जिले की शैक्षिक व्यवस्था का आईना होती है अतः गुणवत्ता परक शिक्षा एवं शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिये आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम के जानकार लोगों का सहयोग प्राप्त कर गांव की माइक्रो प्लानिंग करायी जायेगी तथा उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही विद्यालय के परिवेश में सुधार लाया जायेगा तभी विद्यालय, भवन, शौचालय, अति0 कक्षा–कक्ष, गणवेश, स्वच्छ हवा, अनुशासन, विद्यालय की चाहरदीवारी, बागवानी एवं साज–सज्जा सुव्यवस्थित करायी जा सकेगी ।
23.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये प्राविधान न होना	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति विद्यालय को संवेदनशील बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जायेगा तथा सर्वे कराकर इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक उपकरण इत्यादि विकलांग बच्चों को सुलभ कराये जायेंगे ।
24.	बाल श्रमिक तथा घुमन्तू बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता	6–14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों एवं घुमन्तु प्रवृत्ति के बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा जिससे बच्चा श्रम न करके पढ़ाई करना ज्यादा पसन्द करे। श्रम विभाग के सर्वेक्षण कार्य का लाभ उठाकर बच्चों को उनकी योग्यता के परीक्षणोपरान्त मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा ।

25.	कार्यानुभव कराने वाली क्राफ्ट शिक्षा की कमी	आज का युग मशीनी युग है इस युग में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सहभागिता से पृथक रोजगार प्राप्त करने से लगाया जाता है अतः प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा ताकि विधार्थी शिक्षा के साथ–साथ धनोपार्जन की ओर भी अग्रसर हो सके ।
26.	विषय अध्यापकों का अभाव	मानक के अनुरूप 40:1 के अनुसार अध्यापकों का अभाव होने के साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों का भी अभाव बना हुआ है। इस हेतु 40:1 के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान रखा जायेगा तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय अध्यापकों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत/उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी तथा बालिकाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये गृह–विज्ञान अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जायेगी जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि संभव हो सके ।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली अन्य समस्याओं के समाधान हेतु समय–समय पर रणनीति तैयार की जायेगी और उसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाया ज

अध्याय–6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार (1)
(नवीन औपचारिक विद्यालय)

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

प्रायः यह देखा गया है कि कि 6–11 आयु वर्ग के बच्चे काफी छोटे होने के कारण दूरस्थ स्थानों पर स्थित विद्यालयों में प्रवेश के लिये नहीं जाते हैं और यदि उन्हें ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिला भी दिया जाये तो वह सत्र के मध्य में ही विद्यालय छोड़ जाते हैं ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुयें शासन द्वारा प्रत्येक 1.5 कि0मी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। शासन की इस नीति को पूर्ण करने के लिये डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जनपद में कुल 183 (147+36) नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं फिर भी हम वांछित लक्ष्य की ओर अभी तक अग्रसर नहीं हो पाये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिन्हित की गयी असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

जनपद में 278 बस्तियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है और कुल 1.5 कि0मी0 की दूरी में कोई विद्यालय नहीं है। अतः ऐसी बस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से यह पाया गया कि यदि 134 नवीन प्राथमिक विद्यालय और खोल दिये जायें तो 300 आबादी वाली समस्त असेवित बस्तियों को विद्यालीय सुविधा सुलभ हो जायेगी। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 59 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं।

सभी 59 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ हो और गुणवत्ता परक शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके इस दृष्टि से प्रस्तावित भवनों में शौचालय, पेयजल, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, कोष्ठोपकरण, उपस्कर एव शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करने का भी प्रावधान रखा गया है।

विद्यालय साज--सज्जा–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के लिये मानक के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति द्वारा टी0एल0एम0 इत्यादि क्रय करने हेतु किया जायेगा ।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक–एक प्रधानाध्यापक एक–एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

गद कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते हैं, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उ0 प्र0 विद्यालय साज सज्जा–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा। मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट (ढालक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, बालीवाल, स्कीपिंग से हवा भरने का काम पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू–इन वन आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीच अंचलों में विज्ञान कीट, गणित कीट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक–एक प्रधानाध्यापक एक–एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

विकास खण्ड वार नवीन प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या तथा उनमें आवश्यक सुविधाओं विषयक विस्तृत सारणी इस प्रकार है–

सारणी 6.1

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

क्र.सं0	विद्यालय खण्ड का नाम	नवीन प्रा0 वि0 की संख्या	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहरदीवारी	शिक्षकों की संख्या		शिक्षण सामग्री	काष्ठोपकरण /उपस्कर
							प्रधान अध्यापक	शिक्षा मित्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कादरचौक	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	उझानी	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	इस्लामनगर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	सालारपुर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.	सहसवान	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	जगत	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.	जुनावई	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	दातागंज	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.	उसावां	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	म्याऊँ	04	04	04	04	04	04	04	04	04
11.	समरेर	05	05	05	05	05	05	05	05	05
12.	बजीरगंज	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13.	अम्यिारपुर	05	05	05	05	05	05	05	05	05
14.	गुन्नौर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15.	आसफपुर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.	बिसौली	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	रजपुरा	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18.	दहगंवा	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	योग	59	59	59	59	59	59	59	59	59

स्रोत– का0जि0बे0शि0 अधिकारी, बदायूँ ।

इस प्रकार वर्ष 2002–07 के अन्तर्गत 59 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं।

वर्षवार खुलने वाले नवीन प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
1	2	3	4	5	6	
प्राथमिक	00	59	––	5 ––	––	64

स्रोत– का0जि0बे0शि0 अधिकारी, बदायूँ ।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जाने वाले 64 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में से सभी विद्यालय वर्ष 2003–2004 में खोले जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है जैसा कि उक्त सारणी से सुस्पष्ट है।

(2). नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय–

जनपद के ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है यद्यपि नगर क्षेत्र में भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है किन्तु वहां भूमि उपलब्ध ना होने के कारण निर्धारित मानक 2:1 में कोई नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। ग्रमीण क्षेत्रों में सभी वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मानक 2:1 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

कुल प्राथमिक विद्यालय (1646+36)	1682
नवीन प्रस्तावित विद्यालय	134
	…………
योग	1816
	…………
2:1 में आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	874
वर्तमान उच्च प्राथमिक विद्यालय	349
	…………
आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	525
	…………

किन्तु जनपद की वास्तविक आवश्यकता एवं उपलब्धता असेवित बस्तियों को सेवित कर लिये जाने के उद्देश्य से मात्र 191 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ ही शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एव शिक्षकों की भी आवश्यकता रहेगी । आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पूर्ति जनपद में पूर्व से उपलब्ध परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष स्वीकृत कर उनकी आवश्यकता पूर्ण की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जिसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय किया जायेगा ।

नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प तथा प्रत्येक नवीन विद्यालय में बालक एवं बालिका हेतु पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन की सुसज्जित एवं सुरक्षित रखने हेतु चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा जिसकी लागत को प्रत्येक विद्यालय के लागत मूल्य में सम्मिलित कर लिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा तथा सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति सद्भावना को जागृत किया जायेगा ।

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा बार एवं विषय वार शिक्षकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक विद्यालय के लिये एक प्रधान अध्यापक और चाहर सहायक अध्यापक की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। जिन्हें सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण देकर शिक्षण कार्य हेतु दक्ष बनाया जाये ।

सारणी 6.3
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

क्र.सं0	विद्यालय खण्ड का नाम	नवीन प्रा0 वि0 की संख्या	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहरदीवारी	शिक्षकों की संख्या		शिक्षण सामग्री	काष्ठोपकरण /उपस्कर
							प्रधान अध्यापक	शिक्षक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कादरचौक	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	उझानी	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	इस्लामनगर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	सालारपुर	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	सहसवान	3	3	3	3	3	3	3	3	3

6.	जगत	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	जुनावई	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	दातागंज	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	उसावां,	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	म्याऊँ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11.	समरेर	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12.	बजीरगंज	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13.	अम्बियारपुर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14.	गुन्नौर	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15.	आसफपुर	6	6	6	6	6	6	6	6	6
16.	बिसौली	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17.	रजपुरा	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18.	दहगवां	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	योग	75	75	75	75	75	75	75	75	75

स्रोत– का0जि0बे0शि0 अधिकारी, बदायूँ ।

इस प्रकार वर्ष 2002–07 के अन्तर्गत ४० न0उ0प्रा0 विद्यालय खोले जा रहे हैं।

सारणी 6.4

वर्षवार खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
1	2	3	4	5	6	
उ0प्रा0 विद्यालय	25	50	—	05 —	—	80

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में खुलने वाले ४० नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 25 विद्यालय वर्ष 2002–2003 में तथा 50 विद्यालय वर्ष 2003–2004 में खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है। नवीन प्राथमिक तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की आवश्यकता का संकलित विवरण इस प्रकार है–

मतिन्ना की आवश्यकता के अनुसार वर्ष 2005-06 मे 5 विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं।
80

सारणी 6.5

नवीन प्रा0 वि0 / उ0 प्रा0 विद्यालयों में वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता

क्र0सं0	वर्ष	शिक्षकों की आवश्यकता			शिक्षकों की आवश्यकता		
		न0प्रा0 विद्यालय	प्रधान अध्यापक	शिक्षा मित्र	न0उ0प्रा0 विद्यालय	प्रधान अध्यापक	शिक्षक
1.	2002–03	––	––	––	25	25	75
2.	2003–04	59	59	59	50	50	150
3.	2004–05	––	––	––	––	––	––
4.	2005–06	05 ––	05 ––	05 ––	05 ––	05 ––	15 ––
5.	2006–07	––	––	––	––	––	––
योग		64	64	64	80	80	240

इस प्रकार उक्त तालिका से सुस्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जा रहे 134 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में 134 प्रधान अध्यापकों एवं 134 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी तथा 191 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 191 प्रधान अध्यापकों एवं 225 शिक्षकों की आवश्यकता होगी ।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने हेतु प्रयास–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संकल्पना की गयी है इस हेतु पूर्व से संचालित विद्यालयों; यदि भूमि उपलब्ध है तो, का उच्चीकरण करते हुये किये जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। जिससे विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी इत्यादि का अधिकतम उपयोग किया जा सके जिससे कि नवीव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में बचत की जा सके।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्वप्रथम नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं मानक के अनुरूप करायी जायेगी। तदुपरान्त विद्यार्थियों की उपलब्धता एवं विद्यालयों की आवश्यकता एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा इसी के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु0 2 लाख मात्र का प्रावधान रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग परियोजना के प्रत्येक द्वितीय वर्ष में किया जायेगा।

निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण–

विद्यालय भवनो, शौचालयों, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि को निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा तथा इनका निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पूर्ण कराये जायेंगे ।

अध्याय 7
शिक्षा की पहुंच का विस्तार (2)
शिक्षा की गारन्टी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

जनपद बदायूँ शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। यह शैक्षिक पिछड़ापन बदायूं की भौगोलिक दुरूह परिस्थितियों के कारण है। जनपद बदायूं में गंगा, रामगंगा, महावा, सोत एवं बदमार आदि नदियां बहती हैं । इन नदियों के कारण बदायूं का अधिकांश क्षेत्र रेतीला, खादर एवं भूड़ वाला है। विकास क्षेत्र सहसवान, दहगवां, जूनावई, गुन्नौर एवं रजपुरा तो इतना रेतीला क्षेत्र है कि वाहन तो दूर कहीं-कहीं पैदल निकलना भी मुश्किल है। सम्पर्क मार्गों के अभाव के कारण बरसात में स्थिति अत्यन्त विषम हो जाती है तथा शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त बदायूं जनपद का क्षेत्रफल 5168 वर्ग कि0मी0 अत्यन्त विस्तृत है। यह जनपद लम्बाई में 160 कि0मी0 तथा चौड़ाई में मात्र 50 कि0मी0 है। बदायूं नगर क्षेत्र बहुत छोटा है जिसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख 49 हजार है जबकि पूरे बदायूं जनपद की जनसंख्या 24.48 लाख है। विकास क्षेत्र सहसवान की बदायूँ नगर से दूरी 40 कि0मी0, दहगवां 60 किमी0, जूनावई 70 किमी0, गुन्नौर 85 किमी0 एवं रजपुरा की दूरी 115 कि0मी0 है। इन्हीं कारणों से बदायूं शैक्षिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। बदायूं में 7 विकास खण्ड ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम है। 11 विकास खण्डों की महिला साक्षरता की दर 10 से कम है। जिनमें रजपुरा 3.4, गुन्नौर 3.81, दहगवां 3.76, सहसवान 4.82 विशेष हैं ।

इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रारम्भ में अनौपचारिक शिक्षा प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना में जनपद बदायूं के सभी 18 विकास क्षेत्रों में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये इस प्रकार कुल 1800 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र जनपद में खोले गये। प्रत्येक अनौपचारिक शिक्षा केद्र में 25 बच्चों का नामांकन किया गया इस प्रकार कुल 45000 बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा दी गयी। इन केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु विकास क्षेत्र स्तर पर एक परियोजना अधिकारी कार्यालय बनाया, जो इन केन्द्रों में पढ़ाने वाले अनुदेशकों की नियुक्ति एवं केन्द्रों का पर्यवेक्षण कार्य करता था। परियोजना अधिकारी के अधीन पर्यवेक्षक उसके सहयोग हेतु नियुक्त किये गये। यह योजना 9 राज्यों में चलायी गयी। इनमें 2 लाख 90 हजार केन्द्र खोले गये एवं 72 लाख 50 हजार बच्चे नामांकित किये गये। इन केन्द्रों पर पढ़ाने वाला अनुदेशक स्थानीय/उसी गांव का होता है। इसको 200/- प्रतिमाह ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से मानदेय मिलता है। उ0प्र0 में कुल 591 परियोजनाए संचालित की गयी। कक्षा 5 पास करने के उपरान्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से इस कार्यक्रम से उपलब्धियां हो रही थीं किन्तु जिन पूर्व निर्धारित संकल्पनाओं एवं आशातीत आकांक्षाओं के मद्देनजर यह कार्यक्रम संचालित किया गया उतनी उपलब्धि नही मिल सकी अतः आशानुरूप परिणाम न मिलने के कारण अब यह परियोजना बन्द कर दी गयी है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद बदायूँ में सन् 1997 में लागू किया गया जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण नामांकन, ठहराव एवं सम्प्राप्ति इसी परियोजना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गत जनपद के तीन विकास क्षेत्र सहसवान, दहगवां एवं जूनावई की असेवित बस्तियों में 48 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले गये इनमें 36 शिक्षा घर एवं 12 बालशालाएं। शिक्षाघर में (6-11) वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है जबकि बालशाला में

(3–11) वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है । इन केन्द्रों में पढ़ाने हेतु एक अनुदेशक की नियुक्ति की गयी। इन केन्द्रों में वर्तमान में लगभग 1850 बच्चे नामांकित हैं। लगभग 650 बच्चों का नामांकन 2 साल अध्ययन न करने के उपरान्त निकटतम प्रा0वि0 में कराया गया है। इन केन्द्रों में पढ़ाने वाले अनुदेशकों को दो चक्रों में एक माह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन अनुदेशकों को 1000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से दिया जाता है। इन केन्द्रों के पर्यवेक्षण का काम ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0, जिला समन्वयक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रों हेतु सामग्री एवं बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं सामग्री हेतु धन ग्राम शिक्षा निधि में स्थानांतरित किया गया। ग्राम शिक्षा समिति सामग्री क्रय कर अनुदेशक को उपलब्ध कराता है।

अनौपचारिक शिक्षा योजना को समाप्त शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0) प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत 132 विद्या केन्द्रों में आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इन आचार्यों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया गया है। आचार्य अनिवार्य रूप से उसी गांव का होना चाहिये जहां केन्द्र खोला गया है। इसकी योग्यता हाईस्कूल एवं आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। इनका मानदेय भुगतान 1000/– रूपये प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है। बच्चों के लिये पुस्तकें, कापी, पेन्सिल, रबर आदि सामग्री एवं केन्द्र तथा आचार्य हेतु सामग्री के लिये धन ग्राम शिक्षा निधि में स्थानांतरित किया जाता है। वर्तमान में 91 आचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर केन्द्र संचालित कर रहे हैं ।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव को देखते हुये सरकार ने सभी बच्चों को शिक्षा देने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 1/4/2001 से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा को लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय से 1 कि0मी0 की परिधि के बाहर स्थित ऐसे ग्राम, बस्तियां, मजरे या मुहल्ले, जहां 6–8 वय वर्ग के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों, वहां शिक्षा गारन्टी केन्द्रों की स्थापना कर कक्षा 1 एवं 2 में नामांकन कराना है तथा 6–8 वय वर्ग से अधिक वय वर्ग के ऐसे 15 बच्चों, जो विद्यालय से 1 कि0मी0 की परिधि के बाहर स्थित ग्राम, बस्तियों, मजरों या मुहल्लों में उपलब्ध हो तथा ड्राप आउट या अधिक आयु के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हों, उनको वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर प्रवेश दिलाया जायेगा यह केन्द्र प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर चलाये जायेंगे।

जनपद में माह मई तथा जून 2003 में हाउस होल्ड सर्वे कराया गया जिसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों में बालक 34431 तथा बलिका 34706 हैं। जिसका विवरण विकास खण्डवार निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है –

<u>सारणी 7.1</u>

<u>स्कूल चलो अभियान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)</u>

विकास खण्ड	6–11 आयु वर्ग		योग	11–14 आयु वर्ग		योग
	बालक	बालिका		बालक	बालिका	
कादरचौक	829	762	1591	710	610	617
रजपुरा	2799	3389	6188	763	663	768
गुन्नौर	3055	3486	6541	908	808	861

जुनावई	1489	2015	3504	966	864	802
दहगवां	3423	3345	6768	572	472	706
सहसवान	3655	3417	7072	726	626	714
उझानी	712	812	1524	973	873	794
इस्लामनगर	1045	1047	2092	592	442	564
आसफपुर	1157	1338	2495	848	748	821
विसौली	1737	1945	3682	853	753	724
वजीरगंज	181	235	416	262	162	290
अम्बियापुर	2236	2213	4449	864	764	867
म्याउ	1096	1575	2671	769	669	773
उसावा	1173	604	1777	939	839	764
जगत	757	825	1585	736	636	763
समरेर	1736	1509	3245	743	643	724
दातागंज	936	847	1783	623	523	654
सालारपुर	1344	1359	2683	549	449	726
नगरक्षेत्र	5071	3996	9067	1934	1734	1774
	34431	8669	16525	6102	6651	12753

स्रोत– हाउस होल्ड से – का0वि0बे0शि0 अधिकारी, बदायूँ ।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। जिसे एक लक्ष्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है।

मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षो से यह बात परिलक्षित हुई कि अनौपचारिक शिक्षा योजना के वर्तमान स्वरूप एवं उनके कार्यान्वयन में कुछ कमियां है। अतः भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप को समाप्त कर इस योजना के स्थान पर शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया ।

ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के बच्चों होंगे । इस योजना के अन्तर्गत (6–8) वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा (9–14) वय वर्ग के बच्चो जो पूर्व में ही विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुये हैं अथवा स्ट्रीट चाइल्ड/चाइल्ड लेबर या घुमन्तु हो चुके हैं के लिये वैकलिपक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्यधारा में किसी भी कक्षा में किसी भी समय जिसके लिये बच्चे उपयुक्त होंगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

ऐसी असेवित बस्तियां में जहां 1 किमी0 की परिधि में विद्यालय नहीं है (6–11) वय वर्ग के बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिये ई0जी0सी0 केन्द्र खोले जायेंगे ।

इस योजना के अन्तर्गत स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे समय स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा कामकाजी बालक/बालिकाओं के लिये शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है–

1. शिक्षा गारन्टी योजना
2. ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर
3. नवाचार एवं प्रयोगात्मक शिक्षा

सारणी 7.2
जनपद बदायूँ में प्रस्तावित ब्लाक वार विभिन्न केन्द्रों का विवरण

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	ई0जी0एस0	ब्रिज कोर्स/न्याय पंचायत स्तरीय	नवाचार एवं प्रयो0 शिक्षा केन्द्र (ए आई ई)	
				प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	वजीरगंज	15	7	1	2
2.	जगत	14	9	2	1
3.	समरेर	6	9	3	2
4.	आसफपुर	1	9	3	1
5.	अम्बियापुर	7	11	3	2
6.	सहसवान	22	12	3	2
7.	कादरचौक	34	8	3	2
8.	म्याऊँ	28	8	3	2
9.	जूनावई	4	10	3	1
10.	रजपुरा	14	5	3	2
11.	दहगवां	–	9	3	1
12.	इस्लामनगर	5	8	3	1
13	गुन्नौर	6	9	3	2
14	उझानी	17	11	3	2
15.	बिसौली	3	9	2	1
16.	दातागंज	15	9	2	1
17.	सालारपुर	21	9	3	1
18.	उसावां	12	8	3	2
19.	नगर क्षेत्र	––	–––	–	–
	कुल योग	132	164	48	29

सारणी 7.3

वर्ष वार प्रस्तावित केन्द्रों का विवरण

क्र0सं0	प्रस्तावित केन्द्र	केन्द्र खोले जाने वाले वर्ष			कुल प्रस्तावित केन्द्र
		2003–04	2004–05	2005–06	
1.	ई0जी0एस0	132	–	–	132
2.	ब्रिज कोर्स	164	–	–	164
3.	नवाचार केन्द्र (प्राथमिक)	18	30	–	48
4.	नवाचार केन्द्र (उच्च प्राथमिक)	14	11	4	29

शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0)

इस योजना का लक्ष्य समूह (6–11) वय वर्ग के बच्चे होंगे। इसके अन्तर्गत (6–11) वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा ई0 जी0 एएस0 योजना के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। किसी भी समय किसी भी कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऐसी असेवित बस्तियों में जहां 1 किमी0 की परिधि में विद्यालय नहीं है। (6–11) वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 औश्र 2 के लिये ई0 जी0 एस0 132 केन्द्र खोले गये हैं तथा प्रत्येक न्याय पंचायत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की अधिकता वाले ग्राम/असेवित बस्तियों में एक–एक ब्रिज कोर्स खोले गये हैं जिसमें 14920 बालक बालिकाएं अध्ययन करने के पश्चात अगली शिक्षा के लिए नामांकित कराये जायेंगे।

सारणी 7.4
प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्रों की सूची

क्र0सं0	विकास खण्ड	क्र0सं0	बस्ती का नाम	जनसंख्या	प्रा0वि0 से दूरी कि0मी0 में0	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	कादरचौक	1.	पांडे नगला	247	1.5	गंगबरार
		2.	विरोतिया	185	1.5	घटियारी
		3.	जुगुपुरा	220	1	मु. गंज
		4.	झण्डु शाह का नगला	100	1	मुगर्रा टटेई
		5.	मोहन नगला	400	1	ककोड़ा
		6.	झब्बू नगला	450	1	अल्लापुर चमारी
		7.	मोहन नगला	300	1	जलालपुर
2.	उझानी	8.	पीर बट्टू	178	1	बुर्रा फरीदपुर
		9.	गुलाब गढ़ी	191	1	पिपरौल
		10.	पाठक नगला	173	1	हुसैनपुर
		11.	नूरगंज	197	1	सरौता
		12.	चिकिया	164	1	रियोनैया
		13.	फकीराबाद	175	2	रियोनैया
		14.	उल्हैतापुरा	260	1	रियोनैया
		15.	गुलड़िया नगला	480	1	संजरपुर
		16.	गुड़रिया नगला	320	1	संजरपुर
		17.	तेलिया नगला	514	1	पिपरौल
		18.	नगला जाटान	309	1	पिपरौल
		19.	लोकी नगला	397	1	सरकी
		20.	पतरघटा	495	1	बुटलाखंजन
		21.	देवरमई पूर्वी	509	1	बुटलाखंजन
		22.	देवरमई पश्चिमी	412	1	बुटलाखंजन
		23.	पृथ्वी नगला	357	1	मिटौना
		24.	विजया नगला	529	1	फूलपुर
3.	इस्लाम नगर	25.	ठेरियां	323	1	ब्योर
		26.	पपरौल	461	1	चन्दोई
		27.	छिवऊ खुर्द	385	2	नागरपुरवरा

		28.	मुसिया नगला	391	2	कुन्दावली
		29.	खंजनपुर	300	2	सैफुल्लागंज
4.	सालारपुर	30.	हसननगर	265	1.5	करतौली
		31.	महताबनगर	265	1	ब्योर
		32.	सुकुटिया	100	1	सिकरोड़ी
		33.	बेनी नगला	200	1	विल्हत
		34.	गौटिया	250	2	बरखेड़ा
		35.	फरीदपुर	150	1.5	लाही फरीदपुर
		36.	गौंटिया	445	1	मोंगर
		37.	मुडिया	275	1	उसैता
		38.	कुआटांडा	528	1	कास्मिपुर
5.	सहसवान	39.	सुकुटिया	275	1.5	मिर्जापुर मुकुईया
		40.	सराय मुडिया खारी	257	1	सराय मुड़िया खारी
		41.	सिरकी खेड़ा	251	1.5	सराय मुड़िया खारी
		42.	हरनाम नगला	270	1.5	अहमद नगर असौली
		43.	नगला सालार	268	1	लहरा असदुल्लापुर
		44.	खिरवारा	210	1	रफी नगर
		45.	अलीगंज	241	1	कटैया भगवन्ती
		46.	नगला वरन	280	1.2	नगला वरन
		47.	वधूपुरा	275	1	सुजातगंज पस्तौर
		48.	नगला मिश्र	217	1.5	मुड़ारी सिधारपुर
		49.	धर्मपुर	290	1.5	खुकुनिया सगराय
		50.	धोबी नगला	260	1.5	खुकुनिया रामराय
		51.	सराय रामदास	190	1	पातरचोया
		52.	मुसेपुर	270	1.5	परमू
		53.	सराय मानसुख	217	1	दरियापुर
		54.	हसुआ नगला	261	1	दरियापुर
		55.	जरारा	290	1.5	तेरा
		56.	अहमद नगर	217	1.5	सुल्तानपुर टप्पा
		57.	विचोला टप्पा जामनी	280	2	कटैया भगवन्ती
		58.	घूरनपुर	270	3	घूरनपुर
		59.	जामनी	215	2	औरंगाबाद
		60.	खिरकवारी खाम	237	2.5	औरंगाबाद

		61.	अब्बू नगर	237	4	अब्बू नगर
		62.	सुजात गंज बेला	190	3.5	अब्बू नगर
		63.	समदा	196	2	मुड़ारी सिधारपुर
		64.	गंगापुर	170	2.5	गंगापुर
		65.	चौहानपुर	275	4	रौती माधोपुर
		66.	महमूदा टप्पा	290	4	रियोनाई कुन्दन
		67.	रम्पुरा टप्पा	276	3	रम्पुरा टप्पा
		68.	मेदपुर वंशीपुर	260	2.5	रम्पुरा टप्पा
		69.	अल्लीपुर टप्पा हवेली	211	2	भगतपुर
		70.	शेखपुर सैदपुर	219	1.2	नगलाहरी
7.	जगत	71.	तजपुरा	218	1	उतरना
		72.	बेला	295	1	ललबुझिया
		73.	चमरौलिया	295	1.5	ललबुझिया
		74.	सहोरा	290	1	ललबुझिया
		75.	मियागंज	176	1.5	खेड़ा बुजुर्ग
		76.	गादी गौटिया	135	1.5	खेड़ा बुजुर्ग
		77.	बहोलिया	172	2	मूसाझाग
		78.	नवाब नगला	169	2	मूसाझाग
		79.	खैरपुरा	245	1	मचलई
		80.	मौसमपुर	253	2	कण्डेला
		81.	गुरूपुरी चन्दन	1659	3	गुरूपुरी चन्दन
		82.	जाटव गौटिया	700	2	रहेमा
		83.	मिलक गौटिया	310	2	रहेमा
		84.	अहिरामई	350	2	गुरूगांव
7.	जुनावई	85.	जमालपुरा	300	1	गनूपुरा
		86.	मैदावली	300	1	रामनगर टप्पा वैश्य
		87.	हकीमपुर	300	1	नगला अजमेरी
		88.	मैमूरा	290	1	जलालपुर
8.	दातागंज	89.	घनी नगला	250	1.5	आजमपुर
		90.	मढ़ी नगला	250	1.5	कलाकन्द
		91.	शिम्भू नगला	200	2	कांसूपुर
		92.	शामतगंज	250	1	चापरकौरा
		93.	सन्तोष नगर	265	2	वसेला

		94.	पसिया नगला	350	1	पसिया नगला
		95.	सिसैया किशन	400	1	पसिया नगला
		96.	तालिमगंज	448	1	करनपुर
		97.	बिहारीपुर महेरा	305	1	उरैना पुख्ता
		98.	महेरा	880	1	किश्नी महेरा
9.	म्याऊँ	99.	वजीरपुरा	74	.9	वमनपुरा
		100.	गढ़िया पैगम्बरपुर	279	1	हरमपुर
		101.	शादीपुर	300	2	ककराला टाउन (बाहर)
		102.	कैली	104	0.9	अहमद नगर-लुखाड़ा
10.	रामरर	103.	वरयारपुर	229	1	पड़ेली बझेड़ा
		104.	जादोपुर	363	1.5	पड़ेली बझेड़ा
		105.	अकबरपुर	234	1	कमाका
		106.	कण्ठी नगला	145	1	दियोनी
		107.	भोजपुर	156	1	दियोनी
		108.	तिलोकपुर	285	1.5	कोनी जाफराबाद
11.	अम्बियारपुर	109.	सिधौरा	280	1.5	जिनौरा
		110.	नगला उमेदी	175	1	सहसपुर
		111.	नगला कल्याण	290	1	पहाड़पुर
		112.	मुख नगला	265	1.5	पुसगंवा
		113.	फतुल्लागंज	450	6	सबदलपुर
		114.	सिरासोल कुवर सहाय	1388	1.5	सिरासौल
		115.	हरदासपुर	350	1.5	पिण्डौल
		116.	पालपुर	432	2	बड़नौमी
		117.	रूदैना	380	2	धधोंसी
		118.	रायपुर बुजुर्ग	1175	1.5	रायपुर बुजुर्ग
		119.	सतेती इन्छा	901	1.5	सतेती इन्छा
		120.	सतेती सुकाल	950	1.5	सतेती सुकाल
12.	गुन्नौर	121.	नगलियाकाजी	111	1.5	मेउआ हसनगंज
		122.	रूकनाबाद	237	1	गुन्नौर अब्दुल हर्र
		123.	हदूदा	230	1	मखदूमपुर
		124.	हुसैन पुर सैलाब	563	1	गंगाबास
		125.	खेरिया उत्तम	691	1	शाहपुर
		126.	सलेमपुर भूड़	457	1	सिकरौरा भूड़

13	आसफपुर	127.	डगरी	250	1	डढ़ेला
14.	बिसौली	128.	नगलावन	200	1	सराह बरौलिया
		129.	सरायजसू	175	2	कांट
		130.	पाठकपुर	211	2	फतेहपुर
15.	रजपुरा	131.	सलावतपुर	214	1	दीपपुर डांडा
16.	उसावां	132.	भवानी नगला	89	2	कुंवरगांव
		133.	नवाब नगला	150	1	शाहपुर
		134.	लक्ष्मी नगला	200	1	रिजोला
		135.	राम नगर	200	1	रिजाला
		136.	गौरी नगला	250	2	रिजोला
		137.	बगिया	250	1	रिजोला
		138.	नन्देनगला	300	1	मसूदपुरा
		139.	नगला दलेल	250	1	लिलवां
		140.	मुहम्मदपुर	450	1	मुगर्रामहानगर
		141.	नगरिया	315	2	सथरा
		142.	गूंजखेड़ा	250	4	उधौली
		143.	छेदानगला	295	3	उधौली
		144.	कैला	400	1	हरेण्डी
		145.	टिकई खाम	650	1	टिकईपुख्ता
		146.	दिवकली	275	1	टिकईपुख्ता
		147.	इटौआ	300	1	कटरा सहादतगंज
		148.	गुलाबी नगला	302	1	मकरौली
		149.	ठकुरी नगला	205	1	मकरौली
		150.	रमसी नगला	310	1	खेड़ा किशनी
		151.	कड़ही नगला	150	1.5	खेड़ा किशनी
		152.	काख	100	2	खेड़ा किशनी
		153.	बुद्धीनगला	150	1.5	खेड़ा किशनी
		154.	बीहर	195	2.5	खेड़ा किशनी
		155.	रसूलपुर	310	1	उसावां देहात
		156.	भवन नगला	225	1	उसावां देहात
		157.	ओमी नगला	170	1.5	उसावां देहत
	1	158.	पंचम नगला	152	1.5	शंकरपुर
		159.	रसूलपुर	250	1	शंकरपुर

		160.	मुलू नगला	200	1	शकरपुर
		161.	टोही नगला	200	1	शकरपुर
		162.	रनसिंह नगला	300	1.5	बुधऊ
		163.	दलेलगंज	250	2.5	बुधऊ
		164.	हरिहरपुर	115	1	पचदियोरा
		165.	बूबरिया नगला	75	3	झुण्डी
		166.	बेहटी	30	3	झुण्डी
		167.	मल्लाह नगला	300	1	खेडा जलालपुर पुख्ता
		168.	पृथ्वी नगला	150	2	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		169.	बल्ले नगला	150	2	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		170.	किशनी नगला	150	3	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		171.	भोजनगला	250	1.5	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		172.	पाठक नगला	100	2	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		173.	हथनरिया	100	2.5	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		174.	अरमी नगला	200	2.5	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		175.	ककोरी	300	1	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		176.	म्यूरा	250	2	खेड़ा जलालपुर पुख्ता
		177.	कछनगला	150	1	ललोमई
		178.	दुर्जन नगला	300	1.5	ललोमई
		179.	प्रेमी नगला	300	1	खेड़ा जलालपुर खाम
		180.	पथरामई	100	2	खेड़ा जलालपुर खाम
		181.	मुरली नगला	100	3	खेड़ा जलालपुर खाम
		182.	लल्लू नगला	200	3.5	खेडत्र जलालपुर खाम

आचार्य प्रशिक्षण–

आचार्य का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित आचार्य का 1 माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0 तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में आचार्य को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देन न होगी ।

निःशुल्क शिक्षण कार्य–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे सीधी स्थानांतरित कर दी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार से क्रय कर आचार्य को उपलब्ध करा दी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद से किया जायेगा। इनमें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का ही प्रयोग किया जायेगा।

नवाचार एवं प्रयोगात्मक शिक्षा–

ड्राप आउट हो जाने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

पर्यवेक्षण–

इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस0डी0आई0/ बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0आर0सी0 प्रभारी द्वारा आचार्यो की पाक्षिक बैठके आयोजित की जायेंगी। न्याय पंचायत/विकास खण्ड में संचालित सभी वैकल्पिक शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रयास किये जायेंगे। समय–समय पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस0डी0आई0 तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निकट प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहें और न केवल ग्राम शिक्षा समिति बल्कि विकास खण्ड एवं जिला स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से प्रतिमाह अवगत कराते रहें ।

छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन–

आचार्य जी द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये आचार्य जी द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों की तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन लिखित तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो किसी भी समय प्रवेश पा जाये। आचार्य जी का यह दायित्व होगा कि उनके

केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्यधारा की उपुयक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य जी का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

आचार्य जी द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार में अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

वित्तीय मानक—

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी उस केन्द्र में कितने बच्चे अध्ययनरत है। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों लिये रूपये 845 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिये 1200 रूपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की अधिकतम धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है।

सारणी 7.5

वित्तीय मानक

क्र0सं0	मदों का विवरण	व्यय की दर
1.	अनुदेशक मानदेय	रूपये 1000/– प्रति माह प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रूपये 1500/– प्रति वर्ष 30 दिनों लियें।
3.	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रूपये 100/– प्रति छात्र/छात्रा
4.	केन्द्रों की शिक्षण सामग्री	रूपये 1100/– प्रति केन्द्र

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी गयी है—

सारणी 7.6

प्रबन्धन मानक

केन्द्रों की संख्या	लागत
(90–100) केन्द्रों के मध्य	2.50 लाख प्रति वर्ष
(50–80) केन्द्रों के मध्य	2.00 लाख प्रति वर्ष
(25–50) केन्द्रों के मध्य	1.5 लाख प्रति वर्ष
25 से कम केन्द्र	1 लाख प्रति वर्ष

नवाचार एवं प्रयोगात्मक शिक्षा–

जनपद में कुछ विकास क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उद्योगों एवं लघु उद्योगों की अधिकता है। अधिकांश बच्चे जिनमें अधिक आयु वर्ग के बच्चे (10–14) वय वर्ग भी शामिल हैं। ईंट भट्टों, मेन्था प्लाण्ट एवं अन्य लघु उद्योग में लगे हुये हैं । इनके लिये कुछ नवाचार करते हुये ऐसे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया जाता है जो इन बच्चों की आवश्यकता एवं उनके उपलब्ध समय के अनुसार संचालित किये जायेंगे । इनमें जगत, सालारपुर, उझानी एवं नगर क्षेत्र है। इनमें अनुदेशक की चयन प्रक्रिया ई0जी0एस0 के प्रकार ही रहेगी । बालिकाओं के लिये कुछ अन्य कार्य जैसे कढाई, बुनाई, सिलाई आदि सिखाने का भी प्रावधान किया जायेगा। ऐसे 27 केन्द्र बदायूं जनपद में प्रस्तावित किये जाते हैं ।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर–

जनपद की भौगोलिक स्थिति अपनी विषम परिस्थितियों के कारण शैक्षिक वातावरण में बाधक बनी हुई है जैसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, खादर, कटरी के क्षेत्र पर आवागमन हेतु उचित सुविधा का अभाव है । ऐसी परिस्थिति में जनपद में शैक्षिक वातावरण तैयार किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय–समय पर आयोजित गोष्ठियों या वहां की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर यह लक्ष्य प्रकाश में आया है कि शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में भी अधिक आयु वर्ग के बच्चे शिक्षित होने से रह जाते हैं तथा मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण वह कहीं दूर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा पाते ऐसी विषम परिस्थिति से निजात पाने के लिये तथा औपचारिक पढ़ाई हेतु शैक्षिक माहौल तैयार करने के लिये ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर तथा दीर्घकालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित रहे इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जाता है।

इन कोर्स शिविरों की अवधि 4 से 18 माह तक हो सकती है। प्रत्येक ब्रिज कोर्स शिविर में न्यूनतम 50 बच्चें शामिल किये जायेंगे । इनमें बच्चों के रहने, खाने एवं शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था होगी ।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स शिविर के लिये एक केयर टेकर, दो पैरा टीचर, एक रसोइया एक चौकदार की आवश्यकता होगी। इसकी लागत प्राइमरी/अपर प्राइमरी केन्द्रों की लागत से कुछ अधिक रखी जा सकती है परन्तु यह 3000/– प्रति छात्र से अधिक नहीं होगा। आवासीय व्यवस्था यथा संभव निःशुल्क करने को प्राथमिकता दी जायेगी। स्टाफ की व्यवस्था अल्पकालीन संविदा पर किये जायेंगे ।

शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0)–

इस योजना का लक्ष्य समूह (6–11) वय वर्ग के बच्चे होंगे । इसके अन्तर्गत (6–8) वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा ई0जी0एस0 योजना के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। किसी भी समय किसी भी कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऐसी असेवित बस्तियों में जहां 1 किमी0 की परिधि में विद्यालय नहीं है। (6–11) वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिये ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे ।

केन्द्र संचालय का समय–

केन्द्र संचालय का समय रात्रि को नहीं रखा जायेगा। केन्द्र प्रतिदिन 4 घण्टे लगातार संचालित किया जायेगा। केन्द्र संचालन करने वाले को आचार्य जी कहा जायेगा।

आचार्य चयन–

आचार्य यथासंभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर ई0जी0एस0 खोला जाना है। उसी गांव का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आचार्य की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी आचार्य की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। आचार्य का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् आचार्य को आमन्त्रण पत्र ग्राम शिक्षा सामिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी आचार्य का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके आचार्य को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में आचार्य का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की समिति द्वारा किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को आचार्य की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबंधित आचार्य हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ सम्मिलित किया जा सकता है।

आचार्य का मानदेय वितरण–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आचार्य के मानदेय की धनराशि रूपये 1000/– प्रति आचार्य की दर से संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में सीनांतरित कर दी जायेगी जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति

द्वारा आचार्य को माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानांतरित कर दी जायेगी ।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आचार्य के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा इस प्रकार की अग्रिम मानदेय की धनराशि शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका–

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के लिये ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखत कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं–

1. (6–14) वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना।
2. कार्यक्रम के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना ।
3. अनुदेशक का चयन करना ।
4. केन्द्र संचालन हेतु स्थल का चयन करना ।
5. केन्द्रों का समय निर्धारित करना ।
6. केन्द्रों की साज–सज्जा एवं बच्चों हेतु सामग्री बाजार मूल्य पर क्रय करके अनुदेशक को उपलब्ध कराना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन उनका प्रतिदिन निरीक्षण करना ।
8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना।
9. नियमित रूप से अनुदेशक का मानदेय भुगतान करना ।

जेला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। समिति के शेष सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
3.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
4.	श्रम विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	–	सदस्य
5.	जिला पंचायत राज्य अधिकारी	–	सदस्य
6.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
7.	स्वैच्छिक संगठनों के 2 प्रतिनिधि (जिलाधिकारी) द्वारा नामांकित।		

नवाचार केन्द्रों को विकास खण्ड वार इस प्रकार प्रस्तावित किया जा रहा है–

सारणी 7.7

जनपद बदायूं में विगत वर्षो में साक्षरता वाले विकास खण्डों की असेवित बस्तियों में 132 विद्या केन्द्र स्वीकृत किये गये जिसमें से 114 विद्या केन्द्र संचालित हैं। विकास खण्ड बार स्थिति इस प्रकार है –

क्र0सं0	वि0क्षे0 का नाम	प्राथमिक स्तर			
		विद्या केन्द्र		शिक्षा घर	
		स्वीकृत	संचालित	स्वीकृत	संचालित
1	वजीरगंज	15	13	–	–
2	दातागंज	15	11	–	–
3	अम्बियापुर	07	07	–	–
4	कादरचौक	34	30	–	–
5	सालारपुर	21	18	–	–
6	म्याऊँ	28	24	–	–
7	उसावाँ	12	11	–	–
8	सहसवान	–	–	16	12
9	जुनवाई	–	–	14	10
10	दहगवां	–	–	18	10
	योग	132	114	48	32

प्रस्तावित ई0जी0 एस0 केन्द्रों की सूची विकास क्षेत्र के साथ–साथ केन्द बार भी उपलब्ध है किन्तु बिज कोर्स उन स्थलों पर चलाये जायेंगे जहां पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट अधिक है। ड्राप आउट का सर्वे काराकर ही ब्रिंज कोर्स प्रस्तावित किये गये हैं।।

नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा विवरण (ए आई ई)

जनपद में प्राथमिक स्तर पर 18 तथा उच्च प्राथमिक स्तरपर 14 नवाचार केन्द्र वर्ष 2003–04 को संचालित किए जायेंगे। जिनमें स्कूल न जाने वाले प्राथमिक स्तर के 900 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 700 बालक–बालिकाएं अध्ययन करने के पश्चात् औवपचारिक विद्यालयों में नामांकित कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जायेंगे। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर सालात्यागी/स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 14 ए आई केन्द्र संचालित किए जायेंगे।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने, नामांकन बढ़ाने, गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने, रिपीटर्स की संख्या में कमी लाने तथा ड्राप आउट रोकने के उद्देश्य को लेकर वर्ष 1997 से ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजना संचालित है । परियोजना के आरम्भ में जनपद में शालात्याग की दर 38.3 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2001 में 26.4 प्रतिशत है यह अभी भी बहुत अधिक है।

ठहराव में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही शिक्षकों का बोधात्मक प्रशिक्षण कराया गया तथा भाषा गणित एवं पर्यावर्णीय अध्ययन में विषयगत प्रशिक्षण दिलवाया गया। ग्राम शिक्षा समितियों का भी प्रशिक्षण कराया जा चुका है जिससे कि इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सके ।

जनपद में शालात्याग की दर को कम करने के लिये तथा नामांकन में वृद्धि करने और गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभी तक काफी सकारात्मक प्रयास किये गये।

सारणी 8.1
डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

क्र0सं0	वर्ष	निर्माण कार्य					
		न0प्रा0वि0	भवनहीन / जर्जर	अति0 कक्षा–कक्ष	शौचालय	एस0पी0आर0सी0	हैण्डपम्प
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1997–87	30	30	28	193	164	169
2.	1998–99	117	80	100	1000	---	---
योग		147	110	128	1193	164	169

आरम्भ मे निर्माण कार्यो की सीलिंग 24 प्रतिशत थी जिसे 2000 में 33 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने पर जनपद की ऐसी असेवित बस्तियों, जहां विद्यालय नही थे और 6–11 वय वर्ग के बच्चों की आबादी अधिक थी वहां नवीन प्राथमिक विद्यालय के साथ–साथ वर्ष 2001–2002 में शालात्याग की दर कम करने हेतु और प्रयास किये गये।

सारणी 8.2

वर्ष 2001–2002 में (डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत) प्रस्तावित कार्य

क्र0सं0	वर्ष	निर्माण कार्य				
		न0प्रा0वि0	भवनहीन / जर्जर	अति0 कक्षा–कक्ष	शौचालय	मरम्मत
1	2	3	4	5	6	7
1.	2001–02	36	110	252	36	360
योग						

स्रोत– वा0का0यो0 एवं बजट 2001–02 (डी0पी0ई0पी0), बदायूँ ।

जनपद मे ठहराव में वृद्धि के लिये यद्यपि काफी प्रयास किये गये तथापि शालात्याग की दर को दृष्टिगत रखते हुये अभी और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। जिससे कि जनपद के शत–प्रतिशत विद्यालय मूलभूत आवश्यकताओं से युक्त हो सकें और शालात्याग की दर से कमी लाते हुये सम्पूर्ण 6–14 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया जा सके ।

विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण / भवनहीन विद्यालय–

जनपद में जर्जर / भवनहीन विद्यालयों की कुल संख्या 136 है जिसमें से 118 विद्यालय प्राथमिक स्तर तथा 18 विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के हैं इन विद्यालयों में कक्षायें पेड़ के नीचे या खुले आकाश में लगती हैं जिस कारण से बच्चे मध्यावकाश के बाद वापस नहीं लौटते हैं तथा एक समय बाद वह विद्यालय आना ही बन्द कर देते हैं । इससे ड्रापआउट में काफी वृद्धि होती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुल 136 विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमे से 118 विद्यालय प्राथमिक स्तर पर तथा 18 विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्माण कराये जाने प्रस्तावित हैं ।

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष –

जनपद में 2 कक्षा–कक्षीय 1095 प्राथमिक विद्यालय हैं। तथा एक **कक्षा–कक्षीय** 3 प्राथमिक विद्यालय हैं अतः प्राथमिक विद्यालयों में 1101 अ कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है।

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 एवं 2002–2003 में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप छात्र नामांकन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की वर्षवार आवश्ककता शिक्षकों के अनुरूप ही होगी।

अतः वर्ष 2002–2007 में प्राथमिक विद्यालय के लिये 1101 कक्षा–कक्ष निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इन्हीं वर्षों में 496 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है।

सारणी 8.3

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष

(प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र0सं0	वर्ष	अतिरिक्त कक्षा कक्ष		
		प्राथमिक विद्यालय	न0 प्रा0 विद्यालय	कुल योग
1	2	3	4	5
2.	2002–2003	0	12	12
3.	2003–2004	0	–	0
4.	2004–2005	459	96	555
5.	2005–2006	392	250	642
6.	2006–2007	250	150	400
	योग	1101	508	1609

स्रोत– 2001 की जनगणना पर आधारित पक्षेपण

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

शौचालय –

जनपद में समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मूलभूत आवश्यकताओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय शौचालय युक्त करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अतः शौचालय प्राथमिक विद्यालयों तथा 84 शौचालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कराये जाने प्रस्तावित हैं । जिन्हें वर्ष वार इस प्रकार कराया जाना है–

सारणी 8.4

शौचालय निर्माण

क्र0सं0	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा0 विद्यालय	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	2002–2003	–	20	20
2.	2003–2004	100	64	164
3.	2004–2005	300	–	–
4	2005-2006	110	84	184
	योग	510		

हैण्डपम्प–

जनपद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गयी थी किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं थी फिर भी जनपद में अभी 38 विद्यालय ऐसे हैं जहां हैण्डपम्प की व्यवस्था की जानी है। जिसमें से 18 प्राथमिक विद्यालयों में और 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाये जाने प्रस्तावित हैं । जिससे कि विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके ।

सारणी 8.5
हैण्ड पम्प व्यवस्था

क्र0स0	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा0 विद्यालय	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	2003–2004	18	20	38
	कुल योग	18	20	38

विद्यालयों के सुन्दरीकरण के लिये तथा बच्चों का नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप आउट रोकने के लिये चहारदीवारी अत्यन्त आवश्यक है इससे विद्यालय बागवानी को बढ़ावा मिलता है और विद्यालय सामग्री की सुरक्षा बनी रहती है तथा विद्यालय भूमि का अतिक्रमण भी रूकता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में कुल 1359 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 1264 चहारदीवारी का निर्माण प्राथमिक विद्यालयों में तथा 95 चहारदीवारी का निर्माण कार्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाना है जिसे अन्य स्रोतों से निर्माण कराया जायेगा। इस हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र–

यद्यपि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की गयी थी किन्तु 40:1 के अनुपात में शिक्षकों की आज भी काफी कमी है जिसको पूर्ण कर लिये जाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रकार प्रस्तावित किया जा रहा है–

सारणी 8.6

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्रों की आवश्यकता

क्र.स.	वर्ष	परिषदीय नामांकन	सृजित पद	शिक्षा मित्र	कुल	40 : 1 से आवयकता	आवश्यकता		
							अध्यापक	शिक्षा मित्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2003–04	372624	5090	1577	6667	9316	1324	–	2649
2	2004–05	380822	6414	2902	9316	9521	102	1428	205
3	2005–06	389200	6516	3005	9521	9730	104	105	209
4	2006–07	397762	6620	3110	9730	9944	107	107	214

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकताओं को इस प्रकार प्रस्तावित किया जा रहा है

सारणी 8.8.1

प्रस्तावित स. अध्यापक/शिक्षा मित्र

क्र.सं.	अध्यापक	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	स. अध्यापक	1426	104	107	1637
2.	शिक्षा मित्र	1428	105	107	1640
	योग	2854	209	214	3277

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के सापेक्ष 40 : 1 में आवश्यकता अध्यापक/शिक्षामित्र की वर्षवार 2004–05 में 2854, 205–06 में 209 एवं 2006–07 में 214 की नियुक्ति करके पूर्ति की जायेगी।

सारणी 8.9

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकता

क्र0 सं0	वर्ष	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा–कक्ष संख्या	आवश्यक कक्षा–कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2002–03	274	25	1495	794	701	1196	1249	246
2.	2003–04	299	50	1745	1401	344	1396	1496	250
3.	2004–05	349	–	1745	1745	—	1396	1496	—
4.	2005–06	349	—	1745	1745	—	1396	1496	—
5.	2006–07	349	—	1475	1745	—	1396	1496	—

स्रोत– पक्षेपण ।

विद्यालयों की सुविधाए –

बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं जिस प्रकार भगवान को बैठने के लिये स्वच्छ सुन्दर वातावरण के साथ आसन ग्रहण कराया जाता है ठीक उसी प्रकार बच्चों को विद्यालयों में ठहराव बनाये रखने के लिये विद्यालय का स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण होना अत्यन्त आवश्यक है तभी बच्चे विद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे और विद्यालय में उनके धारण में वृद्धि होगी । वर्तमान में जनपद में स्थित 1747 प्राथमिक तथा 349 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रूपये 5000/– प्रति वर्ष प्रति विद्यालय की दर से मरम्मत तथा रख–रखाव का प्रस्ताव इस प्रकार रखा जा रहा है–

सारणी 8.10

विद्यालय की सुविधायें

क्र0सं0	विद्यालय	वर्ष				
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राथमिक विद्यालय	–	1687	1747	1747	1747
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	255	265	349	349	349
	योग	255	1952	2096	2096	2096

विद्यालय विकास अनुदान–

विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सहयोगी वस्तुओं जैसे– चाक, डस्टर, कागज, कलम, रजिस्टर इत्यादि उपयोगी वस्तुओं एवं विद्यालय के विकास में सहयोगी वस्तुओं के क्रय हेतु रूपये 2000/– प्रति वर्ष प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव इस प्रकार रखा जा रहा है–

सारणी 8.11

विद्यालय विकास अनुदान

क्र0सं0	विद्यालय	वर्ष				
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राथमिक विद्यालय	–	1712	2165	2165	2165
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	255	424	475	475	475
	योग	255	2136	2640	2640	2640

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को दी जायेंगी। इसका लक्ष्य निम्नवत् है–

वर्ष		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राथमिक विद्यालय	–	161117	193340	232008	278410
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	15346	18195	21384	26201	31441

बालिका शिक्षा–

वर्ष 1991 की जनगणना के राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गयी जबकि उत्तर प्रदेश में पुरूषों की साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है। जबकि जनपद बदायूं की कुल साक्षरता 24.64 प्रतिशत है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता 33.96 और महिलाओं की साक्षरता 12.82 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणना प्रदेश स्तर पर पुरूष और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 70.23 तथा 42.98 पायी गयी है। जबकि बदायूं जनपद की साक्षरता दर 38.83 है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 49.85 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 25.53 प्रतिशत पायी गयी गयी ग्रामीण और नगरीय साक्षरता में भी पर्याप्त अन्तर है। जबकि जनपद के पिछड़े विकास खण्ड रजपुरा, दहगवां, उसावां एवं दातागंज की साक्षरता दर अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा कम है।

साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत–प्रतिशत करने के साथ–साथ सभी वर्ग की शत–प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई समस्यायें उभर कर आयी हैं। बदायूं जनपद में सत्र 2003–2004 में की गयी हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित हैं–

बालिकाओं में ठहराव हेतु रणनीति–

01. समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण–

ऐसे गांव जहां प्राथमिक विद्यालय है उस गांव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के एक समूह का निर्माण कराके उन्हे उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता--शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं विद्यालयीय कार्य में सहयोग करने हेतु कार्य करेंगे ।

02. महिला प्रेरक समूह--

ऐसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहां बालिकाओं की ठहराव एवं उपस्थिति, सहयोग सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक समूह का निर्माण कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा / विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे ।

03. ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन–

बच्चों को विद्यालयों मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अभिभावक व अध्यापक सम्मिलित होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं । उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों को हरा–पीला–लाल तारा का निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा–

- माह में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति – हरा निशान
- माह में 7 से 14 से दिन की उपस्थित – पीला निशान
- माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्च तथा अभिभावकों को बच्चें को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रति माह चार्ट पर अंकित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों मे चर्चा किया जायेगा। साथ ही बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेंगे ।

4. सत्र के मध्य एवं अंत में अभिभावक सम्मेलन–

शिक्षा सत्र के मध्य में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त अभिभावकों की बैठकों में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाली उनकी उपलब्धि दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह विद्यालय में गांव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे जिनका बच्चे विद्यालय आ रहे होंगे। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर–

ऐसे गांव/ग्राम पंचायत जहां न्यूनतम 40 बालिकाएं शालात्याग के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चला कर उनका पुनः विद्यालय मे दाखिला कराया जायेगा।

बेटी हो स्कूल में – कला जत्था अभियान –

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाएं बीच में विद्यालय न छोड़ दें यह सुनिश्चित करने के लिये 'बेटी हो स्कूल में' कला जत्था अभियान चलाया जायेगा। जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव–गांव मे नाटकों की प्रस्तुति की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवों में चलाया जायेगा जहां बालिका साक्षरता दर कम है तथा बालिकाओं की शालात्याग की दर अधिक है।

कोहार्ट स्टडी–

अधिकतम शाला त्याग वाले विद्यालयों में पिछले 5 वर्षो का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चों की सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच वर्षो में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों को ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय मे लाने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षकों का जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से जैंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं को विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों / उपागमों पर चर्चा/ अभ्यास पर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

जनजागरण अभियान–

ऐसी बालिकाएं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है। इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिये जन जागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेषकर ऐसे विकास खण्ड जो अत्यन्त पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं । इसमें माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रभात फेरियां, जुलूस तथा पोस्टर तथा नारों का लेखन, जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठक का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रम–

- समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवदेनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे ।
- महिला प्रेरक समूहों, माता शिक्ष समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण ।
- जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण।
- 11–14 वय वर्ग की ऐसी बालिकायें जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं परन्तु बालकों के साथ बैठकर उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके माता–पिता तैयार नहीं हो रहे है उनके लिये प्रति विकास खण्ड 10 ग्रीष्म शिविर आयोजित किये जायेंगे।

बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीति–

जनपद के अत्यन्त पिछड़े सुदूरवर्ती क्षेत्रों / विकास खण्डों, न्याय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना–

जनपद बदायूं में 3–6 वय वर्ग के बच्चों के लिये आंगनबाड़ी, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र चलना है इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक–मानसिक और इन्द्रियों की विकास के लिये शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. छोटे भाई बहिनों की देखभाल में लगी बालिकाओं को मुक्तकर विद्यालय तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।
2. 3–6 वर्ष वर्ग के स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कूल रेडीनेस) विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना।
3. उचित स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिये माताओं को योग्य बनाना।

इन केन्द्रों में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवा में महिला एवं बाल विकास द्वारा की जायेगी। जबकि 3–6 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं सामाजिक बौद्धिक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य किया जायेगा। सामान्यतः इनमें 3–6 वय वर्ग के बच्चे और 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे गर्भवती एवं धात्री महिलाएं एवं किशोरियां लाभान्वित होती हैं। प्रत्येक ई0सी0सी0ई0 केन्द्र पर 3–6 वय वर्ग के 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है। वर्तमान में जनपद बदायूं में केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है–

सारणी 8.12

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	आंगनबाड़ी के स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	संचालित आई0सी0सी0ए0 केन्द्रों की संख्या	विकास खण्ड में 0–6 वय वर्ग के बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जगत	126	95	20930
2.	सहसवान	138	88	16343
3.	अम्बियापुर	131	37	20418
4.	सालारपुर	100	95	9963
5.	बिसौली	95	76	23228
6.	इस्लामनगर	95	47	21664
7.	आसफपुर	116	60	19838
8.	वजीरगंज	100	61	6437
9.	उझानी	—	—	17556
10.	कादरचौक	—	—	17352
11.	समरेर	—	—	13633

12.	उसांवां	—	—	7706
13.	दातागंज	—	—	17673
14.	दहगवां	—	—	19307
15.	रजपुरा	—	—	21313
16.	जुनावई	—	—	19791
17	म्याऊं	—	—	15412
18.	गुन्नौर	—	—	16834

स्रोत - जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूँ ।

इस प्रकार वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में समस्त बालक बालिकाओं को सेवित नहीं किया जा पा रहा है। इस स्थिति में जनपद के सभी ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में आई0सी0डी0एस0 एवं एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय कर ई0सी0सी0ई0 (संचालित) केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव दिया गया है।

जनपद के ग्रमीण क्षेत्रों के विकास खण्डों में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र चलाने से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के धारण में वृद्धि होगी तथा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चे सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु तैयार होंगे। इस प्रक्रिया से भविष्य में पुनः जागरण अभियानों की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निम्नलिखित विकास खण्डों में जिन्हें ई0सी0सी0ई0/आई0सी0डी0एस0 की आवश्यकतानुसार चिन्हित किया गया है। जिनके लिये ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का सुदृढ़ीकर किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सारणी 8.13

शिशु शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र
1	2	3
3.	वजीरगंज	25
4.	सालारपुर	25
5.	सहसवान	25
6.	जगत	25
7.	अम्बियापुर	25
8.	इस्लामनगर	25
	योग	150

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य(म योजना अन्तर्गत पूर्व से संचालित सभी 150 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को पुनः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव्ति किया जा रहा है। इन प्रस्तावित केन्द्रों के लिये आवश्यक सामग्री तथा खिलौने रोचक चित्र युक्त पुस्तकें, स्लेट, पेन्सिल इत्यादि की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है ऐसे प्रस्तावित ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्री को 1 वर्ष के लिये शिक्षण सहायक सामग्री मद में अनुदान, अतिरिक्त मानदेय, कन्टीनजेन्सी तथा रिकरिंग अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी कार्यकत्रियों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई०सी०डी०एस० के आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है। उन विकास खण्डो में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी स्वयंसेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी। जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्यातिप्राप्त एवं अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क अप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डेवलेपमेन्ट एप्रोच–

प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित न्याय पंचायत को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। कलस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम पंचायतों में 6–11 वय वर्ग की बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति स्वामित्व, उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्म–विश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु जागरूकता आये।

विशेष नामांकन अभियान–

चयनित कलस्टर में पी०आर०ए० विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आकड़ो के आधार पर विशेष क्षेत्रों हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा सभी लक्ष्यगत समूहों की बालिकाओं का विद्यालय में नामकन हो सकें, वे नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो । इसके लिये चिन्हित बच्चों के घर–घर तक पहुंचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक दलों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इसी के साथ निम्न कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे–

1. मीना कैम्पन–

इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता–पिता तथा अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जायेगा।

2. मां–बेटी मेला आयोजन–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं ग्राम स्तर तथा न्याय पंचायत सतर पर बालिकाओं की समस्याओं एवं उनकी उपलब्धियों को बताने हेतु जनपद के दस विकास खण्डों पर दस ग्राम पंचायतों में माँ–बेटी शिक्षक मेले का आयोजन किया जिसमें अपार जनसमूह के साथ–साथ विद्यालय की बालिकाओं उनकी माताओं ने भी प्रतिभाग किया और अपने–अपने गांव

की समस्या एव उपलब्धियों से अवगत कराया गया तथा बालिकाओं को विद्यालय से शत–प्रतिशत जोड़ने हेतु शपथ ली गयी। माँ–बेटी मेला आयोजन के फलस्वरूप विद्यालयों के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उच्च प्राथमिक स्तर तक माँ–बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा तथा यह संकल्पना की जायेगी कि यदि 'लडकी पढ़ेगी तो परिवार पढ़ेगा'। इस मेले में ग्राम/बस्तियों में कुल बालक/बालिकाओं की स्थिति का अवलोकन तथा ना पढ़ने वाले बच्चों का विश्लेषण कर उनका नामांकन विद्यालयों में कराया जायेगा। ग्राम स्तर पर आयोजित माँ–बेटी मेले का उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित करना है।

3. ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं–प्रशिक्षण–

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु माता–शिक्षक तथा शिक्षक अभिभावक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक दल न्याय पंचायत केन्द्रों के समन्वयक के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। माडल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र सामुदायिक गतिविधियों के केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे।

4. ग्राम शिक्षा समितियों / माता शिक्षक संघों / महिला प्रेरक दलों का गठन तथा प्रशिक्षण–

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामांकन, विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु वी0ई0सी0, एम0टी0ए0, डब्ल्यू एम0जी0 को संवेदनशील बनाना विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर गतिविधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु उ0प्र0 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मन्जूषा प्रयोग किये जायेंगे ।

ग्रीष्म कालीन शिविर–

जनपद में ऐसे गाँव/ग्राम पंचायत, जहां न्यूनतम 40 बालिकायें शालात्याग के रूप में चिन्हित की जायेंगी उनमें दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उनका विद्यालय में पुनः प्रवेश कराया जायेगा। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2002–2003 से वर्ष 2003–2004 में क्रमशः 10 एवं 25 ग्रीष्म कालीन शिविर संचालित किए गये। वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 में प्रति वर्ष 90–90 शिविर संचालित करने का प्रस्ताव है।

सारणी 8.13.1
ग्रीष्मकालीन शिविर

क्र0सं0	वर्ष	विकास खण्ड	संचालित ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	शिविर में उपस्थिति			उपस्थिति के प्रति नामांकन			उपस्थिति के प्रति अवशेष		
				बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2001–02	10	37	63	1232	1295	63	1196	1259	––	36	36
2.	2002–03	3	10	74	326	400	73	321	394	01	05	06
3.	2003–04	5	25	112	888	1000	109	877	986	03	11	14

स्रोत– का0वि0बे0शि0अ0, बदायूँ ।

जनपद में बालिकाओं का नामांकन 86.8 प्रतिशत है अतः उक्त के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं के नामांकन विद्यालय में बने रहने और गुणवत्ता पूर्व सम्प्राप्ति प्रत्येक विकास खण्ड के माडल कलस्टर अथवा अन्य क्षेत्रों की चयनित ग्राम सभाओं में 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का भी प्रस्ताव है। इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रधान तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के सहयोग से बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस तरह 164 न्याय पंचायत में प्रतिवर्ष 90 विद्यालयों में 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाये जायेंगे। आगामी वर्षों में अन्य स्थानों में शिविर लगाकर इसका विस्तार किया जायेगा। शिविर हेतु मुस्कान पैकेज का प्रयोग किया जायेगा।

मीना मंच –

जनपद बदायूं बालिका साक्षरता के दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ा हुआ जनपद है अतः यहां मीनामंच जैसे कार्यक्रम बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2003–04 में 10 मीना मंच संचालित हैं जिनके सहयोग से विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराया जा रहा है तथा मीना मंच की बैठकें कर बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 में 30–30 मीना मंचों का प्रस्ताव है।

अन्य–

चयनित कलस्टर में आवश्यकता के अनुसार बालिकाओं के लिये ब्रिज कोर्स, आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को केन्द्रस कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये अन्य कार्यक्रम–

कर के सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत जनपद के पराम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरिया, मिट्टी के खिलौने कागज के सामान, आलू के चिप्स, फल संरक्षण इत्यादि बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि पशुपालन, पुस्तककला, धातु कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादन कार्य सम्बन्धी शिक्षा प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2008–2009 तक 600 उच्च प्रा0 विद्यालयों में इसे लागू कर दिया जायेगा। जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के सामान्य ज्ञान देने हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाया जायेगा।

सारणी 8.14

क्रार्यक्रम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6
समर कैम्प	–	–	90	90	90
माडल कलस्टर	5	–	7	7	7
समाजोपयोगी कार्य उत्पादक कार्य	–	–	18	18	18
मीना मंच	10	–	30	30	30

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (समेकित शिक्षा)–

भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा देश है जिसके अधिकाश निवासी गांवों में रहते हैं । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या का 8 से 10 प्रतिशत भाग विशिष्ट आवश्यकता वाले वर्ग में आता है। जिसमें से लगभग 70 से 75 प्रतिशत विशिष्ट आवश्यकता वर्ग गांवों में निवास करता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक हो रहा है। अतः इस युग में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एव सम्पूर्ण खुशहाल समाज की संकल्पना को पूर्ण करने के लिये अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा के साथ लाना प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले मुख्यतः अल्प, मध्यम एवं गम्भीर अक्षमता से ग्रसित होते हैं। स्थिति निम्नवत् है–

अल्प श्रेणी के अक्षम	–	70 प्रतिशत
मध्यम श्रेणी के अक्षम	–	लगभग 15 से 20 प्रतिशत
गम्भीर श्रेणी के अक्षम	–	10 से 15 प्रतिशत

अल्प श्रेणी के अक्षम बालकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना काफी आसान है। अतः उनके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना (समेकित शिक्षा) सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी अक्षमता के आधार पर मुख्यतः पांच वर्गों में रखा गया है।

1. शारीरिक अक्षमता
2. मानसिक मंदता
3. श्रवण एवं वाणी विकार
4. दृष्टि अक्षमता
5. अधिगम अक्षमता

सेठी एवं उनके सहयोगियों के द्वारा 1967 में लखनऊ शहर में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार करीब 23 बच्चे प्रत्येक 1000 की जनसंख्या में मानसिक मन्द होते हैं । इसी टीम के द्वारा सन् 1972 में लखनऊ के गांवों मे किए गये सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 26 बच्चे 1000 की संख्या में मानसिक मन्द पाये गये।

भारत की जनसंख्या की करीब 2–3 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक मन्द है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण, कारण एवं बचाव–

अक्षमता से ग्रस्त बच्चों का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास सामान्य बच्चों से धीमा होने के कारण इस वर्ग के कुछ बच्चों का शैक्षणिक विकास भी धीमा होता है।

अक्षमता आनुवांशिकता के कारण, गुण सूत्रों की संख्या एवं बनावट के कारण, माता एवं पिता के नजदीकी रिश्तेदारी के कारण, आर एच फैक्टर के कारण, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय एवं जन्म के बाद कुछ कमियों के कारण होती है। इसके अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। हर प्रकार की अक्षमता के लिये जन्म के बाद के कारण अलग–अलग हो सकते हैं ।

अक्षमता से बचाव की इसका इलाज है--

1. मां को 18 वर्ष से पहले एवं 35 वर्ष के बाद गर्भधारण से बचना चाहिये।
2. नजदीकी रिश्तेदारी में शादी से बचना चाहिये।
3. अगर परिवार में अक्षमता का इतिहास है तो आनुवांशिक परीक्षण अवश्य कराना चाहिये।
4. गर्भावस्था के शुरूआत से ही परीक्षण अवश्य कराना चाहिये एवं आरम्भ के तीन महीने अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है ।
5. किसी प्रकार की दवा के सेवन से गर्भावस्था के दौरान बचना चाहिये।
6. किसी भी प्रकार के गर्भपात से, एक्सरे कराने से (गर्भधारण के प्रथम तीन माह में) भारी वजन उठाने से बचना चाहिये।
7. प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में कराना चाहिये।
8. बच्चे को सभी प्रकार के टीके समय से लगवाने चाहिये।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य–

शिक्षा मनुष्य की आत्मा का भोजन है। अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को उनके उम्र के बच्चों के बीच में, परिवार में,समाज एक महत्वपूर्ण अंग समझने के लिये बराबर का स्थान दिलाने के लिये उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'समेकित शिक्षा' आवश्यक है।

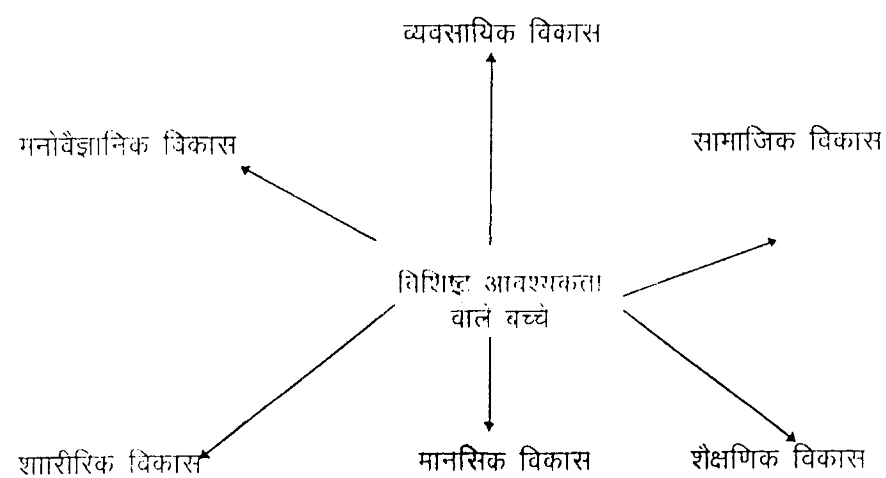

अतः ऐसा वातावरण का निर्माण कर, जिसमें अक्षम बच्चों को उसकी अक्षमता का अनुभव ही न हो, शिक्षा प्रदान करना ही समेकित शिक्षा का उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुये जनपद के अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है-

1. परिषदीय विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ-साथ अल्प अक्षमता से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों का चिकित्सीय मूल्यांकन कराकर उनको विकलांगता प्रमाण पत्र, बस पास, रेलवे पास आदि की व्यवस्था कराना।
3. विद्यालयों में अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ।
4. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर समाज की, परिवार की एवं सहपाठियों की सोच में संवेदनशीलता लाना।
5. प्रत्येक शिक्षक को विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण देना।
6. समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7. गैर सरकारी एवं सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
8. स्वयंसेवी संगठनों की समेकित शिक्षा में सहभागिता लेना।

जनपद के कुछ आधारभूत आंकड़ें –

जनपद में पूर्व से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में समेकित शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2001--02 में चयनित दो विकास खण्डों में विशिष्ट आवश्यकता वाले लक्ष्य वय वर्ग के बच्चों का चिकित्सीय मूल्यांकन एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र वितरण शिविर लगाकर इस प्रकार वितरित कराये गये।

सारणी 8.14.1
विकलांगता प्रमाण-पत्र वितरण

क्र0स0	विकास खण्ड	विशिष्ट आवश्यकता				योग
		मानसिक विकलांग	शारीरिक विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिसौली	19	566	22	20	627
2.	उझानी	52	924	3	20	1029
	योग	71	1490	55	40	1656

स्रोत– का0नि0बे0शि0अ0, बदायूँ ।

जनपद में पूर्व से चिन्हित 219 बच्चों को समाज कल्याण विभाग, बदायूँ द्वारा रूपये 2,64,000/– मात्र के उपकरण निम्नानुसार वितरित कर 219 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

1.	ट्राईसाईकिल	50
2.	बैसाखी (जोड़ी)	152
3.	हियरिंग ऐड	10
4.	व्हील चेयर	7
	योग	219

जनपद में ... के प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत चयनित दो विकास खण्डों में उपकरण एवं उपस्कर पहचान शिविर लगाया जा चुका है जिसमें 228 बच्चों को करेक्टिव सर्जरी के लिये भी चिन्हित किया गया है तथा 785 बच्चों को चिन्हित कर उनको निम्नानुसार उपकरण वितरित कर लाभान्वित किया गया।

1	ट्राई साईकिल	52
2	व्हील चेयर	80
3	बैसाखी (जोड़ी)	163
4.	कैलीपर	429
5.	कृत्रिम अंग	3
6	करेक्टिव शूज	4
7	हियरिंग एड	51
8.	वाकिंग स्टिक	3
	योग	785

समय समय पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अक्षम बच्चों का सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें सबसे अधिक शारीरिक विकलांग बच्चे पाये गये। जनपद बदायूं के अक्षम बच्चों का प्रतिशत औसत से अधिक है। माह जून 2001 के अनुसार स्थिति निम्नवत् है--

सारणी 8.15
लक्ष्य वर्ग (लगभग)

क्र0सं0	कुल योग		विकलांगता का आकार									
			दृष्टि		अस्थि		श्रवण		मानसिक		अधिगम	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	5407	2950	652	356	3547	1919	554	282	527	312	127	81

स्रोत-- का0जि0बे0शि0अ0, बदायूं ।

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद की कार्यनीति–

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में पूरी कार्ययोजना को निम्न कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है–

1. स्वास्थ्य

2. शिक्षा
3. जागरूकता
4. व्यावसायिक
5. सर्वेक्षण

स्वास्थ्य क्षेत्र—

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत अक्षम बच्चों के स्वास्थ्य के लिये निम्न कार्यनीति अपनाई गयी है-

- स्वास्थ्य परीक्षण—

  समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को डाक्टर्स की टीम द्वारा प्रत्येक पी0एच0सी0 वार कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना है। जिससे उनका उचित एव समय से इलाज हो सके ।

- चिकित्सीय मूल्यांकन एवं विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण—

  प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर/ दो न्याय पंचायत मिलाकर शिविर लगाकर जिला विकलांगता बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यो के द्वारा विकलांगता का प्रकार, करेक्टिव सर्जरी की आवश्यकता आदि का पता लगाया जाना तथा प्रत्येक बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

- आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराना—

  विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही अर्धसरकारी/सरकारी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन की मदद से समस्त बच्चों को आवश्यकतानुसार उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिये निम्न संस्थाओं की का सहयोग लिया जाता है।

1. एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद (आ0प्र0)।
2. एन0आई0एच0एच0 मुम्बई ।
3. एन0आई0ओ0एच0 कोलकता।
4. एन0आई0वी0एच0 देहरादून ।
5. आई0पी0एच0 नई दिल्ली ।
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के समस्त डी0एफ0सी0/सी0आर0आर0सी।
7. एलिमको कानपुर ।

- फिजियोथेरैपी / आकूपेशनल थेरैपी / स्पीच थेरैपी –
  समस्त बच्चों को आवश्यकतानुसार शिविर लगाकर फिजियोथैरेपिस्ट, स्पीच पैथोलाजिस्ट एवं आक्यूपेंशनल थिरैपिस्ट की व्यवस्था करके उपयुक्त थेरैपी दिलाना ।

- दाई / ए0एन0एम0 / लोकल डाक्टर की ट्रेनिंग–
  विकलांगता की रोकथाम के लिये गांवों में प्रसव कराने वाली दाइयों, ए0एन0एम0 तथा झोलाझाप डाक्टर को ट्रेनिंग दी जाये।

2. शिक्षा--

शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है जिसके लिये निम्न योजना है–

- मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण –
  प्रत्येक विकास खण्ड के 4–4 अध्यापकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाकर मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है।

- रिसोर्स टीचर प्रशिक्षण--
  प्रत्येक न्याय पंचायत के एक एक अध्यापक को 45 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाकर उसको न्याय पंचायत स्तर का रिसोर्स व्यक्ति बनाया जाना।
- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–
  प्रत्येक शिक्षक को पाच दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष "समेकित शिक्षा" पर दिया जाना है।

- शिक्षण किट का निर्माण--
  प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा "शिक्षक किट निर्माण कार्यशाला" का आयोजन कराना है।

- शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल का विकास–
  जनपद स्तर पर समस्त एम0टी0 एवं रिसोर्स टीचर की मदद से शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल का विकास करना है।

- रिसोर्स कक्ष की स्थापना–
  प्रत्येक तहसील के बी0आर0सी0 पर रिसोर्स कक्ष की स्थापना की जानी है। जहां पर अक्षम बच्चों के लिये समस्त तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी जैसे आडियोमीटर आदि ।

- **विशेष शिक्षा केन्द्रों की स्थापना–**

जनपद की असेवित बस्तियों में जहां पर विद्यालय नहीं है या दूर हैं, विशेष शिक्षा केन्द्र खोले जाने है। जहां पर एक एन0एफ0ई0 प्रभारी नियुक्त किया जायेगा। जिसको मानदेय की व्यवस्था होनी है।

जागरूकता–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के प्रति जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है। समेकित शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिये निम्न योजना है–

- **जागरूकता रैली/प्रभात फेरी–**

  जनपद के प्रत्येक स्तर पर बैनर एवं नारों के साथ अक्षमता के प्रति जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया जाना है।

- **दीवार लेखन--**

  दीवारों पर, प्रमुख स्थानों पर नारों आदि का लेखन।

- **नुक्कड़ नाटक/कठपुतली नाच/वीडियो प्रदर्शन–**

  जनपद के अक्षम बच्चों/सक्षम बच्चों की टीम बनाकर नुक्कड नाटक का प्रदर्शन कराना, विकलांगता पर आधारित शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रदर्शन कराना।

- **बी0आर0जी0/डी0आर0जी0 का गठन–**

  विकलांगता के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान कर जनपद स्तर पर एवं ब्लाक स्तर पर टीमों का गठन करना।

- **संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन–**

  समुदाय, परिवार, भाई–बहन एवं सहपाठियों को अक्षमता के प्रति संवेदनशील करने के लिये प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन।

- **समेकित खेलकूद एवं सांस्कृति कार्यक्रम–**

खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से व्यक्ति एक दूसरे में घुलमिल जाते हैं तथा एक टीम भावना का विकास होता है। न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर समेकित खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। इन प्रतियोगिताओं में अक्षम बच्चे, सामान्य बच्चों के साथ मिलकर प्रतिभाग करेंगे । ये प्रतियोगितायें अक्षम बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का अच्छा प्रयास है।

- **अभिभावक संघ का निर्माण**

अक्षम बच्चों के माता–पिता का एक संघ का निर्माण करना जिससे कि सब लोग साथ–साथ मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिये एक साथ सोच सकें। इसका निर्माण पहले ब्लाक स्तर पर किया जाना है फिर जनपद स्तर पर उसका विलय कर दिया जाना है। जिसकी समय–समय पर बैठकों का आयोजन होना है।

4. व्यावसायिक–

अर्धसरकारी/सरकारी संस्थानों की मदद से ऐसे अक्षम बच्चों जिनकी उम्र तो लक्ष्य वय वर्ग की है लेकिन किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सके के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, जिससे कि वे आत्मनिर्भर हो सकें ।

5. सर्वेक्षण

समय–समय पर आवश्यकतानुसार अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिये तरह–तरह के सर्वेक्षण किये जाने है । जिससे कि इन बच्चों को आवश्यकतानुसार तत्कालीन सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके ।

समेकित शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर ही हों और निम्न पात्रतायें रखती हों–

1. संस्था / सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हौ।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
3. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।
4. संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत अक्षम बच्चों की विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कराने के उद्देश्य से जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक–एक शिक्षक को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। विकास खण्ड डिसौली तथा उझानी में समस्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है।

अक्षम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में वर्ष 2002–03 में 5 विकास खण्डों में वातावरण सृजन शिविर लगाये गये तथा सालार पुर म्याउ एवं कादर चौक में विकलांग बच्चों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

वर्ष 2003–04 में जनपद के 18 विकास खण्डों में से 13 विकास खण्डों में वातावरण सृजन शिविर तथा विकलांग मेडिकल एसेस्मेन्ट कैम्प आयोजित किए गए। वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक आई0 ई0 डी0 के अन्तर्गत मेडिकल एसेस्मेन्ट शिविर और सन्दर्भदाताओं को प्रशिक्षण, उपकरण एवं उपस्कर वितरण वातावरण सृजन कार्यशाला, विभिन्न गतिविधियॉ, तथा फाउन्डेशन कोर्स चलाकर समेकित शिक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सारणी 8.16

अनुमानित बजट (एक शैक्षिक सत्र)

क्र0सं0	मद का ब्यौरा	बजट
1-	चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर	18x5x1000=90,000
2-	उपकरण वितरण शिविर	18x10000=1,80,000
3-	थेरेपी शिविर	18x5x1000=90,000
4-	मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण	18x4x2575=1,85,400
5-	रिसोर्स टीचर प्रशिक्षण (फाउण्डेशन कोर्स)	18x174240=31,36,320
6-	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	17200x(4400/37)=20,45,424
7-	शिक्षण किट निर्माण कार्यशाला	164x2000=3,28,000
8-	छपाई	18x8000=1,44,000
9-	रिसोर्स कक्ष (तहसील स्तर पर)	6x30000=1,80,000
10-	विशेष शिक्षा केन्द्र	18x5x50,000 = 45,00,000
11-	दीवार लेखन	18x10000=1,80,000
12-	नुक्कड़ नाटक / वीडियो फिल्म प्रदर्शन	164x1000=1,64,000
13-	संवेदीकरण कार्यशाला	164x5000=8,20,000
14-	समेकित खेलकूल प्रतियोगिता	
	– न्याय पंचायत स्तर पर	164x2000=3,28,000
	– ब्लाक स्तर पर	18x10000=1,80,000
	– जनपद स्तर पर	1x100000=1,00,000
15-	व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर	164x5000=8,20,000
16-	विशेष कैम्प (तीन दिवसीय)	18x3000=54,000
17-	अभिभावक सलाह शिविर	164x1000=1,64,000
18-	अन्य व्यय	18x12,000=2,16,000
19-	सर्वेक्षण	18x5,000=90,000
20-	विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था	1700x1000=17,00,000
21-	दाई / ए0एन0एम0 ट्रेनिंग	164x2000=3,28,000

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम–

जनपद बदायूं मे सन् 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है। यह परियोजना 30 जून, 2003 को समाप्त होगी। परियोजना की उपलब्धियों को बनाये रखने और शैक्षिक सम्वर्धन कार्यक्रमों को गतिशीलता देने की दृष्टि से 'सर्व शिक्षा अभियान' एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि जिन बच्चों का जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रयास से विद्यालयों में नामांकन नहीं हो पाया है उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पहुंच का विस्तार कर विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। यह कार्य सामुदायिक सहभागिता के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। जब तक जनसमुदाय का विद्यालय प्रबन्ध में सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक सभी लक्ष्य गत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त कठिन कार्य है। अभियान के प्रारम्भिक चरण में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है। नामांकन एवं ठहराव के लिये निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया गया है। इन्हीं कार्यक्रमों को सर्व शिक्षा अभियान की अवाधे में आवश्यकतानुसार समय–समय पर चलाया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित करने हेतु अभिभावकों, अध्यापकों, स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम व गतिविधियां प्रस्तावित की गयी हैं । इन विभिन्न कार्यक्रमों में नेहरू युवा केन्द्र, रोटरी क्लब, महिला मंगल दल/युवक मंगल दल एवं अन्य स्वैच्छिक सगठनों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण में ग्राम स्तरीय सूक्ष्य नियोजन तथा विधालय प्रबन्ध तथा स्थानीय समुदाय के परस्पर समीप करने के लिये इन संगठनों का सहयोग लिया जायेगा। उक्त कार्यों में सहयोग प्राप्त करने हेतु इन संगठनों को चिन्हीकरण करने के लिये पारदर्शी तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी, इन संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का डेस्क टाप तथा फील्ड अप्रैजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा प्राप्त संस्तुति के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा लिया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान–

माह जुलाई 2000 तथा 2001 में जिलाधिकारी बदायूं की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथ ब्लाक एवं जनपद स्तर पर गठित समितियों के सहयोग से बैठक, रैलियां निकाली गयीं । स्कूल चलो अभियान के पोस्टर तथा बैनर के द्वारा जनजागृति हेतु प्रयास किये गये। शिक्षकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण घर–घर जाकर अभिभावको से सम्पर्क कर किया गया उन्हें

विद्यालय में नामांकित कराया गया। अभियान में समाज सुधार को जनप्रतिनिधियों व ग्राम प्रधानों ने भी सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ अन्य विभाग जैसे स्वास्थ्य, राजस्व, वन विभाग, पंचायती राज, समाज कल्याण आदि का भी सहयोग प्राप्त किया गया। आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का भी विद्यालय में नामांकन कराया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण द्वारा आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण–

3 सितम्बर 2001 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति, शिक्षा अधिकारियों एवं विकास विभाग के अधिकारियों को सर्वशिक्षा अभियान की संकल्पना की विस्तृत चर्चा की गयी। इस कार्यक्रम के द्वारा 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन करने, विद्यालय में बच्चों के ठहराव को बनाए रखने तथा गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने तथा असेवित एवं दुर्गम स्थानों में विद्यालय खोलने हेतु सहयोग के लिये आह्वान किया।

माह सितम्बर –अक्टूबर में ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक जनजागरण के लिये जिलाधिकारी के संरक्षण में अन्य अधिकारियों को साथ लेकर सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठकें आयोजित की। बैठकों में उभरे बिन्दुओं एवं कार्यवाही को संकलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्ताव में अंकित किया गया ।

परिवार सर्वेक्षण के प्राप्त आंकडों को आधार पर विकास खण्ड वार योजनाबद्ध तरीके से परिवार सर्वेक्षण करने हेतु ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय तथा ग्राम सभा स्तरीय बैठकें आयोजित की गयीं। सर्वे करने वाले अध्यापकों स्वयं सेवी सगठनों के सक्रीय कार्यकर्ताओं एवं गांव के शिक्षित युवक–युवतियों को ग्राम मजरा/वार्ड का कार्य दिया गया। और सर्वेक्षण करने के उपरान्त समस्त आंकडे ग्राम सभा, न्यायपंचायत स्तर, ब्लाक स्तर पर संकलित कर जनपद स्तर पर संकलित किया गया। सर्वे के कार्यों को जिला समन्वयक सहायक बसिक शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लाक समन्वयकों द्वारा सत्यापन किया गया। इस तरह से जनपद के समस्त गांव मजरा नगर, करबा तथा वार्डों का परिवार सर्वेक्षण कर 0–14 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं का स्कूल जाने वाले तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों को चयनित किया गया सभी विभागों के सहयोग से कार्यक्रम संचालित किये गये। हाउस होल्ड सर्वे से प्राप्त आकडों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

जनपद में कुल 6–11 वय वर्ग के बालक 223786 तथा बालिकाएं 187133, 11–14 वय वर्ग के 110994 तथा बालिकाएं 75072 हैं।

तालिका संख्या 8.17

परिवार सर्वेक्षण – संकलन प्रपत्र सार वर्ष 2003–'04

क्र. सं.	विकास खण्ड	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चों की संख्या			
		बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका	
		6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5+ से 6+	7+ से 10+	11 से 14	5+ से 6+	7+ से 10+	11 से 14	6–11	11–14	6–11	11–14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	कादर चौक	12961	5432	7795	3861	11510	4472	8715	2749	1763	1029	960	1501	1040	1112	228	99	115	57
2	रजपुरा	15396	6571	10787	4717	11343	4808	5905	2449	2840	2999	1763	2618	3667	2268	176	81	85	34
3	गुन्नौर	6587	7464	10997	5286	13563	5757	6171	6581	3108	3255	1908	2768	3764	2561	287	117	122	55
4	जुनावई	12760	6298	8813	2516	12484	3159	6520	1555	1507	1689	964	1086	2293	902	205	55	84	30
5	दहगवां	13928	5853	9835	3847	8705	3281	4768	1541	2873	3675	2572	2468	3623	2306	195	84	83	38
6	सहसवान	20105	9715	14777	6536	13765	6489	8672	2722	3916	3855	3226	3015	3695	2814	204	112	107	45
7	उझानी	1425	5645	11103	4113	7952	4650	9064	2825	2327	912	973	2015	1090	1294	156	72	108	32
8	इस्लामनगर	13512	6573	10852	4525	11772	5893	8938	3780	2220	1245	1042	1962	1345	1064	230	118	125	63
9	आसफपुर	15801	7575	12280	5208	13559	6227	9726	3787	3196	1357	1348	2068	1616	1421	204	111	120	65
10	बिसौली	14481	7097	11704	4669	11638	5744	8361	2940	2188	1937	1353	2003	2243	1729	236	101	116	63
11	वजीरगंज	3331	1355	2682	1106	8615	1091	2231	776	319	281	262	289	335	290	42	20	15	8
12	अम्बियापुर	16544	7663	12556	5257	13183	5848	9061	3382	1936	2536	1864	1765	2597	1867	202	96	101	60
13	म्याऊ	14040	5838	11355	4034	10956	4569	7827	2661	1788	1296	1269	1655	1873	1373	224	100	116	54
14	उसावां	13951	5319	11650	3527	12244	4535	7509	2822	1635	1373	1439	1477	704	1264	320	140	70	55
15	जगत	15591	7522	12611	5733	12648	6106	9746	4070	2086	857	1236	1940	925	1863	209	129	117	63
16	सम्रेर	9580	5025	8449	3182	8077	3738	5904	1901	1621	2036	1243	1334	1865	1224	197	65	91	45
17	दातागंज	12134	4929	9831	3280	10123	4016	7544	2377	2535	1082	873	2248	1125	904	175	88	85	33
18	सलारपुर	11651	5120	9058	3675	10113	4071	7421	2604	2040	1544	1049	1691	1637	1071	147	74	79	20
	योग	223786	110994	187135	75072	202250	84454	134083	48522	39898	32958	25344	33903	35437	27327	3637	1665	1739	820

वातावरण सृजन

समस्त 6 - 14 आयु वर्ग के विद्यालय में नामांकित बच्चे विद्यालय में नियमित उपस्थित रहकर उच्च कक्षा उत्तीर्ण हों तथा उन्हें गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त हो इसके लिये सभी विकास खण्डों में ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत स्तर एवं ब्लाक स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है। यह कार्यक्रम प्रथम 4 वर्षों तक चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सात जुलाई से सितम्बर तक विशेष नामांकन हेतु जनजागरण एवं अभिभावकों से सम्पर्क कार्यक्रम चलाये जायेंगे और अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा। समुदाय का विद्यालय प्रबन्ध व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करने हेतु शिक्षक अभिभावक संघ, माता शिक्षक संघ, बाल मेला, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, बाल सरकार एवं बाल सभा गठित किये जायेंगे। विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का हरे पीले तथा लाल रंगों से चिन्हित कर उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालय,संकुल एवं ब्लाक स्तर पर सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेल सम्बन्धी प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति / नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण--

सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को भलीभांति समझें और उनका निर्वहन करें इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रोप्लालिंग पी0आर0ए0 ग्राम सर्वेक्षण तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण आदि सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा।

सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण

राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा ब्लाक सन्दर्भ समूह के सदस्यों को डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। इस ब्लाक सन्दर्भ समूह में सभी न्याय पंचायतों के दो सदस्य होंगे जिनमें एक शिक्षक तथा एक नेहरू युवा केन्द्र या युवक मंगल दल / महिला मंगल दल के सक्रीय सदस्य होंगे । डायट में यह प्रशिक्षण दो विकास खण्डों के एक साथ व चक्रों में चलाया जायेगा।

नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड एक सन्दर्भदाता के रूप 30 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण 23 चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। इसमें वार्ड सदस्य को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों तथा वार्ड शिक्षा समितियों के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद में 1069 ग्राम शिक्षा समितियां तथा 349 वार्ड शिक्षा समितियॉ गठित हैं। इस प्रकार कुल 1408 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

सारणी 8.18

क्र0सं0	वर्ष	ग्राम शिक्षा समितियों तथा वार्ड शिक्षा समितियों की संख्या	प्रशिक्षित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या	अनुमानित व्यय
1.	2003–05	1408	28160	675.84
2.	2004–05	1408	28160	675.84
3.	2005–06	1408	28160	675.84
4.	2006–07	1408	28160	675.84

विकास खण्ड स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित समन्वयक बी0आर0सी0 तथा संकुल प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत पक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय–9

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु योजना

जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति–

जनपद बदायूं में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता उल्लेखनीय हो, इस अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के तत्वावधान में अधीनस्थ राजकीय दीक्षा विद्यालयों को समाप्त करके इस इस जनपद में सक्रिय रूप से सन् 1996 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। उस समय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष रूप से गतिशील करने के लिये पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, विशेष अनरस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस0ओ0पी0टी0) योजना के अन्तर्गत सम्पन्न कराये गये। तत्पश्चात् शिक्षा में नवीन परिवेश के अनुसार आमूलचूल परिवर्तन की दृष्टि से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना वर्ष 1997 क्रियान्वित की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन करने के अतिरिक्त शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व दिशा निर्देशन में प्रशिक्षण/अकादमिक पर्यवेक्षक शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोगी समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया इसमें ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 केन्द्रों की स्थापना की गयी तथा इनके सफल संचालन हेतु योग्य कुशल एवं निष्ठावान शिक्षकों को प्रभारी के रूप मे चयनित किया गया तत्पश्चात् बी0आर0सी0 समन्वयक, सह समन्वयक तथा संकुल प्रभारी को उनके कार्य दायित्वों शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण के सन्दर्भ में पांच दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। अकादमिक स्तर पर अनुश्रवण एवं सहयोग देने हेतु डायट के प्रवक्ताओं को मेन्टर के रूप में विकास खण्ड स्तर पर नियोजित किया गया तथा जागरूकता हेतु समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक एवं शैक्षिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये गये ।

किन्तु इस सम्बन्ध में दैनन्दिन पर्यवेक्षणों के आधार पर यह अनुभव किया कि इस डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित ही रहे, जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग प्राप्त नहीं हुआ । यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों और छात्रों के हेतु कोई अकादमिक पैकेज तैयार नहीं किया गया ।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज से सम्बद्ध कक्षा 6–8 तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं कठिनाईयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया ।

3. [illegible] में अध्ययनरत छात्र तथा उनके शिक्षक कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं हो सके ।

4. इस सम्बन्ध में विद्यालयों की संख्या जनपद में निम्न प्रकार है–

सारणी 9.1
विद्यालयों की स्थिति

क्र0सं0	विद्यालयों के प्रकार	विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	2040
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	393
3.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा जहां 6,7,8) संचालित हैं	105
4.	आंगनवाड़ी केन्द्र	486
5.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र	150

श्रोत– बी0एस0ए0 कार्यालय बदायूँ

स्कूल पूर्व शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु बच्चे के लिये स्कूल से पूर्व की शिक्षा का अति महत्व है। जनपद में महिला बाल विकास विभाग द्वारा परियोजना द्वारा आंगनबाड़ी 486 संचालित केन्द्रों में से 150 केन्द्रों का चयन किया गया जिन्हें शिशु शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किए गया। इन केन्द्रो का संचालन कार्यकत्री और सहायिकी द्वारा किया जाता है। इसके सफल संचालन हेतु इनको डायट में सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इन केन्द्रों के प्रतिदिन का कार्यक्रम समीप के विद्यालय [illegible] रखा गया । इन केन्द्रों के अनुश्रवण का कार्य बी0आर0सी0 समन्वयक, सहसमन्वयक और एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को दिया गया। डायट मेन्टर भी इनका अनुश्रवण करते हैं ।

केन्द्र पर बच्चों के प्रयोग हेतु खेल सामग्री उपकरण और शिक्षण सामग्री हेतु प्रतिवर्ष 500 रूपये तथा आकस्मिक व्यय हेतु 1500 रूपये का अनुदान दिया जाता है। कार्यकत्रियों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था की गयी। प्र0 अध्यापक और ग्राम प्रधान के लिये इन केन्द्रों के देखरेख की जिम्मेदारी दी गयी। इस योजना से प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित सुधार हुये–

1. बच्चों में प्रारम्भ स्तर से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई ।
2. बच्चों में विद्यालय अधिक समय तक रुकने की आदत विकसित हुई ।
3. शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि विकसित हुई ।
4. जो बालिकायें अपने छोटे भाई बहिनों की देख–भाल के कारण नही आती थी वे स्कूल आने लगीं।
5. शैक्षिक गुणवत्ता में भी विकास हुआ ।

ग्राम शिक्षा समिति

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने को दृष्टिगत रखते हुये डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत शिक्षा समितियो का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सचिव स्कूल का प्रधान अध्यापक तथा सदस्यों को स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि अभिभावक अनुसूचित वर्ग के पुरूष एवं महिला सदस्य भी रखे गये है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग और अल्पसंख्यक बच्चों के अभिभावक भी सदस्य है। । समिति का गठन विद्यालय प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन में, स्थानीय समुदाय की सहभागिता के लगाव को प्रोत्साहित करने विद्यालय भवन की मरम्मत अनुरक्षण, पेयजल, शौचालय, छात्रवृत्ति और शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण हेतु किया गया है।

जनपद बदायूं में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये। समितियों के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) तथा विकास खण्ड संसाधन समूह (बी0आर0जी0) का गठन किया गया। बी0आर0जी0 में नहेरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवक, शिक्षक, समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं । बी0आर0जी0 के सदस्यों को जिला स्तर पर डायट में प्रशिक्षण दिया गया। इसी अनुक्रम में बी0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा ग्राम सभा समिति के सदस्यों को ग्राम सभा स्तर पर प्रशिक्षण दिये गये। जिसमें उन्हें कार्य तथा दायित्वों का बोध कराया गया। इस समिति की प्रतिमाह एक बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें विद्यालय, बच्चे एवं शिक्षकों की आधारभूत आवश्यकताओं कमियों और उनके निवारण हेतु सुधार योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जिससे बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

जनपद में विशेष रूप से बालिका शिक्षा अल्पसंख्यक बच्चे, विकलाग बच्चे और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिये माइक्रो प्लानिंग के आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित की गयी। सूक्ष्म नियोजन द्वारा विद्यालय स्तर पर न आने वाले बच्चे सत्र के मध्य ही बैठ जाने वाले बच्चों की पहचान कर सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया।

इस प्रकार ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से विद्यालय के भौतिक पक्ष एवं शैक्षिक पक्ष में समुदाय की भागीदारी से प्राथमिक शिक्षा में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति हुई है । समुदाय की भागीदारी बढाने के लिये विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन पर उन्हें

आमंत्रित किया जाता है और उनके समक्ष विद्यालय शिक्षक तथा बच्चों की स्थिति को रखते है और उनसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की जाती है। बच्चों की शिक्षा में परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभिभावको के जागरूक होने से बच्चों का विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति गृह कार्य होने में सुनिश्चित सहयोग प्राप्त होता है। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों मे अभिभावक निरक्षर है तथा नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में अत्याधिक गरीब परिवार के बच्चे ही स्कूल आते है जिन्हे केवल विद्यालय के शिक्षकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था--

बच्चों के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर मे वृद्धि हेतु शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी तथा 50 वर्ष की आयु के लगभग हैं । जो प्राचीन तौर तरीकों से कार्य सम्पादित करते थे । आजकल के बदलते हुये वातावरण तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिये उन्हें सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई । जो जनपद स्तर पर शैक्षिक सहयोग डायट द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे– शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति बनाने और उसके क्रियान्वयन का दायित्व डायट को दिया गया। डी0पी0ई0पी0 योजना से पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता था, किन्तु इस कार्यक्रम के दौरान भी निम्नलिखित कठिनाईयों का अनुभव किया गया–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की विभिन्न अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर एक समान थी जिसे कक्षा की आवश्यकताओं से जोड़ने में कठिनाई महसूस की हुई ।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम मे सभी शिक्षकों को सम्मिलित नही किया जा सका।

3. प्रशिक्षण के उपरान्त "फालोअप" विशेषकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

4. प्रशिक्षण के उपरान्त कक्षा मे किस स्तर तक व्यवहार में लाया जा रहा है इसकी जानकारी की व्यवस्था नहीं थी ।

5. अध्यापक शिक्षक के सामने शैक्षिक सम्बन्धी कठिनाई आने पर उसे शीघ्र ही मौका नहीं मिल पाता था।

6. यह प्रशिक्षण गतिविधि आधारित एवं टी0एल0एम0 आधारित न होने से अरूचिकर प्रशिक्षण रहा था।

अतः उक्त कठिनाईयों के अनुभव के आधार पर जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सर्वप्रथम योजना लागू होने से पहले जिले के शिक्षा अधिकारियों एवं डायट से जुड़े प्रवक्ताओं, वरिष्ठ प्रवक्ताओं एवं प्राचार्य आदि को सम्मिलित कर डायट स्तर पर एक विजनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया।

इस कार्यशाला के उपरान्त डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम के तहत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधान अध्यापकों, सहायक अध्यापकों को प्रतिवर्ष प्रथम चक्र द्वितीय चक्र एवं तृतीय चक्र का सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षणों के सन्दर्भ में कार्यक्रमों की डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। सेवारत प्रशिक्षण डायट स्तर एवं ब्लाक स्तर पर (दोनों स्तर पर) आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षकों को प्रभावशाली बनाये रखने हेतु जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को ब्लाक स्तरीय निरीक्षकों एवं डायट प्रवक्ताओं को अनुश्रवण हेतु संलग्न किया गया।

इसी क्रम में प्रशिक्षणोपरान्त कक्षा में प्रशिक्षण के प्रभाव को जानने के लिये तथा शैक्षिक अनु समर्थन के लिये डायट मेन्टर्स एवं ब्लाक समन्वयकों/सह समन्वयकों एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की व्यवस्था है। कक्षा शिक्षण में आयी शैक्षिक समस्याओं एवं विद्यालयी समस्याओं के समाधान के लिये प्रतिमाह एन0पी0आर0सी0 पर महीने के अन्तिम शनिवार को एक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जिसमें संकुल के सभी अध्यापक प्रतिभाग करते हैं तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक की अध्यक्षता में उक्त बैठक का संचालन किया जाता है इसी तरह ब्लाक संसाधन केन्द्र पर भी सभी अध्यापकों एवं एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें आने वाली शैक्षिक एवं विद्यालयी समस्याओ को प्रमुखता से समाधान करने की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एवं बी0आर0सी0 स्तर पर ब्लाकसमन्वयक, डायट मेन्टर्स एवं अन्य संदर्भदाता भी बैठक में प्रतिभाग कर समस्या का समाधान करने में महती भूमिका निभाते हैं ।

इन बैठकों के अतिरिक्त उक्त सभी शैक्षिक समर्थन दाता नियोजन के तहत विद्यालयों में जाकर शिक्षण में आयी कठिनाइयों एवं विद्यालयी वातावरण को आकर्षक बनाने के लिये सुझाव देते हैं तथा भ्रमण के दौरान ही विद्यालयों का श्रेणीकरण उक्त विद्यालयों की स्थिति के अनुसार करते हैं ।

उक्त शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं सहयोग हेतु जिन लोगों को इस कार्य में सलग्न किया था। उन सभी डायट संकाय के प्रवक्ताओं एवं एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों की तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। विद्यालय एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 केन्द्र के श्रेणीकरण हेतु राज्य स्तर पर तैयार किये गये मानक बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन कर उनका श्रेणी करण किया जाता है। जिसके आधार पर जनपद बदायूं के सभी स्कूलों एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 केन्द्रों की ग्रेडिंग स्थिति निम्नवत् है–

सारणी 9.2

बी0आर0सी0 का श्रेणीकरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रदत्त श्रेणी			
		ए	बी	सी	डी
1.	बिसौली	--	✓	--	--
2.	कादरचौक	--	✓	--	--
3.	अम्बियापुर	--	✓	--	--
4.	गुन्नौर	--	✓	--	--
5.	दहगवां	--	--	✓	--
6.	जुनावाई	--	✓	--	--
7.	रजपुरा	--	✓	--	--
8.	जगत	--	✓	--	--
9.	म्याऊँ	--	--	✓	--
10.	उसावां	--	✓	--	--
11.	आसफपुर	--	✓	--	--

12	वजीरगंज	---	✓	--	--
13.	उझानी	--	✓	--	--
14.	सहसवान	--	--	✓	--
15.	दातागंज	--	✓	--	--
16.	समरेर	--	✓	--	--
17	सालारपुर	---	✓		--
18.	इस्लामनगर	--	--	✓	--

स्रोत– डायट, बदायूं

सारणी 9.3
समस्त एन0पी0आर0सी0 का श्रेणीकरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड में कुल एन0पी0आर0सी0 की संख्या	प्रदत्त श्रेणी				योग
			ए	बी	सी	डी	
1.	बिसौली	09	1	3	3	2	09
2.	कादरचौक	08	--	2	4	2	08
3.	अम्बियापुर	11	1	2	4	4	11
4.	गुन्नौर	09		3	4	2	09
5.	दहगवां	09	--	5	3	1	09
6.	जुनवाई	10	1	3	4	2	10
7.	रजपुरा	09	--	4	3	2	09
8.	जगत	09	2	4	2	1	09
9.	म्याऊँ	08	--	4	2	2	08
10.	उसावाँ	08	--	3	3	2	08
11	आसफपुर	09	--	3	4	2	09
12.	वजीरगंज	07	1	3	2	1	07
13.	उझानी	11	1	3	4	3	11
14.	सहसवान	12	--	4	6	2	12
15.	दातागंज	09	1	4	3	1	09
16.	समरेर	09	--	4	4	1	09
17	सालारपुर	09		4	3	2	09
18.	इस्लामनगर	08	--	4	3	1	08
	योग	164	08	62	61	33	164

स्रोत– डायट, बदायूं

सारणी 9.4

विद्यालयों का श्रेणीकरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड में विद्यालय संख्या	प्रदत्त श्रेणी				योग
			ए	बी	सी	डी	
1.	बिसौली	93	03	50	38	02	93
2.	कादरचौक	79	01	56	20	02	79
3.	अम्बियापुर	91	11	55	20	05	91
4.	गुन्नौर	86	21	36	26	03	86
5.	दहगवां	71	——	04	44	23	71
6.	जुनवाई	77	09	30	23	15	77
7.	रजपुरा	79	14	28	35	02	79
8.	जगत	95	10	28	44	13	95
9.	म्याऊँ	91	09	42	25	15	91
10.	उसावाँ	83	02	20	48	13	83
11.	आसफपुर	90	10	65	15	——	90
12.	वजीरगंज	83	——	25	35	23	83
13.	उझानी	110	02	46	55	07	110
14.	सहसवान	88	06	34	26	22	88
15.	दातागंज	85	35	37	13	——	85
16.	समरेर	90	20	27	42	01	90
17.	सालारपुर	91	12	38	40	01	91
18.	इस्लामनगर	87	05	40	26	16	87
	योग	1569	170	661	575	163	1569

स्रोत– डायट, बदायू

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक शिक्षकों को तीन चक्रों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया। इसके लिये प्रशिक्षकों का चयन खुली प्रतियोगिता द्वारा किया गया जिनकों डेबनेट पटना के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जो बाद में सभी शिक्षकों को 10 दिवसीय दिया गया। प्रशिक्षण शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण के नाम से था।

प्रथम चक्र के मुख्य बिन्दु

1. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करना ।
2. शिक्षकों को स्थानीय सहायक सामग्री के प्रति सचेत करना ।
3. शिक्षण में नवीन गतिविधियों को स्थापित करना ।
4. शिक्षक बच्चों की कठिनाईयों को समझते हुये तदनुरूप व्यवहार के प्रति सचेत बनाना ।
5. शिक्षक अभिभावक और छात्र का परस्पर सामंजस्य बनाये रखने के प्रति जागरूक बनाना।
6. समाज के विभिन्न वर्गो (वंचित वर्ग, बालिका शिक्षा) की कठिनाईयों के पति सवेदनशील बनाना।

शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय चक्र

द्वितीय चक्र के प्रशिक्षकों का चयन खुली प्रतियोगिता द्वारा किया गया प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के प्रशिक्षकों द्वारा डायट फरीदपुर (बरेली) में दिया गया बाद में डायट एवं बी0आर0सी0 स्तर पर 8 सदस्यीय प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को दिया गया इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं--

1. बच्चा शिक्षक तथा तथा सीखने की प्रक्रिया के बारे में विश्वास तथा मान्यताएं।
2. विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण ।
3. दक्षता आधारित शिक्षण पर बल ।
4. भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति शिक्षकों की स्पष्ट समझ बनाना।
5. शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी ।
6. विभिन्न विषयगत गतिविधियों का निर्माण एव कक्षा शिक्षण में उसका प्रयोग ।

शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र –

तृतीय चक्र प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन खुली प्रतियोगिता द्वारा किया गया। उनको प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के प्रशिक्षकों द्वारा डायट बदायूं में दिया गया। जो बाद में शिक्षकों बी0आर0सी0 एवं डायट स्तर पर दिया गया। इस प्रशिक्षण के सम्मुख अंश निम्नलिखित हैं। इनके बेस पेपर डायट में तैयार किये गये थे ।

1. प्रथम एवं द्वितीय चक्र के प्रशिक्षणों का पुनः स्मरण कराना।
2. नवीन पाठ्य पुस्तकों का परिचय एवं शिक्षक संदर्शिकाओं के उपयोग पर चर्चा ।
3. बहु कक्षा शिक्षण के आवश्यक उपाय ।
4. बहुआयामी / बहुउददेशीय गतिविधियों का महत्व, निर्माण एवं उनका प्रयोग ।
5. टी0एल0एम0 निर्माण, संग्रह तथा उसका कक्षा शिक्षण में उपयोग।
6. सूचना प्रबन्धन एवं समय प्रबन्धन से एकल अध्यापकीय विद्यालयों के कक्षा शिक्षणों में लाभ।
7. अक्षम बच्चों के लिये समेकित शिक्षा व्यवस्था के सामान्य उपाय।
8. सतत् एवं व्यापक मूल्याकन की व्यवस्था।
9. प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों द्वारा आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण आदि ।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना द्वारा किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी है।

इस दृष्टि से उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये भी ऐसी ही व्यवहारिक विषयगत शिक्षणों की महती आवश्यकता हैं।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति –

जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताएं अलग–अलग तरह की है। जिससे कि वर्तमान परिस्थितियों में शैक्षिक क्रियाकलापों से तालमेल (सामंजस्य) बनाने मे उन्हें कुछ कठिनाईयों का अनुभव होता है।

सारणी 9.5

जनपद में कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण

क्र0सं0	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उ0प्रा0 स्तर
1.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	505	00
2.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	485	25
3.	केवल इण्टरमीडियेट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	195	74
4.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	120	66
5.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	15	42
6.	इण्टरमीडियेट (प्रशिक्षित)	1429	283
7.	स्नातक एव प्रशिक्षित	628	219
8.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	332	85
	योग	3709	794

स्रोत– का0जि0बे0शि0अ0 बदायूं ।

स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 505 शिक्षक हाईस्कूल से कम योग्यता वाले है जिन्हें विभिन्न विषय–वस्तु का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की महती आवश्यकता है। शिक्षकों में 330 शिक्षक अप्रशिक्षित है जिन्हें औपचारिक प्रशिक्षण सबधी बाल मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षण विधियों की जानकारी तथा शिक्षण क्रियाओं की जानकारी / प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 9.5.1

जनपद में कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों का शिक्षण कार्य व अनुभव

क्र0सं0	शिक्षण अनुभव वर्ष में	प्राथमिक स्तर शिक्षक संख्या	उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षण संख्या
1.	5 से वर्ष से कम	532	47
2.	5 से 10 वर्ष तक	628	70
3.	10 से 15 वर्ष तक	386	107
4.	15 से 20 वर्ष तक	557	139
5.	20 से 25 वर्ष तक	485	120
6.	25 से 30 वर्ष तक	616	145
7.	30 वर्ष से अधिक	505	166

स्रोत– का0जि0बे0शि0अ0 बदायूं ।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद मे कार्यरत शिक्षकों मे से 505 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव प्राप्त है । ऐसे शिक्षको को छोटे बच्चों की शिक्षण विधाओं, बहु कक्षा शिक्षण, विद्यालय समय सारिणी, कक्षा प्रबन्धन सामाजिक परिस्थितियों से तालमेल आदि की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं। सारिणी के अनुसार 616 शिक्षक 25 वर्ष सेवावधि वाले हैं । उनमें ज्ञान को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ने की अति आवश्यकता है। साथ ही नवीन पाठ्यक्रम एव पाठ्य पुस्तकों के अनुसार शिक्षण करने हेतु विशेष प्रशिक्षणो की अति आवश्यकता महसूस हो रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सारिणी का ध्यानाकर्षण करने पर ज्ञात होता है कि जो शिक्षक केवल हाईस्कूल की ही योग्यता रखते हैं। ऐसे शिक्षकों को नवीनतम पाठ्यक्रम एवं वर्तमान शिक्षा पद्धति से जोड़ने हेतु प्रशिक्षणो की आवश्यकता है। सारिणी के अनुसार 47 शिक्षक 5 वर्ष याकम अनुभव रखते हैं। इन्हे भी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बच्चों के व्यवहार विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के लिये प्रयास एव बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी शिक्षण विधाओं से प्रशिक्षित कराने की आवश्यकता है। जो शिक्षक 25 वर्षो से अधिक की सेवा अवधि वाले है उन्हे भी वर्तमान शिक्षण की नवीन विधियो से ओतप्रोत करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

वर्तमान समय मे विषम परिस्थितियो मे विशेष लगन, परिश्रम एव ईमानदारी से शिक्षण में सलग्न योग्य एव उत्साही तथा नवीन गतिविधि आधारित कार्यकलापो को सचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता है। विद्यालय का भवन तथा उसका वातावरण स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिये शिक्षकों द्वारा दीवारों पर आवश्यक गतिविधियों के चार्ट, माडल, कहानी चित्रण एवं विभिन्न मानचित्र आदि बनाने तथा लगाने की भी महती आवश्यकता हैं।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव –

प्रशिक्षणो का कक्षा मे प्रभाव का मूल्याकन तीन प्रकार से किया जा सकता हैं

1 अध्यापकों से वार्ता करके ।
2. बच्चों से वार्ता करके तथा
3. मूल्यांकन करने वालों से वार्ता करके ।

प्रशिक्षण का प्रभाव जितना अध्यापको पर पड़ा उतना वे पूर्णतया तो कक्षाओं मे नही उतार पाये तथा जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बच्चों पर पड़ा जिससे कक्षा कक्ष में (विद्यालयों में) बच्चे प्रसन्न नजर आते है ।

इससे बच्चों को औपचारिक रूप से पढाना आरम्भ करने से पूर्व पढने की तैयारी मे विशेष मदद मिली है। गतिविधि परक माहौल तथा लययुक्त विद्यालय वातावरण ने बच्चों को विद्यालय से जोड दिया तथा सम्मिलित रूप से कक्षा 1,2 बैठने तथा शिक्षण मे कठिनाई समाप्त हुई।

कुछ हद तक एकल अध्यापक वाले विद्यालय की समस्याओ का समाधान हुआ। यह भी देखने मे आया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के फलस्वरूप जितना प्रभाव कक्षा में उत्पन्न कर सकता है उतना करने मे सकोच करता है। क्योंकि अभी ढर्रा पूरी तरह नही बदला है।

परिवीक्षकों का मानना है कि परिवेक्षण के भ्रमण के दौरान शिक्षण गतिविधियां तथा सहायक सामग्री का प्रयोग कही–कही नाटकीय ढंग से करता है। आरम्भ में प्रशिक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न हुये कक्षा के वातावरण से अभिभावक भी चौके और अप्रशिक्षित एवं अधिकारी को अब भी कुछ बातें दृष्टिगत चौंक जाते है । गुणवत्ता संवर्धन के लिये प्रशिक्षण जीविका का काम कर रहे हैं । किन्तु व्यवहारिक पक्ष को और प्रबल करने के लिये सतत् संपर्क की आवश्यकता है।

सारणी 9.6

डायट के निर्देशन में सम्पन्न हुये प्रशिक्षण/कार्यशालाएं

क्र०सं०	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	कब से कब तक	प्रतिभागी
1.	एस०ओ०पी०टी० प्रशिक्षण	07 दिन	11.10.96 से 27.2.97 तक (12 फेरे)	जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
2.	विजनिंग कार्यशाला	04 दिन	12.2.98 से 15.2.98 तक	जनपद के प्रा० शिक्षा से जुड़े अधिकारी, डायट स्टाफ एवं बी०आर०सी० समन्वयक ।
3.	शिक्षक पहचान प्रशिक्षण (प्रथम चक्र)	10 दिन	07.1.98 से 16.1.98 तक 02.02.98 से 11.2.98 तक	जनपद के समस्त विकास खण्डों से चयनित शिक्षक ।
4.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	05 दिन	6.4.98 से 10.4.98 तक 7.9.98 से 11.9.98 तक	चयनित प्रशिक्षक ।
5.	शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण (प्रथम चक्र)	10 दिन	21.5.98 से 11.2.99 तक (12 फेरे)	जनपद के समस्त प्रा०वि० के प्र०अ० एवं स०अ०
6.	शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण	10 दिन	25.7.00 से 14.8.00 तक (2 फेरे)	विशिष्ट बी०टी०सी० प्राप्त प्रा०वि० के स०अ०
7.	शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण (द्वितीय चक्र)	08 दिन	12.11.99 से 5.4.00 तक (8 फेरे) 10.2.01 से 17.2.01 तक	जनपद के समस्त प्रा०वि० के प्र०अ० एवं स०अ०
8.	[illegible]	02 दिन	नवम्बर 99	ए०बी०आर०सी०, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०
9.	बी०आर०सी०, एन०पी०आर० सी० कार्य नियोजन	05 दिन	8.10.98 से 1.11.98 तक (4 फेरे)	बी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक/संकुल प्रभारी
10.	शैक्षिक सपोर्ट सम्बन्धी कार्यशाला	03 दिन	24.8.00 से 2.9.00 तक (4 फेरे) 19.12.00 से 21.12.00 तक (1 फेरा)	समस्त अनुश्रवण अधिकारी बी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक

11.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (तृतीय चक्र)	08 दिन	26.12.01 से 12.01.01 तक (दो फेरे)	चयनित प्रशिक्षक
12.	तृतीय चक्र शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल ट्रायलिंग कार्यशाला	08 दिन	27.9.00 से 4.10.00 तक	बरेली मण्डल के शिक्षक
13.	शिक्षक प्रशिक्षण (तृतीय चक्र)	08 दिन	9.5.01 से 3.9.01 तक (7 फेरे)	जनपद के समस्त प्रा0वि0 के प्र0अ0 एवं स0अ0
14.	बालशाला अनुदेशक शिक्षा घर	15 दिन	20.5.99 से 3.6.99 तक 4.6.99 से 18.6.99 तक	बालशाला अनुदेशक शिक्षा घर अनुदेशक
15.	बाल घर अनुदेशक शिक्षा घर	15 दिन	अक्टूबर 2000	बालशाला अनुदेशक शिक्षा घर अनुदेशक
16.	ई0सी0सी0ई0	07 दिन	24.10.98 से 2.12.98 तक (03 फेरे) 19.2.00 से 4.4.01 तक (2 फेरे)	ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियां
17.	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	30 दिन	2.3.01 से 24.4.01 तक (4 फेरे)	चयनित शिक्षा मित्र
18.	आचार्य प्रशिक्षण	30 दिन	31.1.01 से 1.3.01 तक 25.6.01 से 24.7.01 तक	चयनित आचार्य
19.	प्राथमिक शिक्षा [illegible] हेतु कार्यशाला [illegible]	03 दिन	18.3.99 से 20.3.99 तक	बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक/शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/डायट प्रवक्ता ग्राम शिक्षा समिति ।
20.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	03 दिन	19.12.97 से 1.1.98 तक (3 फेरे)	ग्राम शिक्षा समिति
21.	प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति	03 दिन 01 दिन	16.3.99 से 3.4.99 तक अगस्त 2000 " 25.8.2000	ग्रा0 शि0 सं0 के सदस्य न्याय पंचायत स्तर ब्लाक स्तर जनपद स्तर

22.	ग्रीष्म कालीन	10 दिन	जून 2000	ग्रामीण क्षेत्रों की 9–14 वर्ग की बालिकायें ।
23.	लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण	03 दिन	जुलाई 2001	प्राथमिक शिक्षक
24.	एम0टी0ए0 / पी0टी0ए0	03 दिन	जुलाई 2001	अभिभावक एवं शिक्षक
25.	विज्ञान कार्यशाला	03 दिन	जून 2001	प्राथमिक शिक्षक
26.	महिला प्रेरक समूह	03 दिन	जून 2000	स्कूलविहीन मझरों की महिलाएं
27.	अनौपचारिक शिक्षा		5.7.99 से 11.1.2000	अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ व्यक्ति
28.	विज्ञान / गणित कार्यशाला	04 दिन	16.3.98 से 19.3.98 तक	प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
29.	सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला	03 दिन	20.8.01 से 22.8.01 तक	प्रत्येक स्तर से 3 शिक्षक

स्रोत– डायट, बदायूं ।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रशिक्षण संचालन का दायित्व डायट को सौंपा गया। अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर डायट के प्रवक्ताओं एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है । तदुपरान्त डायट के प्रवक्ता की ब्लाक सेन्टर के रूप में पदस्थापित कर बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 और विद्यालयों का अनुश्रवण प्रतिमाह कराया जाता है। विकास खण्ड स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक, सहसमन्वयक और न्याय पंचायत स्तर पर संकुल प्रभारी के चयन योग्य कुशल एवं परिश्रमी शिक्षकों को किया गया। जो विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर क्रमशः प्रशिक्षण आयोजित कराने और अनुश्रवण का कार्य करते हैं । सर्वप्रथम इनको डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण दिये गये–

1. बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0 और एन0पी0आर0सी0 को कार्य एवं दायित्व सम्बन्धी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण ।
2. शैक्षिक सपोर्ट पर्यवेक्षण एवं सहयोग सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण ।

डायट में प्रतिमाह बी0आर0सी0 की एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें उनकी शैक्षिक सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर ए0बी0, एन0पी0आर0सी0 और न्याय पंचायत स्तर पर सभी अध्यापकों की बैठक आयोजित होती है जिसमें ब्लाक मेन्टर भी डायट की ओर से प्रतिभाग करते हैं और शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।

समस्त अनुश्रवण कर्ताओं का डायट स्तर पर विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 और स्कूलों का उनके भौतिक तथा अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण करने और नियमित अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं ।

गुणवत्ता के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका–

समन्वयक द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप ।
2. मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालय भ्रमण, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करना ।
3. विकास खण्ड स्तरीय वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण और उसका क्रियान्वयन ।
4. शिशु शिक्षा केन्द्रों और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण तथा उन्हें फीडबैक प्रदान करना ।
5. एन0पी0आर0सी0 क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और उनका क्रियान्वयन कराना ।
6. ई0एम0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन ।
7. डायट को सहयोग प्रदान करना ।
8. डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं ।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका –

न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु एन0पी0आर0सी0 केन्द्र है। एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण में ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण आयोजन, शिक्षकों के अनुभव का परस्पर विनियम, स्कूल भ्रमण, शिक्षकों एवं उच्च पदाधिकारियों का सहयोग प्रदान करना आदि प्रमुख कार्य सम्पादित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त मुख्य कार्य निम्नलिखित है–

1. शिक्षक की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन ।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना ।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई0एन0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना ।

5. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान।

6. कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना ।

7. अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना, नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों में जुडी समस्याओ का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्ध। पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यपुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको सहायता देना।

8. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

9. विद्यालय पंजीकरण का कार्य

प्रोत्साहन योजनाएं –

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में 6–11 आयु वर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत ठहराव एवं ह्रास अवरोध को कम करने के उद्देश्य से सरकारी स्तर से अनुसूचित जाति के सभी बालक–बालिकाओं तथा अल्पसंख्यक जाति के सभी बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। साथ ही पिछड़ी जाति के कक्षा 3,4,5 में प्रथम स्थान पाने तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी शासन स्तर से छात्रवृत्ति वितरित की गयी है।

इसके अतिरिक्त कक्षा 1–5 तक अध्यनरत सभी वर्ग की बालिकाओं को तथा अनुसूचित जाति के बालकों एवे बालिकाओं को डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था की गयी है, जिसमें विद्यालयों में बच्चों की प्रति वर्ष ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही हैं जिसके फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन एव ठहराव बढ़ा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन छात्र/छात्राओं को अल्प पोषाहार योजना के अन्तर्गत 3 किलो प्रति बच्चों की दर से प्रतिमाह खाद्यान्न का वितरण भी किया गया है। यह वितरण सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत 80 प्रतिशत मासिक विद्यालय उपस्थिति की शर्त पर ही वितरित किया जा रहा है। जिससे कि बच्चों के विद्यालय में ठहराव एव शत–प्रतिशत नामांकन में वृद्धि में मददगार सिद्ध हो रही है।

बेस लाइन सर्वेक्षण तथा मध्यसत्रीय सवेक्षण–

जनपद बदायूं में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ में बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर की जानकारी के लिये वर्ष 1996–97 में कक्षा –1 एवं कक्षा–4 के छात्रों का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन के टेस्ट प्रश्न पत्र राज्य स्तर (एस0सी0ई0आर0टी0) द्वारा तैयार किये गये थे ।

वर्ष 1999–2000 में मध्यसत्रीय मूल्यांकन का कार्य किया गया जो जनपद के विकास खण्डों तथा स्कूलों का चयन रेण्डम सैम्पलिग द्वारा किया गया। यह परीक्षण भी कक्षा–1 व कक्षा–4 के बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों का किया गया। जिनका विवरण दिया गया है–

सारणी 9.7

बेस लाइन सर्वे और मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वे के आधार पर कक्षा–1 के छात्रों की भाषा में उपलब्धि की लिंग के अनुसार तुलना

जनपद	लिंग	मध्य सत्रीय सर्वेक्षण			बेस लाइन सवेक्षण			औसत अन्तर	क्रान्तिकमान	मानक त्रुटि मध्य सत्रीय सर्वे	मानक त्रुटि बेस लाइन सर्वे
		संख्या	माध्य प्रति0	मा0वि0	संख्या	माध्य प्रति0	मा0 वि0				
बदायूं	लड़के	101	69.21	23.43	528	47.80	33.68	21.41	6.10	2.33	1.47
	लड़कियां	63	72.70	20.71	250	42.75	33.09	29.95	6.83	2.61	2.09
	योग	164	70.55	22.42	778	46.20	36.00	24.35	8.32	1.75	1.29

स्रोत– डायट, बदायूं

विश्लेषण / व्याख्या–

उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि कक्षा–1 छात्रों की भाषा में उपलब्धि बी0ए0एस0 परीक्षण में 47.8 प्रतिशत और एम0ए0एस0 में 69.21 प्रतिशत छात्राओं की बी0ए0एस0 और एम0ए0एस0 में औसत उपलब्धि क्रमशः 42.75 प्रतिशत और 72.70 प्रतिशत है दोनों ही स्थितियों में बालक और बालिकाओं की उपलब्धि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह सुधारात्मक संकेत है।

सारणी 9.8

बेस लाइन सर्वे और मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वे के आधार पर कक्षा–1 के छात्रों की गणित में उपलब्धि की लिंग के अनुसार तुलना

जनपद	लिंग	मध्य सत्रीय सर्वेक्षण			बेस लाइन सवेक्षण			औसत अन्तर	क्रान्तिकमान	मानक त्रुटि मध्य सत्रीय सर्वे	मानक त्रुटि बेस लाइन सर्वे
		संख्या	माध्य प्रति0	मा0वि0	संख्या	माध्य प्रति0	मा0 वि0				
बदायूं	लड़के	101	83.03	19.24	528	43.36	31.71	39.67	12.13	1.92	1.38
	लड़कियां	63	85.37	17.66	250	33.43	30.42	51.94	12.97	2.22	1.92
	योग	164	83.93	18.63	778	40.14	35.07	15.52	15.32	1.45	1.26

स्रोत– डायट, बदायूं

विश्लेषण / व्याख्या–

उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि कक्षा–1 छात्रों में गणित में लिंग के अनुसार बी0ए0एस0 में बालकों की उपलब्धि का क्रान्तिकमान 1.38 और एम0ए0एस0 में 1.91 है। बालिकाओं की क्रमशः 1.92 और 2.22 है। अतः बालिकाओं की उपलब्धि में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 9.9

बेस लाइन सर्वे और मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वे के आधार पर कक्षा–4 के छात्रों की भाषा में उपलब्धि की लिंग के अनुसार तुलना

जनपद	लिंग	मध्य सत्रीय सर्वेक्षण			बेस लाइन सवेक्षण			औसत अन्तर	क्रान्तिकमान	मानक त्रुटि मध्य सत्रीय सर्वे	मानक त्रुटि बेस लाइन सर्वे
		संख्या	माध्य प्रति0	मा0वि0	संख्या	माध्य प्रति0	मा0 वि0				
बदायूं	लड़के	61	50.35	10.25	363	41.46	10.90	8.89	5.93	1.31	.57
	लड़कियां	37	42.92	11.18	118	43.40	12.45	.48	.21	1.84	1.15
	योग	98	47.55	11.16	481	41.44	10.99	6.11	4.99	1.13	.50

स्रोत– डायट, बदायूं

विश्लेषण / व्याख्या–

उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि कक्षा–4 छात्रों की भाषा में लिंग के अनुसार उपलब्धि का बी0ए0एस0 तथा एम0ए0एस0 में बालकों का क्रान्तिकमानक में त्रुटि क्रमशः 0.57 तथा 1.31 है तथा बालिकाओं का क्रमशः 1.15 तथा 1.84 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः बालक और बालिकाओं की उपलब्धि समान है।

सारणी 9.10

बेस लाइन सर्वे और मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वे के आधार पर कक्षा–4 के छात्रों की गणित में उपलब्धि की लिंग के अनुसार तुलना

जनपद	लिंग	मध्य सत्रीय सर्वेक्षण			बेस लाइन सर्वेक्षण			औसत अन्तर	क्रान्तिकमान	मानक त्रुटि मध्य सत्रीय सर्वे	मानक त्रुटि बेस लाइन सर्वे
		संख्या	माध्य प्रति0	मा0वि0	संख्या	माध्य प्रति0	मा0 वि0				
बदायूं	लड़के	61	40.66	16.42	363	31.52	11.22	.14	5.44	2.10	.59
	लड़कियां	37	37.99	15.45	118	29.92	11.37	4.07	1.72	2.54	1.05
	योग	98	38.14	16.31	481	31.15	11.25	6.99	5.14	1.65	.51

स्रोत– डायट, बदायूं

विश्लेषण / व्याख्या–

उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि कक्षा–4 छात्रों की लिंग के अनुसार गणित में बालकों की बी0एस0ए0 तथा एम0ए0एस0 में उपलब्धि का क्रान्तिकमानक त्रुटि .59 तथा 2.10 है जो सुधारात्मक संकेत है। बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 1.05 और 2.54 है। जिससे सुधार के संकेत प्रकट होते है ।

सारणी 9.11

कक्षा–1 के विद्यार्थियो की न्यूनतम अधिगम स्तर के विभिन्न स्तरों पर लिंग के अनुसार भाषा में उपलब्धि

क्र0सं0	स्तर		लड़के संख्या 428	लड़किया संख्या 347	योग संख्या 776
1.	न्यूनतम अधिगम स्तर को न प्राप्त	संख्या	34	30	64
	करने वाली	प्रतिशत	7.9	8.6	8.2

2	न्यूनतम अधिगम स्तर को	संख्या	40	50	90
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	9.3	14.4	11.6
3.	न्यूनतम अधिगम स्तर में अच्छा	संख्या	105	72	177
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	24.3	20.7	22.8
4.	न्यूनतम अधिगम स्तर में बहुत	संख्या	250	195	445
	अधिक ज्ञान रखने वाले	प्रतिशत	58.4	56.2	57.3
	योग	संख्या	429	347	776
		प्रतिशत	55.2	44.7	100.00

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

तालिका से स्पष्ट है कक्षा–1 के भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त न करने वाले बालक 7.9 प्रतिशत तथा बालिकाएं 8.6 प्रतिशत हैं । एम0एल0एल0 को प्राप्त करने वाले बालक 9.3 प्रतिशत बालिकाएं 14.4 प्रतिशत हैं । अच्छे एम0एल0एल0 वाले बालक 24.3 प्रतिशत बालिकाएं 20.7 प्रतिशत हैं । अधिक ज्ञान रखने वाले छात्र 58.4 प्रतिशत छात्राएं 56.2 प्रतिशत हैं।

सारणी 9.12

कक्षा–1 के विद्यार्थियो का गणित में उपलब्धि के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम अधिगम स्तर पैमाने पर (लिंग के अनुसार) प्रतिशत वितरण

क्र0सं0	स्तर		लड़के संख्या 428	लड़कियां संख्या 347	योग संख्या 776
1.	न्यूनतम अधिगम स्तर को न प्राप्त	संख्या	20	23	43
	करने वाली	प्रतिशत	4.66	6.63	5.54

2.	न्यूनतम अधिगम स्तर को	संख्या	43	42	85
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	10.08	12.10	10.95
3.	न्यूनतम अधिगम स्तर में अच्छा	संख्या	69	74	143
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	16.08	21.33	18.43
4.	न्यूनतम अधिगम स्तर में बहुत	संख्या	297	208	503
	अधिक ज्ञान रखने वाले	प्रतिशत	69.23	59.94	65.08
	योग	संख्या	**429**	**347**	**776**
		प्रतिशत	**55.28**	**44.72**	**100.00**

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा–1 के गणित में लिंग के अनुसार एम0एल0एल0 न प्राप्त करने वाले बालक 4.66 प्रतिशत बालिकाएं 6.63 प्रतिशत एम0एल0एल0 प्राप्त करने वाले बालक 10.02 प्रतिशत छात्राएं 12.10 प्रतिशत हैं । अच्छा ज्ञान रखने वाले बालक 16.08 प्रतिशत बालिकाएं 21.33 प्रतिशत हैं । बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाले बालक 69.23 प्रतिशत छात्राएं 59.94 प्रतिशत हैं । अतः बालिकाओं में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 9.13

कक्षा–4 के विद्यार्थियो का लिंगानुसार उपलब्धि स्तर पर भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर पर उपलब्धि

क्र0सं0	स्तर		लड़के संख्या 428	लड़किया संख्या 347	योग संख्या 776
1.	न्यूनतम अधिगम स्तर को न प्राप्त	संख्या	64	31	95
	करने वाली	प्रतिशत	17.6	14.2	16.3

2.	न्यूनतम अधिगम स्तर को	संख्या	189	119	308
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	51.9	54.3	52.8
3.	न्यूनतम अधिगम स्तर में अच्छा	संख्या	106	68.0	174
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	29.1	31.1	29.8
4.	न्यूनतम अधिगम स्तर में बहुत	संख्या	5	1	6
	अधिक ज्ञान रखने वाले	प्रतिशत	1.4	0.5	1.0
	योग	संख्या	364	219	583
		प्रतिशत	62.4	37.6	100.00

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

कक्षा–4 के छात्रों की भाषा में लिंग के अनुसार एम0एल0एल0 को न प्राप्त करने वाले बालक 17.6 प्रतिशत बालिकाएं 14.7 प्रतिशत एम0एल0एल0 प्राप्त करने वाले बालक 51.9 प्रतिशत बालिकाएं 54.3 प्रतिशत अच्छा ज्ञान रखने वाले छात्र 29.1 प्रतिशत छात्राए 31.1 प्रतिशत हैं । अति उत्तम ज्ञान वाले छात्र 1.4 प्रतिशत छात्राएं 0.5 प्रतिशत हैं । अतः में भाषा और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 9.14

कक्षा–4 के विद्यार्थियो की न्यूनतम अधिगम स्तर पर लिंगानुसार, विभिन्न (अलग–अलग) स्तरों पर प्रतिशत उपलब्धि

क्र0सं0	स्तर		लड़के संख्या 428	लड़कियां संख्या 347	योग संख्या 776
1.	न्यूनतम अधिगम स्तर को न प्राप्त	संख्या	139	86	225
	करने वाली	प्रतिशत	38.2	39.3	38.6

2.	न्यूनतम अधिगम स्तर को	संख्या	113	69	182
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	31.0	31.5	31.2
3.	न्यूनतम अधिगम स्तर में अच्छा	संख्या	71	48	119
	प्राप्त करने वाले	प्रतिशत	19.5	21.9	20.4
4.	न्यूनतम अधिगम स्तर में बहुत	संख्या	41	16	57
	अधिक ज्ञान रखने वाले	प्रतिशत	11.3	7.3	9.8
	योग	संख्या	364	219	583
		प्रतिशत	62.4	37.6	100.00

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

गणित में कक्षा–4 के छात्रों में 38.2 प्रतिशत छात्राएं 33.1 प्रतिशत एम0एल0एल0 न प्राप्त करने वाले, एम0एल0एल0 प्राप्त करने वाले छात्र 31 प्रतिशत छात्राएं 31.5 प्रतिशत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्र 19.5 प्रतिशत छात्राएं 21 प्रतिशत हैं । अति अच्छा ज्ञान वाले छात्र 11.3 प्रतिशत छात्राएं 7.3 प्रतिशत हैं। अतः गणित में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

योजना की समाप्ति पर एफ0ए0एस0 द्वारा उपलब्धि ज्ञात की जायेगी तथा उसी के अनुसार आगे की योजना तैयार की जायेगी ।

विशेष प्रकार के बच्चे और उनके लिये पाठ्य सामग्री –

सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़कर उनकी भी शैक्षिक गुणवत्ता में संवर्धन करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते है। उनका भी नामांकन हो, ठहराव रहे और गुणवत्ता परक शिक्षा ग्रहण करें ।

विशेष प्रकार के बच्चों के कई वर्ग होते है–

1. बाल श्रमिक

2. खतिहर श्रमिक
3. अपने कृषि कार्यो में संलग्न
4. आजीविका के लिये अन्यत्र पलायन करने वाले परिवारों के बच्चे ।
5. अति निर्धन पृष्ठभूमि के परिवारों के बच्चे ।
6. विकलांग
7. बहुत अधिक आयु वर्ग के बच्चे ।
8. बहुत कम आयु के बच्चे ।
9. आयु के अनुपात में शारीरिक रूप से कम विकसित बच्चे ।
10. नितान्त अनाथ बच्चे ।
11. असुरक्षित तथा भयभीत परिवारों की बालिका ।

इनके सम्यक् शिक्षण हेतु अनेक योजनाए प्रस्तावित की जा सकती हैं जिससे कि उनकी आवश्यकता के अनुसार जैसे–

1. 8 वर्ष का पाठ्यक्रम 4 या 5 वर्ष में पूर्ण करना ।
2. विद्यालय में प्रतिदिन 3 घंटे ही रूकना ।
3. समूह पठन–पाठन।
4. वर्ष में 3 या 4 माह पाठ्य ।
5. मोबाइल विद्यालय – बाद के समय दूसरे स्थानों पर ले जाने वाले ।
6. विशेष शिक्षा के माध्यम से विशेष प्रकार के बच्चों का ड्राप आउट रोका जा सकता है तथा उनके शिक्षण में गुणवत्ता सम्वर्धन हो सकता है।

सारणी 9.15

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति

क्र0सं0	परिषदीय प्रा0 वि0	एक शिक्षक वाले	दो शिक्षक वाले	तीन शिक्षक वाले	चार शिक्षक वाले
1.	प्राथमिक स्तर	386	873	279	144

स्रोत-- जि0बे0शि0 अधिकारी कार्यालय बदायूँ।

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या की सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि जनपद के 22.95 प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापकीय वाले 51.90 प्रतिशत विद्यालय दो अध्यापक वाले है तथा 16.59 प्रतिशत विद्यालय तीन अध्यापक वाले एवं 8.56 प्रतिशत विद्यालय चार अध्यापक वाले हैं । इस स्थिति पर दृष्टिपात कर यह आंकलन किया जा सकता है कि अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक से ही कई कक्षाएं एक ही समय में एक साथ चलानी पड़ती है । ऐसी स्थिति में अध्यापकों को बहु कक्षा शिक्षण विधियों की विस्तृत जानकारी होना अत्यावश्यक है। जिसके लिये उन्हें बहु कक्षा शिक्षण प्रशिक्षण की प्रबल आवश्यकता होगी ।

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी अधिकांश जगहों पर कक्षाओं/छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का अभाव है जिससे उन्हें बहु कक्षा भी शिक्षण करना ही पड़ता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ विशिष्ट विषयों के लिये विषयवार अध्यापक होने चाहिये लेकिन ऐसी व्यवस्था न होने तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापको की प्राथमिक विद्यालयों से ज्येष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है जिसके कारण विशिष्ट विषयों जैसे – भाषा, गणित एवं विज्ञान में योग्यता रखने वाले शिक्षक नहीं मिल पाते हैं और सामान्य अध्यापकों से ही विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें विषयगत व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है जितने वे इन विषयों का प्रभावशाली कक्षा शिक्षण कर सकें ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री (टी0एल0एम0) का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है लेकिन प्रभावी कक्ष शिक्षण टी0एल0एम0 का विशेष महत्व है जिसके बिना बच्चों की सम्प्राप्ति का स्तर काफी कम रहता है। पाठ्य वस्तु को केवल मौखिक या श्याम पट पर ही अंकित करके बोध कराया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में मिनी प्रयोगशाला की आवश्यकता है जिसके माध्यम से बच्चे गणित, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों की प्रयोगात्मक शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

इसके साथ ही प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही शिक्षण में कम लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि बच्चों एवं अध्यापकों की विषयों की अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट हो सकी है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि के लिये टी0एल0एम0 एवं गतिविधियों का विशेष महत्व है।

शिक्षकों की शैक्षिक कठिनाईयों के आंकलन की स्थिति–

विभिन्न स्तर के विद्यालय पर्यवेक्षणों/भ्रमण कर्ताओं द्वारा स्कूल भ्रमण के दौरान एवं एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 पर मासिक बैठकों के दौरान शिक्षको से विचार विमर्श करने पर उनकी भिन्न–भिन्न तरह की शैक्षिक कठिनाईयां संज्ञान में आती है जो निम्नवत् वर्णित की जा सकती हैं–

01. विद्यालयों में कक्षाओं एवं छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध नही हैं जिससे कि एक समय मे एक ही साथ एक से अधिक कक्षाओं में शिक्षण करना पड़ता है जिसमें कुछ विद्यालयों की छात्र संख्या 300–600 के बीच होती है ऐसे में सभी कक्षाओं को पर्याप्त बैठने का स्थान न होने से उनका शिक्षण करना तथा सभी बच्चों पर बराबर ध्यान न दे पाना स्वभाविक एवं व्यवहारिक कार्य नही है और उनके मूल्यांकन में भी कठिनाई महसूस होती है।

02. शिक्षण के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्यो में संलग्न हो जाने के कारण समय विभाजन के अनुसार शिक्षण कार्य में पर्याप्त समय नहीं जुटा पाते हैं ।

03. अक्सर बच्चों के अभिभावक जागरूक न होने के कारण वे अपने बच्चो को नियमित विद्यालय न भेजकर उन्हे घरेलू कार्यो में संलग्न कर लेते हैं जिससे उनका कक्षीय कार्य पूरा नहीं करा पाते हैं तथा उनका गृह कार्य भी पूरा नहीं होता है।

04. नवीन पाठ्य पुस्तकों के अनुसार विधिवत् पाठवार शिक्षण करने के लिये पाठ्यक्रम एवं उसमें प्रयोग होने वाली शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग की पूर्णतया जानकारी नही है। जिससे शिक्षण में कठिनाई होती है।

05. ई0सी0एस0 विज्ञान एवं गणित के कठिन स्थलों के शिक्षण की पर्याप्त जानकारी नहीं है जिससे बच्चों को सम्प्राप्ति को परेशानी होती है।

06. उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सभी अध्यापक विषयवार प्रशिक्षित नही होते हैं । केवल सामान्य अध्यापकों को ही विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है जिससे कि उन्हें शैक्षिक समस्या आती है।

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक सपोर्ट एवं शैक्षिक समस्या समाधान के लिये एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों की व्यवस्था है तथा भ्रमण की योजना है उस तरह की योजना/व्यवस्था उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लागू नहीं है जिससे उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसी ही व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता –

वर्तमान परिवेश में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कक्षा 1–5 तक परिषदीय विद्यालयों तक सीमित रहा है। इसमें मान्यता प्राप्त या निजी विद्यालयों के बालकों की शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया गया था। दूसरी बात यह भी सोची गयी कि कक्षा–5 तक की अपेक्षा किसी बालक के भविष्य के लिये 8 तक की शिक्षा व्यवस्थित एवं मजबूत हो।

डी0पी0ई0पी0 के द्वारा संचालित कार्यक्रमों का जो लाभ शिक्षा जगत में हुआ है वह ह्रास न हो वरन् सतत् बना रहे। डी0पी0ई0पी0 से जो कारक छूट गये हैं उन्हें सम्मिलित करने के लिये इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता महसूस की गयी। इसलिये इसमें समाज के सभी समुदायों की भागीदारी करके शिक्ष का सार्वभौमिकीकरण किया जाये ।

इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये जिसमें पंचायत शिक्षा समितियां पी0टी0ए0, एम0टी0ए0 स्वैच्छिक संगठन के विद्यालयों के प्रबन्धन में कार्य कर सकें तथा उनको अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकें ।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य –

6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का 2010 तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना ।

ई0सी0सी0ई0 के महत्व को देखते हुये वय वर्ग के विस्तार 0–14 करना, आई0सी0डी0एस0 के प्रयास को समर्थन देना एवं जहां आई0सी0डी0एस0 का क्षेत्र नहीं है वहां विशेष पूर्व विद्यालयीय सेवा उपलब्ध कराना ।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य –

1. 2003 तक सभी बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालय, विद्यालय, वापस विद्यालय चलो कैम्पों आदि में नामांकन।
2. 2007 तक कक्षा–5 तक की शिक्षा सभी पूरी करें ।
3. 2010 तक कक्षा–8 तक की शिक्षा सभी पूरी करें ।
4. संतोषजनक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ।
5. जेन्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर तक 2007 तक प्रारम्भिक स्तर तक 2010 तक समाप्त करना ।

6. शत–प्रतिशत धारण 2010 तक।

7. गुणात्मक शिक्षा पर बल :– उपयोगी एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रम निर्माण, बाल केन्द्रित एव प्रभाव शिक्षण अधिगम क्रियायें ।

8. अध्यापक की भूमिका पर बल :– योग्य अध्यापकों का चयन तथा उन्हें दक्ष बनाने के लिये बी0आर0सी0 / सी0आर0सी0 का निर्माण, पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री विकास में उनका योगदान, शैक्षिक भ्रमण आदि के माध्यम से जागरूक बनाना।

9. जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का निर्माण :– उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) का निर्माण जिसमें समग्रता तथा समन्वयन हो। साथ ही प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण जिसमें क्रिया–कलापों की प्राथमिकतायें तय हों एवं पूर्व की सफलताओं एवं गलतियों से सीखने की बात हो।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के गुणात्मक स्तर का बेस लाइन सर्वेक्षण –

इस अभियान के अन्तर्गत सर्वप्रथम उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों का बेस लाइन सर्वेक्षण किया जायेगा इस कार्य हेतु सर्वप्रथम डायट टाफ को स्टेट स्तर पर प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया जाये। बाद में डायट को स्टेट स्तर पर प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया जाये। बाद में डायट स्टाफ बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों की मदद से जनपद के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का सर्वेक्षण कर मूल्यांकन करेंगे। साथ ही मकतब मदरसों का भी प्रारम्भिक मूल्यांकन किया जायेगा और जनपद के छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति ज्ञात कर योजना में आवश्यक बदलाव भी जोड़े जायेंगे। स्कूलों की भौतिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कर मूल्यांकन किया जायेगा ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का आयोजन–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्ता सम्बर्धन, समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना, जनपद के शैक्षिक आंकड़ों का संकलन–विश्लेषण आदि अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी जो निम्नलिखित हैं–

1. जिला संसाधन इकाई विभाग

2. सेवापूर्व विभाग
3. सेवारत विभाग
4. पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग
5. कार्यानुभव विभाग
6. शैक्षिक तकनीकी विभाग
7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग

1. जिला संसाधन इकाई विभाग–

मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का मुख्य साधन शिक्षा है, अतः शिक्षा के समान अवसर सभी को प्राप्त हों इसके लिये इस विभाग द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गयी, उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिये उन लोगों को जोड़ा जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित है और लोगों को शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
3. पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
4. कार्यक्रम विकास के लिये सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।
5. कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।
6. कार्यक्रमों को प्रभावी मूल्यांकन के लिये वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।
7. कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	स्वयंसेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्याकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है। वर्ष 2003 से 2004 तक स्वयंसेवकों (अनुदेशका) को प्रशिक्षित करना है। वर्ष 2003 से 2004 तक स्वयंसेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना, पर्यवेक्षण अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य किया जायेगा। वर्ष 2004–05 के मध्य स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है। यही कार्य योजना क्रमशः वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में पूर्ववत् व्यवस्थानुसार प्रस्तावित है।

2. सेवापूर्व विभाग–

सेवापूर्व विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षामित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यही विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षामित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है जिससे वे अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। इन प्रशिक्षणों में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवापूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक प्रस्तावित कार्ययोजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षे.त्र में कार्य

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवापूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। वर्ष 2003–04 में शिक्षामित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित है।

3. सेवारत विभाग–

शिक्षक राष्ट्र का एक सजग प्रहरी है अतः शैक्षिक प्रगति हेतु यह आवश्यक है कि उसे अध्यापन की नवीनतम तकनीक का ज्ञान होता रहे, जिससे नियमित रूप से ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थित दक्षता कौशल का विकास हो सके। सेवारत विभाग के शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम नतकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। इसके अन्तर्गत समय–समय पर संस्थान में नवीन प्रशिक्षण तथा पनुर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित कर शिक्षकों को नई–नई चुनौथ्तयों तथा नवीन विषयों तथा विधाओं की जानकारी दी जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
गणित एव विज्ञान का पुनर्बोधतमक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा, अंग्रेजी संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एव अंग्रेजी का पुनर्बोधात्म्क प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपयुक्त सारिणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4. कार्यानुभव विभाग–

सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु शिक्षा एक सशक्त माध्यम है इसलिये समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण के लिये तदनुरूप शिक्षा की व्यवस्था अपनाई जाती है। अतः संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव के माध्यम से शिक्षा को जीवनापयोगी बनाते हुये समाज में होने वाले कार्यो से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परिसर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि प्रशिक्षुओं से कराया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिये तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल्य सहायक सामग्री का पनुर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापकों का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को फलसंरक्षण तथा आंवलें की खेती आदि का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिये प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

5. शैक्षिक तकनीकी विभाग–

आज के वैज्ञानिक युग मे क्षेत्रों का वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना, नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण कार्य में प्रयोग आदि समस्त का ज्ञान उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य, अल्पव्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। इस हेतु संस्थान के

शैक्षिक तकनीकी विभाग के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता सम्बर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक प्रस्तावित कार्ययोजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षामित्रो एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण	शिक्षामित्र छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य सम्पन्न होंगे।

6. पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग–

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु, उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है तथा शिक्षक अपने प्रयास में कहां तक सफल है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में संभव बनायी जा सकती है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इस क्षेत्र में निरंतर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक प्रस्तावित कार्य योजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत रूप से होगा।	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समाजता लोकतंत्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्र में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिये प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग–

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमीनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक प्रस्तावित कार्य योजना–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाइयों का वृहद् कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना।	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत् जानकारी कराने के बाद कार्यरूप देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रवन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे। नोट– S.I.E./S.C.E.R.T./S.I.E.M.T. द्वारा निर्दिष्ट/निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समयोजित करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एव इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T.

S-Systematic

A-Approach

T-Training

I- Identification

N- Need

D- Designing & Planning

I- Implementation

A- Assessment

तथा बेहतर प्रशिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिये पूरे जनपद में एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यो जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियो न्यायपंचायत/विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेंगी। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिये विजनिंग कार्याशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों का आयेाजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के सीन पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिये तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिये नियमित आधार पर अभिमुखीकरण मे सहायक सिद्ध होगी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणो से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभव तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों का जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओ के प्रभावी एवं बेहतर उपयोगी आदि के आलोक मे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की दक्षता तथा उसके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि और विषयगत क्षमताओं को विकसित करने के लिये शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा। यह प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने के स्थान पर सतत् प्रशिक्षण के रूप में संचालित किये जायेंगे ।

प्रशिक्षणों की यह श्रृंखला शिक्षा के लिये नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी । डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत होने वाले प्रशिक्षणों, वर्तमान में अनुभुत आवश्यकताओं जैसे– बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, विधियां की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्रत्येक विषय के लिये आवश्यकतानुसार समन्वयकों को ट्रेण्ड करना आदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर विकसित एवं आयोजित किये जायेंगे। जो वर्षवार दोनों स्तरों के विवरण निम्नलिखित हैं–

प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण–

1. प्रथम वर्ष में:– सर्वप्रथम 3 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाएं बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों के लिये आयोजित की जायेंगी। बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण सम्बन्धी 3 दिवसीय कार्यशालाएं की जायेंगी। एक दिवसीय मेटीरियल मेले का आयोजन विद्यालय, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 एवं जनपद स्तर पर डायट में आयोजित किये जायेंगे । विकास खण्ड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अनतर्गत एन0पी0आर0सी0 पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं प्रस्तुतीकरण कर आयोजित की जायेंगी ।

2. द्वितीय वर्ष में :– प्रथम वर्ष के अनुसार ही भाषा तथा गणित की विषय वस्तु पर आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियो पर आधारित सात दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी के तारतम्य में लघु अवधि के कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जो निम्नवत् होंगी–

   1. बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों तथा प्रथम वर्ष प्रशिक्षण के दौरान सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण तथा सामग्री एवं समग्र प्रबन्धन बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

   2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा को प्रयोग में लाया जायेगा।

वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिये शिक्षण नीतियों सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

3. तृतीय वर्ष में :– विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसको प्रभावी बनाने के लिये बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। विवरण निम्न प्रकार है–

1. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान एवं सामाजिक विषय शिक्षण को रूचिकर बनाने में टी0एल0एम0 निर्माण एवं पाठ प्रस्तुतीकरण पर आधारित होगा।

2. सतत तथा व्यापक बालक मूल्यांकन हेतु प्रश्नो/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

3. प्रशिक्षण फालोअप के लिये एन0पी0आर0सी0 पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित किया जायेगा। जिनका एजेन्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

4. चतुर्थ वर्ष में :– शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण एवं उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा तथा तदोपरान्त बी0आर0सी/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे –

1. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर गणित शिक्षण एवं सामग्री निर्माण एवं आदर्श प्रस्तुतीकरण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

2. प्रशिक्षण फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महिनों में आयोजित की जायेंगी, जिनका कार्यक्रम डायट द्वारा किया जायेगा।

3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिन की कार्यशालाए आयोजित की जायेंगी ।

4. कक्षा शिक्षण में श्रृव्य दृश्य उपकरणों के उपयोग हेतु दो दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी स्तर पर कराये जायेंगे ।

5. पंचम वर्ष में :– प्राथमिक प्रशिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त 7 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित कराया जायेगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की रूप–रेखा उनके अनुश्रवण के पश्चात् आवश्यकताओं के आधार पर बनायी जायेगी ।

प्राथमिक शिक्षकों के लिये इन प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे । जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. प्रत्यक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा सम्बन्धी 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा जो आवश्यक टी0एल0एम0 पर आधारित होगा।

2. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा कम है। उन्हें 5 दिवसीय विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण अलग से दिया जायेगा।

3. उर्दू भाषा के उपलब्ध शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण उर्दू भाषा विकास एवं उसमें टी0एल0एम0 के प्रयोग सम्बन्धी दिया जायेगा।

4. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिये सेवा पूर्वागम सम्बन्धी प्रशिक्षण 20 दिन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

5. जो शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रधान अध्यापक नियुक्त होंगे उनका 5 दिवसीय नेतृत्व क्षमता समरूप प्रबन्धन सूचना प्रबन्धन तथा विद्यालय अभिलेखों के रख–रखाव आय–व्यय सम्बन्धी प्रपत्रों के पूर्ण करने सम्बन्धी दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण–

प्राथमिक शिक्षको की भांति उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिये भी प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे। जिसमें सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक परिषदीय विद्यालय तथा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट कालेजों के शिक्षक सम्मिलित होंगे। जिसमें 6,7,8 तक शिक्षण करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक स्तर पर अपेक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विद्यालय की तुलना में पाठ्य पुस्तकों का अधिक महत्व है। अर्थात् शिक्षकों के ज्ञान में अभिवृद्धि की अधिक आवश्यकता होगी ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला सेमीनार प्राइमरी प्राथमिक	1. आवश्यकताओं का आकलन। 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन। टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन। टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का अध्ययन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राथमिक	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माडयूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एव मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद् मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
उच्च प्राथमिक	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण	हिन्दी एवं व्यायाम स्काट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन अनुश्रवण

	अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	मूल्यांकन	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	
क्षमता सम्बर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्धन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 / ए0वी0एस0ए0 का का प्रशिक्षण मूल्यांकन
	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण (विद्यालयों मे समस्याओं के आकलन पर)	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों की समस्याओं को हल करने हेतु	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का श्रेणीकरण का प्रभाव व आकलन	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण और मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण और मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण और मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण और मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण और मुल्यांकन
	डायट संकाय के सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय के सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय के सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय के सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय के सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगीताएं	जनपद स्तर पर शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 /	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी0एल0एम0	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता

	एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	2. विज्ञान प्रतियोगिता	2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	

उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं निम्न प्रकार आयोजित की जायेंगी –

1. प्रथम वर्ष :– सर्वप्रथम उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये सर्वशिक्षा अभियान सम्बन्धी 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बी0आर0सी0 केन्द्रों पर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट कालेजों के शिक्षकों का डायट स्तर पर कराया जायेगा इसके बाद विज्ञान विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निरीक्षण सम्बन्धी 7 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा। इसी क्रम में पाठ्य योजना पाठों की प्रस्तुति सहायक सामग्री के प्रयोजन के साथ 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी स्कूल एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 डायट स्तर पर एक दिवसीय मेटेरियल मेले आयोजित किये जायेंगे । एन0पी0आर0सी0 स्तर पर प्रतिमाह एक दिवसीय एजेण्डा के अनुसार 6 माह तक कार्यशाला आयोजित की जायेंगी ।

2. द्वितीय वर्ष :– द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां सामग्री तथा उनके उपयोग सम्बन्धी 7 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा इसी क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रमों पाठों की प्रस्तुती तथा पाठ्य योजना सम्बन्धी 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह इनका आयोजन निश्चित किया जायेगा।

एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शिक्षकों द्वारा तैयार टी0एल0एम0 का प्रदर्शन एवं शिक्षण में उपयोग प्रदर्शित किया जायेगा।

3. तृतीय वर्ष :– तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु शिक्षकों का विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियो पर आधारित 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

इसी क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठयक्रम पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति हेतु पाठ्य योजना निर्माण तथा सम्बन्धित टी0एल0एम0 निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन बी0आर0सी0 स्तर पर किया जायेगा तथा वर्ष के 6 माह में इसका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. **चौथे वर्ष में प्रशिक्षण** :– चौथे चौथे वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिये हिन्दी भाषा का कक्षा शिक्षण, तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय होगा। इस प्रशिक्षण के उपरान्त बी0आर0सी0 स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अन्य पूरक सामग्री विकास के लिये 02 दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। बालक–बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि हेतु मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी टेस्ट आइटम तैयार करने हेतु 02 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर तथा एक दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

5. **पांचवे वर्ष में प्रशिक्षण** :– पांचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित होगा। जो 5 दिवसीय होगा। इस प्रशिक्षण के बाद आगामी प्रशिक्षण की विषयवस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी। जिसके आधार पर प्रशिक्षण पैकेज का विभाजन किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में बी0आर0सी0 स्तर पर ही आयोजित किये जायेंगे ।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे –

1. कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण :– सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुये प्रभाव तथा भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाये। इस योजना को लागू करने हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक खण्ड में कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षकों डायट स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण हेतु डायट के दो संदर्भदाताओं को एक माह आधारभूत प्रशिक्षण दिलाय जाने के उपरान्त ही उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को एक माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके माड्यूल का एस0सी0आर0टी0 के सहयोग से डायट स्तर पर तैयार किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षित शिक्षक ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षा देंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद ही आगामी वर्षो की योजना का विस्तार किया जायेगा।

2. लिंग सम्भेदीकरण :– कक्षा में बालिकाओं के प्रति बालकों के समान व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी0आर0सी स्तर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की जायेगी । जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेगा।

3. नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :– नेतृत्व प्रशिक्षण एवं समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण माडयूल डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से तैयार करके उच्च प्राथमिक प्रधान अध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया तथा समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षाण डायट स्तर पर दिया जायेगा।

अन्य प्रशिक्षणः– प्राथमिक तथा उच्च प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित होंगे जो निम्नवत् है–

1. शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी प्रशिक्षणः– जनपद में स्थापित विद्या केन्द्रों के आचार्य जी एवं एकल अध्यापकीय एवं दो अध्यापकीय विद्यालय में शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के सेवारत प्रशिक्षण से अवगत होगा तथा उनकी विद्यालय में नियुक्ति से पूर्व ही होगा इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिये 15 दिवसीय रिफ्रेसर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण :– जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अनुदेशकों के लिये 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित होगा इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफरेसर कोर्स प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा।

3. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :– स्कूल पूर्व तैयारी अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा केन्द्र जो स्थापित किये गये हैं उनमें कार्य करने वाले कार्यकताओं एवं सहायिकाओं के लिये 07 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये जायेंगे । वर्ष 1997 में राज्य परियोजन कार्यालय लखनऊ द्वारा विकसित किये गये माडयूल में आवश्यक आधार पर ही 6–3 के वर्ग के बच्चों के संसाधन, शारीरिक विकास, भाषा के विकास, सामाजिक संवेदनात्मक, शारीरिक विकास, भाषा के विकास, सामाजिक संवदेनात्मक, सृजनात्मक, अभिलम्बित एवं सर्न्दभानुभूति के विकास के लिये अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें खेल सामग्री एवं शैक्षिक सामग्री के विकास में निपुणता प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण को अग्रिम वर्षो में भी आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ा फेर बदल करके संचालित किया जायेगा।

4. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण – जिला प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में ही शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं । लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट कालेजों के कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी प्रारम्भिक सहयोग प्रदान किया

जायेगा। अतः इस संदर्भ में इनकी क्षमता विकास हेतु बी0आर0सी/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को उनके कर्तव्य दायित्व एवं अकादमिक सपोर्ट हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त सभी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। जिससे उनमें पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक शिक्षा सम्बन्धी प्रभावी शिक्षण जानकारी बनी रहे । इसके साथ ही शिक्षा मित्र प्रशिक्षण ई0सी0सी0ई0 एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अनुदेशकों के प्रशिक्षण के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा जिससे यह अपने–अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान इन कार्यक्रमों का उचित तरीके से अनुश्रवण तथा सर्पोट कर सकें ।

5. ए0बी0एस0ए0 तथा एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण :– जनपद के सभी विकास खण्डों में परियोजना कार्यक्रमों के सही नियोजन तथा बेहतर कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण एवं अकादमिक सपोर्ट के लिये भी क्षमता वृद्धि के लिये समस्त ए0बी0एस0/एस0डी0आई0 को पांच दिवसीय ओरिन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर संचालित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 को सीमेट द्वारा अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के आधार पर ही यह अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों का अनुश्रवण विद्यालय तथा बी0आर0सी0 तथा ए0बी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों इ0सी0सी0ई0 केन्द्रों आदि का पर्यवेक्षण तथा सपोर्टिंग ठीक ढंग से कर सकें। साथ ही अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित कार्यशाला ई0एम0आई0 एवं माइक्रो प्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के प्रशिक्षणों/सेमीनार गोष्ठियों आदि में ठीक ढंग से भूमिका निभा सके ।

6. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण :– स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में समुदाय की विशेष भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुये स्थानीय स्तर पर अधिकतम सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा के सदस्यों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसमें गांव के जागरूक नागरिक/महिला सदस्य/युवक मंगल दल/नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रम/स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग/एम0टी0ए0/पी0टी0ए0/डब्ल्यू0एम0जी0 के सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के प्रभाव से पूर्ण ज्ञान की व्यवस्था कारगर ढंग से लागू हो सकेगी साथ ही गांव के समस्त बच्चों खासकर बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन अद्यतन माइक्रो प्लानिंग और विद्यालय मानचित्रण आंकड़ों को ठीक ढंग से उपलब्ध तथा स्कूली समस्त कार्यों में जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित होगी । स्कूलों की गतिविधियों में स्थानीय समुदाय के अधिकतम पर्यवेक्षण एवं परस्पर समर्थक समय से शिक्षकों के उत्तरदायित्वों में बढ़ोत्तरी संभव हो सकेगी जिससे कि बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी ।

5.	नष्ट होने वाले दिन	04	04
6.	समुदाय से सम्पर्क	10	03

स्रोत– डायट, बदायूं ।

उपरोक्त सारणी के अनुसार दर्शायें गये कार्य:–

दिवसों को निम्नलिखित प्रकार से बढायेंगे–

1. ग्रीष्म अवकाश के दिवसों को कम करें ।
2. परीक्षा दिवसों के मध्य रविवार आने पर उस दिन भी परीक्षा सम्पन्न करायें।
3. अन्य राष्ट्रीय कार्य जैसे बाल गणना, जनगणना, पल्स पोलियो आदि को विद्यालय समय से पूर्व अथवा बाद में करायें जायेंगे ।
4. मासिक बैठक के दिन सम्पूर्ण विद्यालय को अवकाश नहीं दिया जायेगा।
5. सामान्य वर्षा, सर्दी के आदि दिनों में शिक्षण कार्य कराया जायेगा ।
6. समुदाय से सम्पर्क विद्यालय समय से पूर्व या बाद में किया जायेगा ।

प्रतिदिन शिक्षण समय को निम्न प्रकार बढायेंगे–

1. प्रार्थना का समय शिक्षण कार्य के समय से अलग रखा जायेगा ।
2. प्रत्येक कक्षा की उपस्थिति प्रार्थना के समय ही ली जायेगी ।
3. सूचनाएं आदि बनाने तथा पहुंचाने का कार्य शिक्षण कार्य से पूर्व या बाद में किया जायेगा।
4. दो या दो से अधिक शिक्षकों वाले स्कूलों में अन्य कार्य सम्पादित करने के लिये एक शिक्षण विद्यालय समय से पूर्व तथा दूसरा शिक्षक विद्यालय समय के बाद करें ।

5.	नष्ट होने वाले दिन	04	04
6.	समुदाय से सम्पर्क	10	03

स्रोत– डायट, बदायू ।

उपरोक्त सारणी के अनुसार दर्शायें गये कार्यः–

दिवसों को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ायेंगे–

1. ग्रीष्म अवकाश के दिवसों को कम करे ।
2. परीक्षा दिवसों के मध्य रविवार आने पर उस दिन भी परीक्षा सम्पन्न करायें।
3. अन्य राष्ट्रीय कार्य जैसे बाल गणना, जनगणना, पल्स पोलियो आदि की विद्यालय समय से पूर्व अथवा बाद मे करायें जायेंगे ।
4. मासिक बैठक के दिन सम्पूर्ण विद्यालय का अवकाश नहीं दिया जायेगा।
5. सामान्य वर्षा, सर्दी के आदि दिनों मे शिक्षण कार्य कराया जायगा ।
6. समुदाय से सम्पर्क विद्यालय समय से पूर्व या बाद में किया जायेगा ।

प्रतिदिन शिक्षण समय को निम्न प्रकार बढ़ायेंगे–

1. प्रार्थना का समय शिक्षण कार्य के समय से अलग रखा जायेगा ।
2. प्रत्येक कक्षा की उपस्थिति प्रार्थना के समय ही ली जायेगी ।
3. सूचनाएं आदि बनाने तथा पहुंचाने का कार्य शिक्षण कार्य से पूर्व या बाद में किया जायेगा।
4. दो या दो से अधिक शिक्षको वाले स्कूलो मे अन्य कार्य सम्पादित करने के लिये एक शिक्षण विद्यालय समय से पूर्व तथा दूसरा शिक्षक विद्यालय समय के बाद करें ।

ई0एम0आई0एस0 आकडों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे ।

अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कडी का कार्य करेंगे ।

बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु सदर्भ समूह विकसित करेंगे ।

शोध एवं मूल्यांकन अध्यन के लिये सहयोग प्रदान करेंगे ।

स्कूल डेबलपमेन्ट प्लान का विकास करने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे। बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निमार्ण का आयोजन करेंगे ।

कार्यशाला एवं गोष्ठियों एवं सेमीनारों का आयोजन –

अकादमिक समस्याओं के समधान के लिये कार्यशालाओं का समय–समय पर एवं गोष्ठियों का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। इनसे आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण, पुस्तक के कठिन स्थलों का सरलीकरण आदि सभी विषय सम्मिलित रहेंगे । ये गोष्ठियां न्याय पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर आयोजित होंगी और शैक्षिक मुद्दों को जो अनसुलझे होंगे वे क्रमशः विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लाक तथा डायट पर समाधान हेतु लाये जायेंगे ।

अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास प्रशिक्षण–

अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्यों की क्षमता सम्बर्धन के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। डायट स्टाफ के अतिरिक्त जो अन्य शिक्षक शिक्षाविद् हैं उनकी क्षमताओं का उपयोग, नियोजन, अनुश्रवण आदि कार्यकलापों में हो सके ये सदस्य उत्तम सदर्भ व्यक्ति भी सिद्ध होंगे । इसमें जनपद के प्रमुख शिक्षा मित्र, सेवा निवृत्त सक्रिय प्रशासनिक एवं शिक्षा के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में स्वंयसेवी संगठनों की सहभागिता–

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन शासकीय सस्थाओं के अकादमिक ससाधनों तथा उनके सदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं का विकास किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक अनुसमर्थन एव अनुश्रवण प्रणाली की तरह ही संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा ।

ई0एम0आई0एस0 आकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे ।

अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे ।

बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करगे ।

शोध एवं मूल्यांकन अध्यन के लिये सहयोग प्रदान करेंगे ।

स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास करने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करगे। बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निमार्ण का आयोजन करेंगे ।

कार्यशाला एवं गोष्ठियों एवं सेमीनारों का आयोजन –

अकादमिक समस्याओं के समधान के लिये कार्यशालाओं का समय–समय पर एव गोष्ठियों का आयाजन डायट स्तर पर किया जायेगा। इनसे आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण, पुस्तक के कठिन स्थलों का सरलीकरण आदि सभी विषय सम्मिलित रहेंगे । ये गोष्ठियां न्याय पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर आयेाजित होंगी और शैक्षिक मुद्दों को जो अनसुलझे होंगे वे क्रमशः विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लाक तथा डायट पर समाधान हेतु लाये जायेंगे ।

अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास प्रशिक्षण–

अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्यों की क्षमता सम्बर्धन के लिये प्रशिक्षण का आयेाजन किया जायेगा। डायट स्टाफ के अतिरिक्त जो अन्य शिक्षक शिक्षाविद् हैं उनकी क्षमताओं का उपयोग, नियोजन, अनुश्रवण आदि कार्यकलापों में हो सके ये सदस्य उत्तम संदर्भ व्यक्ति भी सिद्ध होंगे । इसमें जनपद के प्रमुख शिक्षा मित्र, सेवा निवृत्त सक्रिय प्रशासनिक एवं शिक्षा के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता–

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन शासकीय संस्थाओ के अकादमिक ससाधनों तथा उनके संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमाताओं का विकास किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण प्रणाली की तरह ही संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा ।

ई0एम0आई0एस0 आंकडों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे ।

अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कडी का कार्य करेंगे ।

बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेंगे ।

शोध एवं मूल्यांकन अध्यन के लिये सहयोग प्रदान करेंगे ।

स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास करने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे। बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निमार्ण का आयोजन करेंगे ।

कार्यशाला एवं गोष्ठियों एवं सेमीनारों का आयोजन –

अकादमिक समस्याओं के सनधान के लिये कार्यशालाओं का समय–समय पर एव गोष्ठियों का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। इनसे आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण, पुस्तक के कठिन स्थलों का सरलीकरण आदि सभी विषय सम्मिलित रहेंगे । ये गोष्ठियां न्याय पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर आयोजित होंगी और शैक्षिक मुद्दों को जो अनसुलझे होंगे वे क्रमशः विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लाक तथा डायट पर समाधान हेतु लाये जायेंगे ।

अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास प्रशिक्षण–

अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्यों की क्षमता सम्बर्धन के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। डायट स्टाफ के अतिरिक्त जो अन्य शिक्षक शिक्षाविद् हैं उनकी क्षमताओं का उपयोग, नियोजन, अनुश्रवण आदि कार्यकलापों में हो सके ये सदस्य उत्तम संदर्भ व्यक्ति भी सिद्ध होंगे । इसमें जनपद के प्रमुख शिक्षा मित्र, सेवा निवृत्त सक्रिय प्रशासनिक एव शिक्षा के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता–

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन शासकीय संस्थाओं के अकादमिक संसाधनों तथा उनके संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं का विकास किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक अनुसमर्थन एव अनुश्रवण प्रणाली की तरह ही संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा ।

ई0एम0आई0एस0 आकडों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे ।

अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कडी का कार्य करेंगे ।

बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हतु सदर्भ समूह विकसित करेंगे ।

शोध एवं मूल्यांकन अध्यन के लिये सहयोग प्रदान करेंगे ।

स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास करने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे। बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निमार्ण का आयोजन करेंगे ।

कार्यशाला एवं गोष्ठियों एवं सेमीनारों का आयोजन –

अकादमिक समस्याओं के समधान के लिये कार्यशालाओं का समय–समय पर एव गोष्ठियों का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। इनसे आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण, पुस्तक के कठिन स्थलों का सरलीकरण आदि सभी विषय सम्मिलित रहेंगे । ये गोष्ठियां न्याय पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर आयोजित होंगी और शैक्षिक मुद्दों को जो अनसुलझे होंगे वे क्रमशः विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लाक तथा डायट पर समाधान हेतु लाये जायेंगे ।

अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास प्रशिक्षण–

अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्यों की क्षमता सम्बर्धन के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। डायट स्टाफ के अतिरिक्त जो अन्य शिक्षक शिक्षाविद् हैं उनकी क्षमताओं का उपयोग, नियोजन, अनुश्रवण आदि कार्यकलापों में हो सके ये सदस्य उत्तम संदर्भ व्यक्ति भी सिद्ध होंगे । इसमें जनपद के प्रमुख शिक्षा मित्र, सेवा निवृत्त सक्रिय प्रशासनिक एवं शिक्षा के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में स्वंयसेवी संगठनों की सहभागिता–

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन शासकीय संस्थाओं के अकादमिक संसाधनो तथा उनके संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमाताओ का विकास किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण प्रणाली की तरह ही संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा ।

2. वी0आर0सी0
3. ए0वी0आर0सी0
4. वी0डी0आं0
5. चिकित्साधिकारी
6. पशु चिकित्साधिकारी
7. ब्लाक प्रमुख
8. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
9. अन्य उपयोगी
10. ब्लाक स्तरीय स्वैच्छिक समाज सेवी

3. अवधि– तीन दिवसीय

4. संदर्भ व्यक्ति– जनपद स्तरीय विशेषज्ञ

(3)

स्तर – ब्लाक स्तरीय बी0आर0सी0 पर

प्रतिभागी–

1. एन0पी0आर0सी0
2. वी0आर0सी0 की कोर टीम के सदस्य
3. एन0पी0आर0सी0 की कोर टीम के सदस्य
4. ग्राम स्तरीय अन्य विभागों के कर्मचारी
   जैसे– ए0एन0एम0/वी0एच0डब्ल्यू0 बहुउद्देशीय कार्य अमीन, पंचायत कर्मचारी, लेखपाल आदि ।
5. कला जत्था के सदस्य
6. बी0ई0सी0 अध्यक्ष
7. अन्य

अवधि– दो दिवसीय

सन्दर्भ व्यक्ति– जनपद स्तरीय चयनित व्यक्ति

(4)

स्तर– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर

प्रतिभागी–

2. बी0आर0सी0

3. ए0बी0आर0सी0

4. बी0डी0ओ0

5. चिकित्साधिकारी

6. पशु चिकित्साधिकारी

7. ब्लाक प्रमुख

8. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी

9. अन्य उपयोगी

10. ब्लाक स्तरीय स्वैच्छिक समाज सेवी

3. अवधि– तीन दिवसीय

4. संदर्भ व्यक्ति– जनपद स्तरीय विशेषज्ञ

(3)

स्तर – ब्लाक स्तरीय बी0आर0सी0 पर

प्रतिभागी–

1. एन0पी0आर0सी0

2. बी0आर0सी0 की कोर टीम के सदस्य

3. एन0पी0आर0सी0 की कोर टीम के सदस्य

4. ग्राम स्तरीय अन्य विभागों के कर्मचारी

जैसे– ए0एन0एम0 / बी0एच0डब्ल्यू0 बहुउद्देशीय कार्य अमीन, पंचायत कर्मचारी, लेखपाल आदि ।

5. कला जत्था के सदस्य

6. बी0ई0सी0 अध्यक्ष

7. अन्य

अवधि– दो दिवसीय

सन्दर्भ व्यक्ति– जनपद स्तरीय चयनित व्यक्ति

(4)

स्तर– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर

प्रतिभागी–

शिक्षकों की तीन दिवसीय कार्यशाला की जायेगी । प्रतिमाह बच्चों को स्वैच्छिक गुणवत्ता की सूचना अभिभावकों को दी जायेगी । गुणवत्ता का मूल्यांकन ए0बी0एस0ए0, जिला समन्वयक तथा डायट के द्वारा किया जायेगा।

शोध एवं ऐक्शन रिसर्च

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये शोध कार्य का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे– पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षो के क्षेत्रीय कार्यकता, शिक्षक प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर ही प्राप्त करेंगे । शिक्षकों एवं समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। शिक्षण डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु उसकी योजना का निर्माण कर उसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की मुख्यतः भूमिका एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन कर पूर्ण करना है।

डायट द्वारा एस0सी0ई0 आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर कक्षा कक्ष आब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी ।

जनपद में विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर शिक्षकों को तीन दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0 का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी सक्षम बनाया जायेगा। इस प्रकार एक्शन रिसर्च एवं शोध की प्रक्रिया को विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं

1. शिक्षक अनुदान की उपयोगिता सार्थक ढंग से किस प्रकार संभव है।
2. बच्चो में सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग ।
3. बहु शिक्षा शिक्षण परिस्थितियो में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो।
4. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन करने हेतु संकेतो का विकास ।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने के तरीके ।
6. कार्य निष्पादन के आधार पर विभिन्न कमजोर विद्यालयों में प्रबन्धन के मुद्दे ।
7. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर कम होने के कारणों की पहचान एवं सुधार के उपाय।
9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिये कारगर शिक्षण तकनीक तैयार करना ।

शिक्षकों की तीन दिवसीय कार्यशाला की जायगी । प्रतिमाह बच्चों को स्वैच्छिक गुणवत्ता की सूचना अभिभावकों को दी जायेगी । गुणवत्ता का मूल्यांकन ए0बी0एस0ए0, जिला समन्वयक तथा डायट के द्वारा किया जायेगा।

शोध एवं एक्शन रिसर्च

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये शोध कार्य का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे– पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य मे उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षो के क्षेत्रीय कार्यकता, शिक्षक प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर ही प्राप्त करेंगे । शिक्षकों एवं समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। शिक्षण डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु उसकी योजना का निर्माण कर उसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की मुख्य भूमिका एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर पूर्ण करना है।

डायट द्वारा एस0सी0ई0, आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास रूम आब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी ।

जनपद मे विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर शिक्षकों को तीन दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0 का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी सक्षम बनाया जायेगा। इस प्रकार एक्शन रिसर्च एवं शोध की प्रक्रिया को विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं

1. शिक्षक अनुदान की उपयोगिता सार्थक ढंग से किस प्रकार संभव है।
2. बच्चो में सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग ।
3. बहु शिक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो।
4. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन करने हेतु संकेतों का विकास ।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने के तरीके ।
6. कार्य निष्पादन के आधार पर विभिन्न कमजोर विद्यालयों मे प्रबन्धन के मुद्दे ।
7. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर कम होने के कारणों की पहचान एवं सुधार के उपाय।
9. कक्षा मे धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिये कारगर शिक्षण तकनीक तैयार करना ।

नवाचार कार्यक्रम को बढ़ावा–

नवाचार कार्यक्रम में कोई योजना जिसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से किया जा चुका हो और उससे गुणवत्ता संवर्धन के नये आयाम स्थापित होते हैं । यह नया प्रयोग नई विधि विकसित हो इसके लिये प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा उत्साहवर्धन योजनाएं चलायी जायेंगी ।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को नए प्रयोग तथा तकनीक विकसित करने के लिये कार्यशालाओं के माध्यम से कुछ नवाचारों के उदाहरण प्रस्तुत कर उसकी अवधारणा को समझाया जायेगा। जो निम्न प्रकार हैं–

1. जनपद बदायूं की तहसील गुन्नौर में अधिकांश कन्जड़ जाति के व्यक्ति निवास करते हैं, वे चटाई, पखे, सूप आदि का निर्माण कर बेंचते हैं। इस क्षेत्र में रा मैटेरियल काफी मात्रा में उपलब्ध है। अतः इस क्षेत्र के बच्चों के लिये इस प्रकार की वस्तुयें बनाने संबंधी जानकारी हेतु योजना तैयार की जायेगी। और वहां के शिक्षकों के लिये विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी अथवा प्रतिदिन मानदेय के आधार पर बच्चों को लिखने के लिये प्रशिक्षण की नियुक्ति की जायेगी ।

2. लोहे का कार्य करने वाले भभड़ियों के बच्चों के लिये कम समय का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा क्योंकि बच्चे अपने माता–पिता की रोजी रोटी के कार्यो में सहायता देते हैं ।

3. जनपद के जिला कारागार में उपस्थित कैदियों के लिये अल्प समयें का कार्यक्रम तैयार कर उन्हें शिक्षित अथवा प्रारम्भ में प्राथमिक स्तर और बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कराया जायेगा। इस समय भी डायट के दो प्रवक्ताओं द्वारा 250 कैदियों के लिये प्रतिदिन तीन घण्टे का समय देकर साक्षर बनाया जा रहा है।

विभिन्न स्तरों पर उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों से मैटेरियल मेलों का आयोजन एवं मोबाइल स्टालों का प्रदर्शन–

शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी तीन प्रकार के कार्य सम्पादित करने हैं–

प्राथमिक स्तर–

1. संग्रह
2. निर्माण
3. प्रयोग / उपयोग

नवाचार कार्यक्रम को बढ़ावा–

नवाचार कार्यक्रम में कोई योजना जिसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से किया जा चुका हो और उससे गुणवत्ता संवर्धन के नये आयाम स्थापित होते हैं । यह नया प्रयोग नई विधि विकसित हो इसके लिये प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा उत्साहवर्धन योजनाएं चलायी जायेंगी ।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को नए प्रयोग तथा तकनीक विकसित करने के लिये कार्यशालाओं के माध्यम से कुछ नवाचारों के उदाहरण प्रस्तुत कर उसकी अवधारणा को समझाया जायेगा। जो निम्न प्रकार हैं–

1. जनपद बदायूं की तहसील गुन्नौर में अधिकांश कन्जड़ जाति के व्यक्ति निवास करते हैं, वे चटाई, पंखे, सूप आदि का निर्माण कर बेंचते हैं। इस क्षेत्र में रा मैटेरियल काफी मात्रा में उपलब्ध है। अतः इस क्षेत्र के बच्चों के लिये इस प्रकार की वस्तुयें बनाने संबंधी जानकारी हेतु योजना तैयार की जायेगी। और वहां के शिक्षकों के लिये विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी अथवा प्रतिदिन मानदेय के आधार पर बच्चों को लिखने के लिये प्रशिक्षण की नियुक्ति की जायेगी ।

2. लोहे का कार्य करने वाले भभड़ियों के बच्चों के लिये कम समय का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा क्योंकि बच्चे अपने माता–पिता की रोजी रोटी के कार्यों में सहायता देते हैं ।

3. जनपद के जिला कारागार में उपस्थित कैदियों के लिये अल्प समय का कार्यक्रम तैयार कर उन्हें शिक्षित अथवा प्रारम्भ में प्राथमिक स्तर और बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कराया जायेगा। इस समय भी डायट के दो प्रवक्ताओं द्वारा 250 कैदियों के लिये प्रतिदिन तीन घण्टे का समय देकर साक्षर बनाया जा रहा है।

विभिन्न स्तरों पर उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों से मैटेरियल मेलों का आयोजन एवं मोबाइल स्टालों का प्रदर्शन–

शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी तीन प्रकार के कार्य सम्पादित करने हैं–
प्राथमिक स्तर–

1. संग्रह
2. निर्माण
3. प्रयोग / उपयोग

8 समुदाय के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु चर्चा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण–

जनपद बदायूं में डायट भवन का निर्माण 1991 में हुआ था जिसमें केवल प्रशासनिक भवन और छात्रावास का ही निर्माण हुआ उसमें भी ऊपरी मंजिल पर कक्षा–कक्षों तथा प्रसाधन कक्ष का निर्माण अपूर्ण है इसे पूर्ण करने की नितान्त आवश्यकता है। साथ ही डायट भवन की छत, खिड़कियों तथा छात्रावास की छतों की मरम्मत की आवश्यकता है। डायट प्रांगण में एक ट्यूब वैल, एक कम्प्यूटर लैब, कम्प्यूटर तथा एक प्रिन्टर क्रय करने की भी आवश्यकता है। छात्रावास के लिये तख्त, गद्दा, कम्बल, तकिया, बैडशीट एवं चादर आदि क्रय किये जाने की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

सारणी 9.18

संस्थान पुस्तकालय के लिये फर्नीचर एवं अल्मारियों की आवश्यकता

क्र0सं0	मद	आवश्यकता
1.	नवीन भवन	कम्प्यूटर लैब, रीडिंग रूम, शौचालय
2.	मरम्मत/र.ख–रखाव	डायट भवन एवं छात्रावास भवन की छत खिड़कियों की मरम्मत डायट भवन की ऊपरी मंजिल के अपूर्ण कक्षा–कक्षों व प्रधान कक्ष का निर्माण।
3.	उपकरण/साज–सज्जा/जनरेटर/फोटोकापीयर/टेलीविजन/वी0सी0डी0/ए0सी0डी0 प्लेयर/कम्प्यूटर फर्नीचर	जनरेटर–1 पांच किलोवाट, फोटो कापीयर एक, रंगीन टी0वी0–53 सेमी0 एक, कम्प्यूटर 1, प्रिन्टर 1, कुर्सी 200। 200 मेज, छात्रावास में 50 तख्त, 100 गद्दा, 100 चादर, 100 कम्बल, 100 तकिया।
4.	पुस्तकालय	फर्नीचर – 1, अल्मारी –10, कुर्सी – 50, मेज – 50

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

सारणी 9.19

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का प्रदर्शन

क्र0सं0	पदनाम	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1.	प्राचार्य	01	––	01
2.	उप–प्राचार्य	01	01	––
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05

4.	प्रवक्ता	17	05	12
5.	कार्यालय शिक्षक	01	01	——
6.	तकनीकी सहायक	01	01	——
7.	सांख्यिकीकार	01	01	——
8.	प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रा०वि० के शिक्षकों की संख्या	04	02	02
9.	प्रयोगशाला सहायक	02	02	——

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

संकाय सदस्यों के कौशल विकास संबंधी विवरण–

संकाय के सदस्यों को पूर्व में प्रदर्शित कार्यो के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यो के सम्पादन में सुविधा हो सके–

1. समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना ।
3. पुस्तकालय संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना ।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण ।
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों /टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण ।
6. क्रियात्मक शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण ।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएं–

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में डायट विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः सर्व शिक्षा अभियान की गुणवत्ता विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्मी एवं शिक्षकों को प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा और पुरस्कार भी दिया जायेगा।

इस कार्य हेतु जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को रूपये 10,000/- की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एन0पी0आर0सी0 को रूपये 7,000/- की दर से पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रूपये 15,000/- तथा रूपये 10,000/- की दर से पुरस्कार दिये जायेंगे । इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णय अनुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार से प्रेरित करने के लिये पठन-पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड सत्यापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास में से एक-एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा। इस हेतु उन्हें रूपये 5,000/- प्रदान किये जायेंगे। डायट स्तर पर कार्य करने वालों में से एक प्रवक्ता को रूपये 15,000/- से पुरूस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की इस राशि का प्रयोग प्रवक्ता, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक और शिक्षक अपने ज्ञान अभिवृद्धि, अन्तर्राज्जीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

सारणी 9.20

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

क्र0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1.	**भवन का विस्तार-** कार्यालय भवन का एक अतिरिक्त कक्ष (द्वितीय तल का निर्माण)	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रतिक्षालय का निर्माण	2.00
	योग	**50.00**
	उपकरण/साज-सज्जा-	
1.	कम्प्यूटर (4), प्रिन्टर्स, यू0पी0एस0	6.00
2.	फोटोकापीयर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी, मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन एवं फैक्स	1.50
	योग	**10.00**

	आवर्तक (प्रतिवर्ष)–	
1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालायें/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिजेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी0ओ0एल0	0.50
	योग	10.00

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

सारणी 9.21

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के प्रतिभागी तथा अवधि की रूपरेखा

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी	अवधि
1.	बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु कार्यशाला स्टेट स्तर विजनिंग कार्यशाला	डायट उप प्राचार्य, दो प्रवक्ता डायट संकाय के सदस्य, डी0पी0ओ0 स्टाफ, बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 समन्वयक, डी0आर0जी0, बी0आर0जी0	03 दिन 04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षक	10 दिन
3.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	समस्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	08 दिन
4.	शिक्षा मित्र शिक्षक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र/आचार्य प्रशिक्षक	10 दिन
5.	शिक्षा मित्र/आचार्य का प्रशिक्षण (1) आधारभूत प्रशिक्षण (2) रिफ्रेशर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र/आचार्य प्रशिक्षक शिक्षा मित्र/आचार्य प्रशिक्षक शिक्षा मित्र/आचार्य प्रशिक्षक	30 दिन 15 दिन 15 दिन
6.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
7.	ई0सी0सी0ई0 अनुदेशकों का प्रशिक्षण	केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाएं	07 दिन
8.	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक	07 दिन
9.	ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0	05 दिन

10.	ग्राम शिक्षा समितियों हेतु बी0आर0सी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 के सदस्य	03 दिन
11.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ/उच्च प्राथमिक विद्यालय के चयनित शिक्षक	01 माह
12.	वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण (1) आधारभूत प्रशिक्षण (2) रिफ्रेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक अनुदेशक अनुदेशक	15 दिन 10 दिन 10 दिन
13.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक	05 दिन
14.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
15.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नव नियुक्त प्राप्त स0अ0 प्रा0वि0	10 दिन
16.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यपक पद पर पदोन्नति प्रा0वि0	05 दिन
17.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
18.	मैटेरियल विकास प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक	03 दिन
19.	सतत व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक डायट स्टाफ के चुने हुये शिक्षक	03 दिन
20.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीवार प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0, समन्वयक	03 दिन
21.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा उ0प्रा0वि0 के चुने हुये शिक्षक	05 दिन
22.	अनुपरक अध्ययन सामग्री विकास कार्यशाला स्थानियों की	चिन्हित शिक्षक, शिक्षिकायें	03 दिन
23.	प्राथमिक/उच्च प्रा0 कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण सामग्री	प्रा0/उ0 प्रा0, हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुये शिक्षक	03 दिन
24.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्रा0/उच्च प्रा0 हाईस्कूल, इण्टर के चुने हुये शिक्षक	05 दिन
25.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास प्रशिक्षण	अकादमिक सदस्य	05 दिन
26.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य माध्यम उपयोगी संबंधी कार्यशाला	बी0आर0सी0, समन्वयक चुने हुये विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
27.	बहु श्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटेरियल विकास कार्यशाला	चुने हुये शिक्षक	05 दिन
28.	वास्तविक शिक्षण को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	02 दिन
29.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट संकाय के सदस्य	03 दिन
30.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री	डायट संकाय के सदस्य तथा शिक्षक	05 दिन

	विकास प्रशिक्षण		
31.	प्र0अ0 (प्राथमिक) का नियोजन प्रवन्धन संबंधी प्रशिक्षण	प्र0अ0 प्राथमिक स्कूल	05 दिन
32.	उ0प्रा0 स्कूल के प्र0अ0 का नियोजन प्रवन्धन संबंधी प्रशिक्षण	प्र0अ0 उच्च प्राथमिक स्कूल	05 दिन
33.	श्रव्य दृश्य सबधी उपकरणों के सचालन हेतु कार्यशाला	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	02 दिन
34.	जेण्डर सेंसिटाइजेशन संबंधी प्रशिक्षण	उ0प्रा0वि0 के शिक्षक	02 दिन

स्रोत– डायट, बदायूँ ।

अध्याय–10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जनपद में 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान व्यवस्था की पूरक व्यवस्था के साथ में 'सर्व शिक्षा अभियान' (एस0एस0ए0) की परियोजना प्रस्तावित की जा रही है जिसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। परियोजना अवधि में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्ध 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद' द्वारा किया जायेगा ।

टीम भावना पर आधारित इस परियोजना का प्रबन्ध लोकतांत्रिक होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें यह अपेक्षा रहेगी कि अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। समय–समय पर कार्यक्रम की समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इस तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी जन–सहभागिता पर आधारित होंगे । इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अध्यापक विद्यालय में उपस्थित रहें और अध्यापन कार्य भी करें । अध्यापन कार्य से विरत रहने वाले अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी और अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकों की विगत वर्षों में उनको दिये गये प्रशिक्षण के आधार पर समीक्षा की जायेगी।

प्रबन्धतंत्र संवेदनशील और लचीली प्रणाली–

विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विक्रेन्दीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने एवं वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रत्येक की सुविधा निर्मित करने के साथ 'उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान' द्वारा तैयार किया गया प्रबन्धतन्त्र इस प्रकार है–

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद

निणर्यकर्ता समितियां	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्धन पंक्ति	सहायक अकादमिक
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0ए0पी0बी0 →	राज्य परियोजना कार्यालय	← एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0, साइमेट, एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि।
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढाँचा–नीति निर्धारण –

ग्राम शिक्षा समिति –

बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया । जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं–

समिति का स्वरूप –

1.	ग्राम पंचायत का प्रधान	अध्यक्ष
2.	ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक विद्यालय हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठ सदस्य।	सचिव
3.	बेसिक विद्यालयों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी), जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

- पंचायत क्षेत्र में बेसिक विद्यालयों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना ।
- बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
- पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना ।
- बेसिक विद्यालयों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।

- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें ।
- पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक विद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जायें लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें ।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। चूंकि ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में अग्रणी रही है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे और अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को सूक्ष्म नियोजन आदि विधाओं के माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास संभव हो सके ।

बेसिक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये उपर्युक्त परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण भी इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के कर्मचारियों के वेतन/मानदेय का भुगतान भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा साथ ही, छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।

न्याय पंचायत संसाधन हेतु (एन0पी0आर0सी0) –

जनपद में सभी 164 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजनान्तर्गत पूर्ण कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ न्याय पंचायत प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक क्रियाशील एवं सक्रिय किया जायेगा ।

कार्य एवं दायित्व –

- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का शैक्षिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार, वातावरण निर्माण आदि की कार्य योजना तैयार करना ।
- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन ।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति –

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक विकास खण्ड शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी ।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं–

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य–सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व–

क्षेत्र पंचायत समिति का मुख्य कार्य विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। इसका मुख्य कार्य ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच समन्वय स्थापित करना भी है तथा सुनिश्चत रोजगार

योजना/जे0जी0एस0बाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में विशेष सहायक होगी। इन समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु समिति की प्रत्येक माह एक बैठक करना अनिवार्य होगा ।

प्रशासनिक संगठन–ब्लाक स्तर –

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर स्थित एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से उनका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे तथा परियोजना सम्बन्धी कार्यों के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे । विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित रहे इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति को उपलब्ध कराना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व रहेगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के रूप में उनके प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे –

- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।
- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।
- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित करना ।
- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना ।
- खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना ।
- विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना ।
- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां कराना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
- अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना ।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत पूर्व में ही निर्मित विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जा चुकी है। जहां से वह सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे । उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने एवं गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से यात्रा भत्ता एवं दुपहिया वाहन के रख–रखाव हेतु एक नियत धनराशि (रूपये 18,000/– प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष) उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना अन्तर्गत पदास्थापित किये गये एक बी0आर0सी0 एवं एक ए0बी0आर0सी0 समन्वयक के अतिरिक्त एक और ए0बी0आर0सी0 समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर नियुक्त किया जायेगा ।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) –

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत सभी विकास खण्डों में विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है तथा उन्हें जल एवं विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित भी किया जा चुका है एक समन्वयक एवं एक सह–समन्वयक भी नियुक्त कर उनको प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये एक अतिरिक्त सह–समन्वयक का पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है जो कि परियोजना कार्यो के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, सूचनाओं के एकत्रीकरण, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का सहयोग करेंगे ।

प्रायः यह देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकांश समय सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं उनका विश्लेषण करने में चला जाता है जिस कारण से वह शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु विशेष समय नहीं दे पाते हैं । अतः प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र को एक–एक कम्प्यूटर व एक–एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 स्तर पर एक लाख रूपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है आपरेटर के स्थान पर विकास खण्ड स्तर पर किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण दिलाकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व–

- अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं ।
- विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना ।
- ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना ।

- ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना ।
- विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना ।
- ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजनान्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ।

समिति का गठन निम्नवत् है–

- जिलाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी – उपाध्यक्ष
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
- प्राचार्य डायट – सदस्य
- जिला श्रम अधिकारी – सदस्य
- जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
- वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) – सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता (आर0ई0एस0) – सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता (पी0डब्ल्यू0डी0) – सदस्य
- जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य
- दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित – सदस्य
- दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)
- दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व–

सर्व शिक्षा अभियान हेतु यह जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना, संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति–

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रमीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है–

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	–	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	–	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति मे विद्यालय उप निरीक्षक	–	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे	–	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा	–	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी –

(क). जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना ।
(ख). नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
(ग). ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी ।

प्रशासनिक तन्त्र–जिला परियोजना कार्यालय –

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । उनका दायित्व राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे । इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे–

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी ।	
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
5.	ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1	रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर / सांख्यिकी सहायक	3	रू0 7,000/– नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत उपरोक्त में से कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे । जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।

उक्त के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे । परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियो द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं । मानदेय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित दर से ही भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रूपये 1,000 प्रति; अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रूपये 500 प्रति तथा शौचालय हेतु रूपये 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0)–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर पर डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं । उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी । इसके अतिरिक्त जनपद के अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण,

आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायगा । इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावाधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटिरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्त्वपूर्ण इण्डीकेटरों पर रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व –

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे--

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण कराना ।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना ।
- भरे हुये प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना ।
- समयवद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना ।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना ।
- माइक्रो प्लानिंग डाटा का कम्प्यूटीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना ।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि से अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा ।

प्रशिक्षण–

जनपद स्तर पर विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सैम्पल चैकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके ।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे ।

3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे ।

4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट स्तर पर)

यह प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय/राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित एक सप्ताह का होगा। इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे । प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच –

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात् ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी । प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यपक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि रूवरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा ।

आंकड़ों का उपयोग –

ई0एम0आई0एस0 आकड़ा के विश्लषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे– जी0ई0आर0, एम0ई0आर0, ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे । इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओ के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन कियाजा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा–

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान ।
2. शिक्षा गारन्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण ।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान ।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण ।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान ।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण ।
7. श्यामपट विहीन विद्यालयों का चिन्हीकरण ।
8. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन ।

9. अवस्थापना सम्बन्धी माग का आकलन व निर्धारण ।
10. शिक्षकों का विवरण ।
11. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
12. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

ई0एम0एआई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा ।

कोहॉर्ट स्टडी –

संस्थाओं में छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक–पृथक से की जायेगी । एक स्टडी की अनुमानित लागत रूपये 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है। उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्य को दृष्टिगत रखते हुये इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा । परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे –

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित करना ।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना ।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों / निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके ।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना ।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना ।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्ािपित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना ।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना ।
10. शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना ।
11. ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड) –

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अप्रेजल के पश्चात् एवं उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे – ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवा संस्थाओं अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा सभी के लिये जिला परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित हैं जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित हैं । अतः रू0 5,000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट के खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं । परचेज एवं प्रोक्योरमेन्ट के नियम भी इसी सन्दर्शिका मे निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे । परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं । जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी ।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय ↓

1. बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति
3. अध्यापक
4. स्वयंसेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ↓

बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

सम्प्रेक्षण व्यवस्था –

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतन्त्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्श फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी ।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना –

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा । राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे । साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुये सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य–योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इन्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे ।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट की सरंचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाईयों, प्राप्त विभिन्न इंडीकेटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये।

बदायूं

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003-04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार – परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

➢ आच्छादित क्षेत्रः– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथम चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, आगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की योजना है।

➢ मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

• कक्षा स्तर पर पुस्तकालय के [illegible]

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का नानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक--अप निम्नवत है।

व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी ।

... को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द्र संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा कय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वक 'बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्ताबित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तार्गत कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0 / डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. **लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि** – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	वेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6 **आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन)** @ 1500.00

7 **अन्य आवश्यकतानुसार** 3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 623 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :-- विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

9

सं0	नाम	साक्षरता दर जनपद (%)	जनपद (%)	नाम	साक्षरता दर (%)	गैप (%)	बालक	बालिका	योग
1	वहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				केसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
				बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडिह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
				नवाबगंज	10.2	27.05			0
				तरबगंज	10.8	30.09			0
				बेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				वभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	बलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरेया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपेड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				गैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गैप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
				[illegible]	29.03	39.02	1526	2320	3846
					29.02	43.03	3242	3538	6780

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गैप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				बिलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूँ			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				निआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्बियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				बिसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				बांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौगढ	10.64	33.19			0
				शाहरतगढ	8.68	30.94			0
				बढ़नी	9.34	22.08			0
				बर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	विठोरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

क्र० सं०	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गैप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चे बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-04

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahr	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	2
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	2
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	1
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	4
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	2
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		14
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**15**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	12188[illegible]0		2984910		2297160	0	22011975
	73131 6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	**1291992**	**2841**	**3164005**	**3096**	**2434990**	**22856**	**45344668.5**

एवं सर्व शिक्षा अभियान

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन

निशातगंज लखनऊ–226 007

780995, 781315 फैक्स 0522 782715 781123, 781128

ई-मेल upd pep@sancharnet.in

सेवा में,

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0

पत्रांक: अ0प0नि0/3545-3598/2003-04 दिनांक: 5 अगस्त, 2003

विषय: वर्ष 2003–04 की स्वीकृत कार्ययोजना का प्रेषण

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट भारत सरकार से अनुमोदित हो चुकी है। अनुमोदित बजट पत्र के संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया वर्ष 2003–04 में स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0के0 सक्सेना)
अपर परियोजना निदेशक

पृ0सं0: अ0प0नि0/3545-3598/2003–04/तद्दिनांक

प्रतिलिपि: 1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।

(वी0के0 सक्सेना)
अपर परियोजना निदेशक

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 1; रेल कन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Badaun

(Rs. In Thousand)

S No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC								
1	Asstt. Coordinator (1 No.) @ 5.5 for 12 Months	0	0	9.00	0	0.00	0	0	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0	
3	Travelling Allowance & Meeting	0	0	6.00	18	108.00	18	108	
4	Maintenance of equipments	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM	0	0	5.00	18	90.00	18	90	
7	Contegency	0	0	12.50	18	225.00	18	225	
	TOTAL BRC	0	0.00		54	423.00	54	423	
(II)	CRC								
8	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
9	Salary Condinator @12 for 12 Months	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
10	TLM	0	0	1.00	164	164.00	164	164.00	
11	Contegency	0	0	2.50	164	410.00	219	410.00	
12	Meeting & TA	0	0	2.40	164	393.60	164	393.60	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		492	967.60	547	967.60	
(III)	CIVIL WORKS								
13	New Primary School	0	0.00	259	59	15281.00	59	15281.00	
14	New Upper Primary School	25	1700.00	280	50	14000.00	75	15700.00	Spill.Handpump
15	Additional Classrooms PS	0	0.00	70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additional Classrooms UPS	0	0.00	70.00	0	0.00	0	0.00	
17	Toilets PS	0	0	10.00	100	1000.00	100	1000.00	
18	Toilets UPS	0	0	10.00	64	640	64	640	
19	Reconstruction PS	0	0	191.00	18	3438.00	18	3438.00	
20	Reconstruction UPS	0	0	383.00	0	0	0	0	
21	Drinking Waters PS	0	0.00	15.00	18	270.00	18	270.00	
22	Drinking Waters UPS	0	0	15.00	20	300	20	300.00	
23	Repair PS	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS	0	0	70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Utilisation of Microplaining	0	0	250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	25	1700.00		329	34929.00	354	36629.00	
(IV)	EGS								
	TOTAL EGS	0	0		132	2788.50	132	2788.50	
(V)	AIE	0	0		0	0	0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25x8)	0	0	0.845	18	380.25	18	380.25	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30x14)	0	0	1.20	14	504.00	14	504.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (.845x40x164)	0	0	0.845	164	5543.20	164	5543.20	
33	Bridge Course (P.S.) (3x60x3)	0	0	3.00	3	540.00	3	540.00	
		0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL AIE	0	0.00		199	6967.45	199	6967.45	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		331	9755.95	331	9755.95	
(VI)	FREE TEXT BOOKS								
34	Free Text Books PS	0	0	0.05	161117	8055.85	161117	8055.85	
35	Free Text Books UPS	0	0	0.15	18195	2729.25	18195	2729.25	
	Total Text Book	0	0.00		179312	10785.10	179312	10785.10	
(VII)	I[illegible]								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	2120	2544.00	2120	2544.00	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	Total Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCE				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE								
57	PS	0	0.00	5.00	1687	8435.00	1687	8435.00	
58	UPS	0	0.00	5.00	265	1325.00	265	1325.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1952	9760.00	1952	9760.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0	0.00			4040.00	0	4040.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION								
71	PS	0	0.00	1.40	1687	2361.80	1687	2361.80	
72	UPS	0	0.00	1.40	299	418.60	299	418.60	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		1986	2780.40	1986	2780.40	
(XV)	SCHOOL GRANT								
73	School Improvement Grants PS @ 2	0	0	2.00	1712	3424.00	1712	3424.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2	0	0	2.00	424	848.00	424	848.00	
	Total School Grant	0	0.00		2136	4272.00	2136	4272.00	
(XVI)	SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)								
75	Salary of Asstt Teacher PS	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	
76	Salary of Asstt Teacher UPS	0	0	10.00	75	9000.00	75	9000.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @	0	0	2.25	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)	0	0.00		75	9000.00	75	9000.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Badaun

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVII)	SALARY GRANT (2003-04)								
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)	0	0	9.00	59	3186.00	59	3186.00	6 Months
80	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (U.P.S.)	0	0	10.00	150	9000.00	150	9000.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)	0	0	2.25	59	796.50	59	796.50	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR	0	0	2.25	1518	20493.00	1518	20493.00	6 Months
	TOTAL Salary Grant (2003-04)	0	0.00		1786	33475.50	1786	33475.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT	0	0.00		1861	42475.50	1861	42475.50	
(XVIII)	TEACHER GRANT (TLM)								
84	Teacher Grants PS @ 0.5	0	0	0.50	5251	2625.50	5251	2625.50	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5	0	0	0.50	2144	1072.00	2144	1072.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		7395	3697.50	7395	3697.50	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS								
87	TLE PS @10	0	0.00	10.00	59	590.00	59	590.00	
88	TLE UPS @50	25	1250.00	50.00	50	2500.00	75	3750.00	
88.1	TLE UPS @50 (Not Covered OBB)	70	3500.00	0.00	0	0.00	70	3500.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	95	4750.00		109	3090.00	204	7840.00	
(XX)	TEACHER TRAINING								
89	Induction Trainning of SM	0	0	0.07	300	630.00	300	630.00	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC)	0	0	0.07	5269	7376.60	5269	7376.60	
91	Teachers (UPS)	0	0	0.07	1019	1069.95	1019	1069.95	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		6588	9076.55	6588	9076.55	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC								
92	VEC Training (30x2x8)	0	0.00	0.48	1408	675.84	1408	675.84	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		1408	675.84	1408	675.84	
(XXII)	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			554.00	0	554.00	
(XXIII)	STRENGTHENING OF DIET								

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Badaun

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	59	15281	0	0	5	1280	0	0	64	16561
A2	New Upper Primary Schools	451	25	11275	50	14000	0	0	5	1400	0	0	80	26675
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	75	7380	75	9000	75	9000	75	9000	75	9000	375	43380
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	59	796.5	59	1460.25	64	1584	64	1584	246	5424.75
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	59	3186	59	6372	64	6912	64	6912	246	23382
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	150	9000	150	18000	165	19800	165	19800	630	66600
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	59	590	0	0	5	50	0	0	64	640
A8.2	UPS	50	41	2050	50	2500	0	0	5	250	0	0	96	4800
A9	TLE UPS not covered OBB	50	70	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**24205**	0	**54353.5**	0	**35032.25**	0	**40476**	0	**37496**		**191562.75**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	132	2788.5	132	2788.5	132	2788.5	132	2788.5	528	11154
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost [overprinted: AIE Primary including all models of DPEP(per child)- Shiksha]	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	18	380.25	48	1014	48	1014	48	1014	162	3422.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	14	504	25	900	29	1044	29	1044	97	3492
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	6	1080	6	1080	6	1080	21	3780
16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	164	5543.2	164	5543.2	164	5543.2	164	5543.2	656	22172.8
17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**24205.00**	0	**64109.45**	0	**46607.95**	0	**52195.70**	0	**49215.70**	**0**	**236333.80**
	RETENTION		0	0	0		0		0		0			
	Reconstruction - PS	191	0	0	18	3438	50	9550	50	9550	0	0	118	22538
	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	18	6894	0	0	0	0	18	6894
	Additional Classrooms		0	0	0		0		0		0			
	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	459	32130	392	27440	250	17500	1101	77070
	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	0	0	96	6720	250	17500	150	10500	508	35560
	Toilets Upper Primary	10	20	200	64	640	0	0	0	0	0	0	84	840
	Toilets Primary	10	0	0	100	1000	300	3000	110	1100	0	0	510	5100
	Drinking Water Primary	18	0	0	18	270	0	0	0	0	0	0	18	270
	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	20	300	0	0	0	0	0	0	20	300
	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1687	8435	1747	8735	1747	8735	1752	8760	6933	34665
	Repair & Maintenance of School UPS	5	255	1275	265	1325	349	1745	349	1745	354	1770	1572	7860

			[illegible]	[illegible]	0	0	1426	136896	1530	146880	1637	157152	4593	440928
R7.3	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1518	20493	1428	35343	105	2598.75	107	2648.25	3158	61083
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	1712	3424	2165	4330	2170	4340	2170	4340	8217	16434
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	255	510	424	848	475	950	480	960	480	960	2114	4228
R12	**Promoting Girls Education**		0	2438	0	0	0	1500	0	1500	0	1500	0	6938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	90	405	90	405	90	405	270	1215
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	7	525	7	525	7	525	21	1575
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	30	120	30	120	30	120	90	360
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	18	450	18	450	18	450	54	1350
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	500	0		0	0	0	0	0	0	0	500
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	150	562.5	150	562.5	150	562.5	450	1687.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	150	225	150	225	450	675
R13.5	Training		0	0	0		150		150		150			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1218	3410.4	1218	3410.4	1218	3410.4	3654	10231.2
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	164	820	164	820	164	820	492	2460
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	1408	675.84	1408	675.84	1408	675.84	1408	675.84	5632	2703.36
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	18	90	18	90	18	90	54	270
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	1212	0	0	18	1500	18	1500	18	1500	54	5712
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	0	5000	3	180	3	180	3	180	9	5540
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	2087	5217.5	2087	5217.5	2087	5217.5	6261	15652.5
	RETENTION Sub Total		0	**6975**	0	**45848.84**	0	**299594.7**	0	**309493.49**	0	**294873.74**	**0**	**956785.81**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	300	630	1428	2998.8	110	231	107	224.7	1945	4084.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	123	258.3	0	0	1426	2994.6	124	260.4	107	224.7	1780	3738
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	5269	7376.6	5350	7490	5463	7648.2	5559	7782.6	21641	30297.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	1081	1513.4	1019	1069.95	1244	1306.2	1259	1321.95	1259	1321.95	5862	6533.45
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1428	1999.2	110	154	112	156.8	1650	2310
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	205	430.5	209	438.9	209	438.9	623	1308.3
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	36	25.2	36	25.2	36	25.2	108	75.6
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	164	114.8	164	114.8	164	114.8	492	344.4
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	72	100.8	0	0	72	100.8
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	23	8.05	0	0	0	0	23	8.05
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	220.8	2120	2544	2331	2797.2	2581	3097.2	2755	3306	9787	11965.2
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Counselling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	7	17.5	7	17.5	7	17.5	21	52.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	12	24	12	24	12	24	36	72
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	5251	2625.5	7474	3737	7528	3764	7621	3810.5	27874	13937
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1204	602	2144	1072	2144	1072	2159	1079.5	2159	1079.5	9810	4905
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	161117	8055.85	193340	9667	232008	11600.4	278410	13920.5	864875	43243.75
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	15346	2301.9	18195	2729.25	21384	3207.6	26201	3930.15	31441	4716.15	112567	16885.05
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	2087	313.05	2087	313.05	2087	313.05	6261	939.15
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	205	10.25	209	10.45	209	10.45	623	31.15
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1747	26205	1747	26205	1747	26205	5241	78615
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	349	2617.5	349	2617.5	349	2617.5	1047	7852.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**4896.4**	0	**26103.15**	0	**67085.45**	0	**63004**	0	**66359.8**		**227448.8**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	18	108	18	108	18	108	18	108	72	432
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	18	36	18	36	18	36	54	108
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	18	180	18	180	18	180	54	540
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	18	90	18	90	18	90	18	90	72	360
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	18	90	18	90	18	90	54	270
C2.11	Contigency	12.5	0	0	18	225	18	225	18	225	18	225	72	900
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	164	164	164	164	164	164	164	164	656	656
C3.4	Contingency	2.5	0	0	164	410	164	410	164	410	164	410	656	1640
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	164	393.6	164	393.6	164	393.6	164	393.6	656	1574.4
C4	District Project Office/Management		0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	7	1260	28	5040
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	18	324	18	324	18	324	54	972
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	26	260	26	260	26	260	26	260	104	1040
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	18	2160	18	2160	18	2160	18	2160	72	8640
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	1687	2361.8	1747	2445.8	1747	2445.8	1747	2445.8	6928	9699.2
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	296	414.4	299	418.6	340	476	340	476	340	476	1615	2261
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	1248.4	0	8211	0	9162.4	0	9162.4	0	9162.4		36946.6
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	554	0	0	0	0	0	0	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	12	1728	12	1728	12	1728	36	5184
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1248.4**		**8768**	0	**11270.4**	0	**11270.4**	0	**11270.4**	**0**	**43824.6**
	GRAND TOTAL		0	**37324.8**	0	**144828.44**	0	**424558.54**	0	**435963.59**	0	**421719.64**	0	**1464393.01**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Badaun**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	12315.0	34929.0	58294.0	58270.0	28000.0	191808.0
Management	414.4	6820.4	9573.8	9573.8	9573.8	36510.2
Programme	24595.4	103077.0	356690.7	368119.8	384145.8	1236074.8
Total	**37324.8**	**144826.4**	**424558.5**	**435963.6**	**421719.6**	**1464393.0**
Percentage - Civil	**33.0**	**24.1**	**13.7**	**13.4**	**6.6**	**13.1**
Percentage - Management	**1.1**	**4.7**	**2.3**	**2.2**	**2.3**	**2.5**
Percentage - Programme	**65.9**	**71.2**	**84.0**	**84.4**	**91.1**	**84.4**
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100